उत्तराखण्ड में 2013 की आपदा के उपरान्त बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

उत्तराखण्ड सरकार

प्रतिवेदन संख्या 2 वर्ष 2018

विषय सूची

प्रस्तर संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सारांश		vii
	अध्याय-1	
उत्तराखण्ड में 2013 की आपदा के उपरान्त बुनियादी ढाँचे का पुर्ननिर्माण-एक विहंगावलोकन		
1.1	2013 की आपदा	1
1.2	उत्तराखण्ड में आपदा प्रबंधन का ढाँचा	2
1.3	लेखापरीक्षा उद्देश्य	4
1.3.1	निष्पादन लेखापरीक्षा का क्षेत्र, सीमा एवं आच्छादन	4
1.3.2	इकाईयों / कार्यालयों और कार्यों के चयन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया	5
1.3.3	लेखापरीक्षा मानदंड	6
1.3.4	प्रवेश और निकास गोष्ठियाँ	7
1.3.5	लेखापरीक्षा निष्कर्षो का व्यवस्थापन	7
1.4	आभार	8
	अध्याय-2	
निधियों का प्रबंधन		
2.1	निधिकरण व्यवस्था	9
2.1.1	राज्य योजना के लिए विशेष आयोजनागत सहायता	11
2.1.2	केन्द्र पोषित योजनाओं (के पो यो) के अन्तर्गत सहायता	11
2.1.3	केंद्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत सहायता	11
2.1.4	वाह्य सहायतित परियोजनायें	11
2.1.5	वित्त की समग्र स्थिति	12
2.1.6	परियोजना क्रियान्वयन अवधि	13
2.2	लेखापरीक्षा परिणाम	13
2.2.1	के पो यो - पु निधियों का कम आवंटन / उपयोग	13
2.2.2	राज्य सरकार द्वारा निधियों का कम आवंटन	15
2.2.3	अनुमोदित परिव्यय का उपभोग न होना	16
2.2.4	स्वीकृत निधियों का व्ययावर्तन	17
2.2.5	अव्ययित अवशेष ₹ 30.62 करोड़ का अनधिकृत अवरोधन	18
2.2.6	अनुबंध प्रबंधन में कमियाँ	21
2.2.7	ठेकेदारों को अनुचित लाभ	25
2.2.8	ब्याज देनदारियों का सृजन	27
2.2.9	ब्याज प्राप्तियों का गलत प्रयोग	28
2.2.10	उपयोगिता प्रमाण पत्रों को बढ़ाकर प्रस्तुत करना	29

अध्याय-3		
क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे की आयोजना एवं पुनर्निर्माण		
3.1	परिचय	31
3.2	मार्ग, सेतु और पैदल मार्ग	32
3.2.1.1	नोडल एजेंसी द्वारा क्षतिग्रस्त कार्यों की अनुचित पहचान और नियोजन	34
3.2.1.2	एक ही कार्य के लिए कई स्रोत से वित्तपोषण	36
3.2.1.3	उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना (उ आ रि प) द्वारा अधिक विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (वि प रि) को तैयार किया जाना	37
3.2.2.1	नियत समय सीमा के भीतर कार्यों का पूर्ण न होना	37
3.2.2.2	गैर अनुमन्य कार्यों का निष्पादन	38
3.2.2.3	अनियमित योजना के कारण लागत वृद्धि	40
3.2.2.4	पैदल मार्ग कार्यों पर ऊंचाई और दूरी सूचकांक को अनियमित व अनुचित रूप से भारित किया जाना	41
3.2.2.5	वाह्य सहायतित परियोजनाओं (वा स प) के अंतर्गत चिन्हित क्षतिग्रस्त कार्यों का कम आच्छादन	42
3.3	पर्यटन का बुनियादी ढाँचा	42
3.3.1	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जि आ प्र प्रा), रुद्रप्रयाग	44
3.3.1.1	श्री केदारनाथ धाम और इसके यात्रा मार्ग पर पर्यटक सुविधाओं की पुनर्स्थापना में देरी	44
3.3.2	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद (उ प वि प)	47
3.3.2.1	उत्तराखण्ड आपातकालीन सहायता परियोजना (उ आ स प) के अंतर्गत पर्यटक विनियमन अध्ययन और उपायों को न किया जाना	47
3.3.2.2	उत्तराखण्ड आपातकालीन सहायता परियोजना (उ आ स प) के अंतर्गत स्वीकृत पर्यटक आवासों की पुर्नस्थापना के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त न किया जाना	48
3.3.2.3	केन्द्र पोषित योजना - पुनर्निर्माण (के पो यो-पु) कार्यों के पूर्ण होने में देरी	50
3.3.3	उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (उ ना उ वि प्रा) के कार्य	51
3.3.3.1	आपदा तैयारी के लिए उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (उ ना उ वि प्रा) की त्रुटिपूर्ण योजना	51
3.3.3.2	कार्यों का अधिमूल्यांकन	52
3.4	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	52
3.4.1.1	क्षतिग्रस्त सिंचाई बुनियादी ढाँचे का अपर्याप्त आच्छादन	53
3.4.1.2	विद्युत क्षेत्र से संबन्धित परियोजनाओं का गलत समावेशन	54
3.4.2.1	बड़ी संख्या में अनुबंधों के साथ कार्यों का अनियमित निष्पादन	54
3.4.2.2	वांछित ऊंचाई तक बाढ़ सुरक्षा कार्य को निष्पादित न किया जाना	55
3.5	विद्युत और ऊर्जा	55

3.5.1.1	बहु स्रोतों के वित्तपोषण हेतु प्रस्तावों को प्रेषित करना	56
3.5.2.1	अपुनर्स्थापित जल विद्युत परियोजनाएं	56
3.5.2.2	उरेडा द्वारा अधिक विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (वि प रि) को तैयार करने पर निष्फल व्यय	58
3.5.2.3	उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) द्वारा कार्यों के निष्पादन में असामान्य देरी	58
3.6	लोक भवन	58
3.6.1.1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवनों की स्वीकृति में देरी	59
3.6.1.2	गैर अनुमन्य विद्यालयी भवनों का आच्छादन	59
3.6.2.1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (औ प्र सं) की स्थापना के लिए भवन	59
3.6.2.2	उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना (उ आ रि प) के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के क्षतिग्रस्त भवनों का पुनर्निर्माण	60
3.7	रिहायशी आवास	61
3.7.1	भूमि के स्पष्ट मालिकाना हक के बिना लाभार्थियों का चयन	61
3.7.2	राज्य सरकार को पुरानी संपत्ति का हस्तांतरण न किया जाना	62
3.8	कृषि और मृदा संरक्षण	62
3.9	वन और जैव विविधता	62
3.9.1	राज्य आपदा मोचन निधि (राज्य आ मो नि) से निष्पादित कार्य	63
3.10	एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम (ए ज प्र का)	63
3.11	पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता	63
3.12	आपदा तैयारियों से संबन्धित अन्य गतिविधियां	64
3.12.1	विभागीय योजना और बजट की कमी	64
3.12.2	परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प क्रि इ) - आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता एवं क्षमता विकास से कोई सहयोग प्राप्त न होना	64
	अध्याय-4	
पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और गुणवत्ता नियन्त्रण		
4.1	प्रस्तावना	67
4.2	प्राधिकृत समितियों / संस्थानों की भूमिका और अनुश्रवण तंत्र	67
4.2.1	राज्य कार्यकारी समिति	67
4.2.2	कोर कमेटी और उच्चस्तरीय प्राधिकार समिति	67
4.2.3	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	68
4.3	विभागीय पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र	68
4.3.1	निरीक्षणों के केंद्रीयकृत अभिलेखों का अभाव	68
4.3.2	अप्रभावी पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण	69
4.3.3	त्रिपक्षीय आकलन का न किया जाना	70
4.3.4	सड़क कार्यों की निम्न गुणवत्ता	70

अध्याय-5		
निष्कर्ष और अनुशंसायें		
5.1	निष्कर्ष	73
5.2	अनुशंसायें	74
परिशिष्ट		
परिशिष्ट - 1.1	चयनित इकाईयों की सूची	77
परिशिष्ट - 2.1	म और दी पु निधि की क्षेत्रवार स्थिति (31 मार्च 2018 के अनुसार)	79
परिशिष्ट - 2.2	के पो यो की सूची जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा कोई निधियाँ अवमुक्त नहीं की गयीं	80
परिशिष्ट - 2.3	के पो यो के तहत निधियों के कम आवंटन का विवरण	80
परिशिष्ट - 2.4	स्वीकृत निधियों के व्यावर्तन का विवरण	81
परिशिष्ट - 2.5	ठेकेदारों को किये गये अधिक भुगतान का विवरण	83
परिशिष्ट - 2.6	ठेकेदारों को दिये गये अदेय लाभ का विवरण	84
परिशिष्ट - 2.7	लिक्विडेटेड डैमेज (एल डी) आरोपित न किये जाने का विवरण	85
परिशिष्ट - 3.1	विभागवार कार्य की स्थिति (मार्च 2017 एवं मार्च 2018)	86
परिशिष्ट - 3.2(अ)	मोटर मार्गों के पुनर्निर्माण के लिये बहुस्रोतों से वित्त पोषण का विवरण (म और दी पु पैकेज)	87
परिशिष्ट - 3.2(ब)	उन मोटर मार्गों के लिये स्वीकृत वि आ स-पु जिनका निर्माण अन्य स्रोतों के अन्तर्गत वित्त पोषण (राज्य क्षेत्र / प्र म ग्रा स यो) से किया जा रहा है	88
परिशिष्ट - 3.3	अमितव्ययी विकल्प के साथ निष्पादित कार्यों का विवरण	89
परिशिष्ट - 3.4	निर्धारित मापदण्डों की तुलना में परिचालन पथ की अतिरिक्त चौड़ाई वाली उ आ रि प परियोजनाओं का विवरण	90
परिशिष्ट - 3.5	दोषपूर्ण पेवमेंट डिजाइन वाली उ आ रि प परियोजनाओं का विवरण	90
परिशिष्ट - 3.6	चयनित कार्यों में भिन्नता के उदाहरण दिखाते हुए विवरण (₹ एक करोड़ से अधिक)	91
परिशिष्ट - 3.7	स्वीकृतियों के बिना निष्पादित कार्यों की सूची	91
परिशिष्ट - 3.8	उ आ स प की कार्य की सूची के अनुसार हेलीड्रोमस, हेलीपोर्ट्स, हैलीपैड्स और बहुउद्देशीय शेल्टरों के निर्माण के लिए चिन्हित स्थान	92
परिशिष्ट - 3.9	एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम की सात परियोजनाओं के लिए अवमुक्त धनराशि का विवरण	92
परिशिष्ट - 3.10	आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता विकास (आ जो प्र त स और क्ष वि) की उप-घटकानुसार गतिविधियाँ	93
संक्षिप्त रूपों की शब्दावलियाँ		95

प्राक्कथन

मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उत्तराखण्ड में आपदा 2013 के उपरान्त बुनियादी ढाँचे के पुर्ननिर्माण पर निष्पादन लेखा परीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में 2014-15 से 2016-17 की आच्छादित अवधि के वे दृष्टांत उल्लिखित हैं, जो मई 2017 से नवंबर 2017 तक सम्पादित की गई निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए। जहाँ आवश्यक था, वहाँ मार्च 2017 के बाद से संबन्धित दृष्टांत को भी सम्मिलित किया गया है और कार्यों की पूर्णता की स्थिति को इंगित किए जाने हेतु इनकी स्थिति को बाद में मार्च 2018 तक अद्‌यतन किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्‌वारा जारी किए गए लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप लेखा परीक्षा का सम्पादन किया गया है।

लेखापरीक्षा, इस निष्पादन लेखापरीक्षा के सम्पादन के दौरान उत्तराखण्ड सरकार द्‌वारा विभिन्न स्तरों पर प्रदत्त सहयोग के लिये आभार व्यक्त करता है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड में बादल फटने के रूप में 15 से 17 जून 2013 के दौरान हिमालय के ऊपरी इलाकों के अधिकांश हिस्सों में भारी से भारी बारिश हुई। इस अभूतपूर्व वर्षा के कारण विभिन्न स्थानों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन हुआ और जीवन और संपत्ति का व्यापक नुकसान हुआ। 2013 आपदा के पश्चात क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण कार्यों की निष्पादित लेखापरीक्षा क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे की पुनर्स्थापन और आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्यों के निष्पादन में राज्य मशीनरी के प्रयासों का आंकलन करने के लिए की गयी। लेखापरीक्षा आपत्तियों का मूल्य ₹ 642.83 करोड़ है जो लेखापरीक्षित कार्यों (₹ 1,681.52) के कुल मूल्य का 38.23 *प्रतिशत* है।

₹ 6,259.84 करोड़ के एक मध्यम और दीर्घकालिक पुनर्निर्माण (म और दी पु) पैकेज को भारत सरकार (भा स), एशियन विकास बैंक (ए वि बैं), विश्व बैंक, और उत्तराखण्ड सरकार (उ स) द्वारा वित्तपोषण के पाँच अलग-अलग स्रोतों के अन्तर्गत वित्तपोषित था- विशेष आयोजनागत सहायता-पुनर्निर्माण (वि आ स - पु) (₹ 1,100 करोड़), केंद्र पोषित योजनायें-पुनर्निर्माण (के पो यो - पु) (₹ 2,135.41 करोड़), केंद्रीय योजना (₹ 50 करोड़), वाह्य सहायतित परियोजनायें (वा स प) (₹ 2,700 करोड़), और राष्ट्रीय / राज्य आपदा मोचन निधि (राष्ट्रीय / राज्य आ प्र नि) (₹ 274.43 करोड़)।

म और दी पु पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि, वास्तविक रूप से प्राप्त धनराशि और राज्य द्वारा व्यय की समग्र वित्तीय स्थिति नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार थी:

समग्र वित्तीय स्थिति (31 मार्च 2018 को) ***(₹ करोड़ में)***

निधि के श्रोत	अनुमोदित परिव्यय			अवमुक्त निधियाँ			व्यय
	केंद्राश	राज्यान्श	कुल	केंद्राश	राज्यान्श	कुल	
विशेष आयोजनागत सहायता	1,100.00	0	1,100.00	1,099.30	-	1,099.30	688.35
कें पो यो के अंतर्गत सहायता	1,709.03	426.38	2,135.41	215.89	567.19	783.08	718.10
केन्द्रीय योजना सहायता	50.00	0	50.00	0	-	0	0.00
राष्ट्रीय / राज्य आ मो नि (90:10)	246.99	27.44	274.43	246.99	27.44	274.43	अनुपलब्ध
वाह्य सहायतित परियोजना							
ए वि बै पोषित उ आ स प (200 मिलियन यू एस $)*			1,200.00	-	-	1,141.43	1,125.38
विश्व बैंक पोषित उ आ रि प (250 मिलियन यू एस $)			1,500.00	-	-	1,319.03	1,176.44
कुल			***6,259.84***			***4,617.27***	***3,708.27***

*ऋण राशि बाद संशोधित कर 185 मिलियन यू एस $ किया गया (मई 2017)।

स्रोत: उ स के संबन्धित विभागों द्वारा प्रदत्त सूचनाएँ।

म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत राज्य सरकार के नौं क्षेत्रों के 2,359 कार्यों की स्वीकृत दी गयी थी; जिनमें से 1,769 कार्य (75 *प्रतिशत*) पूर्ण किये गये थे, कार्यपूर्ति की निर्धारित तिथि तक (वि आ स-पु / के पो यो - पु / ए वि बैं वित्तपोषित कार्यों के लिये 31-03-2017 और विश्व बैंक वित्तपोषित कार्यों के लिये 31-12-2017) 514 कार्य (22 *प्रतिशत*) प्रगति पर थे और शेष 76 (3 *प्रतिशत*) कार्य अभी तक प्रारम्भ ही नहीं किये गये थे। हालांकि, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 की अवधि के

दौरान पूर्ण कार्यों की स्थिति में बढ़ोत्तरी हुई और मार्च 2018 में 2,066 तक पहुंची जो म और दी पु के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का 87 *प्रतिशत* थी।

इन कार्यों की स्थिति 31 मार्च 2018 के अनुसार निम्न थी:

निधि के स्रोत	स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगति में	अप्रारम्भ
वि आ स - पु	944	863	64	**17**
के पो यो - पु	960	840	109	**11**
ए वि बैं वित्तपोषित उत्तराखण्ड आपातकालीन सहायता परियोजना (उ आ स प)	172	162	10	**0**
विश्व बैंक वित्तपोषित उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना (उ आ रि प)	283	201	73	**09**
योग	***2,359***	***2,066** (87%)*	***256** (11%)*	***37** (2%)*

मुख्य तथ्य और प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

निधियों का प्रबंधन

- के पो यो के लिए भा स द्वारा अनुमोदित परिव्यय ₹ 1,709.03 करोड़ के सापेक्ष राज्य को केवल ₹ 215.89 करोड़ ही अवमुक्त किए गए। अनुमोदित राज्यान्श ₹ 426.38 करोड़ के सापेक्ष राज्य द्वारा ₹ 567.19 करोड़ अवमुक्त / उपभोग किए गए।

(प्रस्तर- 2.2.1)

- वि आ स - पु के अधीन भारत सरकार ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण / पुनर्स्थापन, अन्य धामों के विकास, गौरीकुंड और केदारनाथ के बीच रोपवे का निर्माण, केदारनाथ श्राईन के पुनर्स्थापन और दूरस्थ पहाड़ी जनपदों के कुछ सामरिक चुनिन्दा स्थलों पर आश्रय सह गोदाम के निर्माण के लिए स्वीकृत ₹ 455.09 करोड़ में से सम्पूर्ण धनराशि ₹ 455.09 करोड़ निर्गत की। हालांकि, उ स ने अपना हिस्सा ₹ 69.91 करोड़ नहीं दिये और ₹ 107.92 करोड़ के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी नहीं किए। जिसके परिणामस्वरूप, राज्य में पर्यटक की कई सुविधाएं और बुनियादी ढाँचे का सृजन नहीं हो सका।

(प्रस्तर- 2.2.2)

- राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को व्यवहार्य प्रस्तावों को प्रस्तुत न करने के कारण, राज्य मशीनरी म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत अनुमोदित परिव्यय ₹ 246 करोड़ का लाभ उठाने में विफल रही। परिणामस्वरूप, पर्यावरण शोध एवं परीक्षण केन्द्र जिसे केन्द्रीय योजना के तहत वित्तपोषित किया जाना था, स्थापित नहीं हो सका। साथ ही, पर्यटन क्षेत्र के आधारभूत संरचना की परियोजनाएं एवं उ आ स प के अन्तर्गत हेलिपोर्टस, हैलीपैड्स, हेलिड्रोमस एवं बहुउद्देशीय आश्रय सह-गोदाम के निर्माण द्वारा राज्य की आपदा तैयारियों की परियोजनाओं को नहीं लिया जा सका।

(प्रस्तर- 2.2.3)

- ₹ 294.64 करोड़ की धनराशि, जो म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत निर्गत धनराशि (₹ 4,617.27 करोड़) की 6.38 *प्रतिशत* थी, का व्ययावर्तन अनियोजित कार्यों के निष्पादन के लिये किया गया।

(प्रस्तर- 2.2.4)

- वि आ स - पु व रा आ मो नि से संबन्धित ₹ 30.62 करोड़ की बचतें / अव्ययित अवशेष परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों / इकाईयों के पास अभी भी अवरुद्ध थे जो भारत सरकार को वापस नहीं किए गए।

(प्रस्तर- 2.2.5)

- मार्ग और सेतुओं, नागरिक उड्डयन (वाह्य सहायतित परियोजनाओं के वित्तपोषित) और बाढ़ सुरक्षा कार्यों (के पो यो - पु के तहत वित्तपोषित) के निष्पादन के ठेकों के प्रबंधन में खामियां थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.03 करोड़ के अनुचित / अतिरिक्त / अधिक व्यय हुए थे।

(प्रस्तर- 2.2.6)

- अधिक भुगतान (₹ 1.55 करोड़), अनुबन्ध के नियम / शर्तों के अनुसार लिक्विडेटेड डैमेज आरोपित न किया जाना (₹ 4.25 करोड़), और बिलों से श्रम उपकर की कटौती न करने (₹ 0.16 करोड़) के कारण प क्रि इ द्वारा ठेकेदारों को ₹ 5.96 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया।

(प्रस्तर- 2.2.7)

- राज्य सरकार द्वारा वि आ स - पु निधि के अंतर्गत निर्गत ₹ 1,100 करोड़ में से अप्रयुक्त धनराशि ₹ 274.29 करोड़ को भारत सरकार को समर्पित न करने और अनुबन्ध की समय-सीमा के अनुसार ए वि बैं के ₹ 1,110 करोड़ ऋण में से ₹ 373.50 करोड़ के अप्रयुक्त रहने के कारण ₹ 19.88 करोड़ की परिहार्य योग्य ब्याज देयता बनायी गयी।

(प्रस्तर- 2.2.8)

- परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों / कार्यालयों ने वास्तविक व्यय ₹ 33.94 करोड़ के सापेक्ष ₹ 61.64 करोड़ राशियों के बढ़े हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र उ स / भा स को प्रस्तुत किए थे।

(प्रस्तर- 2.2.10)

योजना और कार्यान्वयन

कार्यों के नियोजन और निष्पादन में कमियों पर क्षेत्रवार लेखापरीक्षा आपत्तियां नीचे उल्लेखित हैं:

मार्ग, सेतु और पैदल मार्ग

मार्ग राज्य की जीवनरेखा हैं क्योंकि उत्तराखण्ड राज्य में लगभग 90 *प्रतिशत* यात्री और सामान का आवागमन मार्ग से होता है। आपदा से लगभग 8,908.78 किमी सड़कें, 85 मोटर सेतु, 140 पैदल सेतु; और लगभग 4,200 गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ था। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के लिए अपने

प्रस्ताव (सितंबर 2013) में भारत सरकार से ₹ 3,456.80 करोड़ की माँग की जिसके सापेक्ष मध्यम और दीर्घकालिक पुनर्निर्माण (म और दी पु) पैकेज के अन्तर्गत ₹ 2,108.49 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित हुआ था। वि आ स - पु, उ आ स प और उ आ रि प के अन्तर्गत 7,290 किमी मार्ग और 170 सेतु आच्छादित किये जाने थे।

आयोजना सम्बन्धी मुद्दे

- म और दी पु पैकेज केवल उन कार्यों के लिए था जो 2013 की आपदा से संबन्धित थे। हालांकि, वि आ स - पु की 525 मार्ग और सेतु की अनुमोदित सूची में, ऐसे 119 मार्ग कार्य और 14 सेतु शामिल थे, जिनकी लागत ₹ 96.08 करोड़ थी जो जून 2013 की आपदा से क्षतिग्रस्त नहीं थे।

(प्रस्तर- 3.2.1.1)

- ₹ 37.99 करोड़ की लागत के 73 मार्ग कार्य जो वि आ स - पु की स्वीकृत सूची में शामिल थे, वित्तपोषण के अन्य स्रोतों के अन्तर्गत भी शामिल थे जिन्हें ₹ 1.25 करोड़ व्यय के बाद रद्द कर दिया गया था। रद्द किये गये कार्यों के स्थान पर और वि आ स - पु के अन्य कार्यों की बचत को समायोजित करने के लिए, वि आ स - पु के अन्तर्गत भा स की स्वीकृत के बिना ₹ 72.05 करोड़ के 123 कार्यों (117 मार्ग और 6 सेतुओं) की स्वीकृति बाद में (2015 और 2016) दी गयी।

(प्रस्तर- 3.2.1.1)

- समान कार्यों को वित्तपोषण के बहु-स्रोतों के तहत एक से अधिक बार लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.52 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। यह दर्शाता है कि मूल कार्यों के निष्पादन के दौरान गुणवत्ता नियंत्रणों को पर्याप्त रूप से लागू व उनका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था।

(प्रस्तर- 3.2.1.2)

- उच्चस्तरीय प्राधिकार समिति द्वारा कार्यों की स्वीकृति न प्रदान करने के कारण ₹ 14.26 करोड़ की लागत से निर्मित मार्ग / सेतुओं की 169 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में से ₹ 5.81 करोड़ लागत की 98 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें अप्रयुक्त रहीं।

(प्रस्तर- 3.2.1.3)

कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दे

- आपदा से क्षतिग्रस्त के रूप चिन्हित 2,400 किमी राज्य राजमार्ग / प्रमुख जिला मार्ग / उत्तराखण्ड राज्य मार्ग सुधार कार्यक्रम मार्ग और 16 सेतुओं के सापेक्ष, परियोजना क्रियान्वयन इकाई-मार्ग और सेतु (प क्रि इ - मा और से) [उत्तराखण्ड आपातकालीन सहायता परियोजना (उ आ स प)] द्वारा केवल 1,968.11 किमी (82 *प्रतिशत*) सड़कों के पुनर्निर्माण कार्य लिये गये और कोई सेतु का काम नहीं लिया गया। इसी प्रकार, कुल चिन्हित क्षतिग्रस्त 4,715 किमी अन्य जिला मार्ग (अ जि मा) /ग्रामीण मार्ग(ग्रा मा) / पैदल मार्ग और 140 सेतुओं के सापेक्ष प क्रि इ -

मा और से [उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी प्रोजेक्ट (उ आ रि प)] द्वारा केवल 1,711.49 किमी अ जि मा / ग्रा मा (36 *प्रतिशत*) और 25 सेतुओं (18 *प्रतिशत*) के पुनर्निर्माण कार्यों को शुरू किया गया था। इन दो वाह्य सहायतित परियोजनाओं के अन्तर्गत चिन्हित क्षतिग्रस्त कार्यों का कम आच्छादन (मार्ग: 48 *प्रतिशत* और सेतु: 84 *प्रतिशत*) अनियोजित / अयोग्य कार्यों के निष्पादन, कार्यों का अधिक आगणन, अनुबंध प्रबंधन की कमी के कारण अधिक व्यय और कार्यों के निष्पादन में अधिक विचलन के कारण हुआ। वि आ स - पु वित्तपोषित मार्गों के आच्छादन में कोई कमी नहीं थी।

(प्रस्तर- 3.2.2.5)

- प क्रि इ (स और से) उ आ स प द्वारा सभी निर्धारित कुल 110 कार्यों को मार्च 2018 तक पूर्ण कर लिया गया जबकि प क्रि इ (स और से) उ आ रि प ने मार्च 2018 तक 262 कार्यों में से मात्र 187 कार्य (71 *प्रतिशत*) पूरा कर सकी। लो नि वि के क्षेत्रीय खण्ड वि आ स - पु वित्तपोषित 525 कार्यों में से मार्च 2018 तक 499 कार्य (95 *प्रतिशत*) पूर्ण कर सके जो कि मार्च 2017 तक पूर्ण किए जाने निर्धारित थे।

(प्रस्तर- 3.2.2.1)

- विभागीय प्रावधानों / स्थायी आदेशों / तकनीकी विनिर्देशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप 28 मार्ग और पाँच सेतु कार्यों में ₹ 58.52 करोड़ का अतिरिक्त / परिहार्य व्यय हुआ।

(प्रस्तर- 3.2.2.2)

पर्यटन बुनियादी ढाँचा

पर्यटन उत्तराखण्ड में अर्थव्यवस्था और आजीविका के स्रोत का एक प्रमुख कारक है और यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद में लगभग 22.48 *प्रतिशत* योगदान देता है। आपदा ने पूर्ण रूप से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के प्रवाह पर निर्भर लोगों की आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित किया। पर्यटन विभाग (प वि) उ स के अनुसार, सरकार की मौजूदा परिसंपत्तियों की अनुमानित भौतिक क्षति पूरे राज्य के लिए ₹ 116.61 करोड़ और अति प्रभावित पाँच जिलों में ₹ 85.30 करोड़ थी। हालांकि, राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के लिये ₹ 809.64 करोड़ की माँग की (सितंबर 2013)। इस प्रस्ताव में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और विशेष रूप से चार धाम यात्रा की सुविधा के लिए नई परियोजनायें और आपदा तैयारी में सुधार के लिए हैलीपैड्स के मौजूदा बुनियादी ढाँचे का विस्तार शामिल था। इस माँग के सापेक्ष, म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ₹ 894.03 करोड़ (वि आ स - पु : ₹ 455.09 करोड़, वा स यो - उ आ स प: ₹ 336.54 करोड़ और के पो यो - पु : ₹ 102.40 करोड़) अनुमोदित थे।

(प्रस्तर- 3.3)

आयोजना सम्बन्धी मुद्दे

- निर्दिष्ट अभिकरणों (गढ़वाल और कुमाऊं मण्डल विकास निगमों) द्वारा पर्यटक बुनियादी संरचना के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए पूर्व-व्यवहार्य रिपोर्टों और मास्टर प्लानों के अध्ययन और तैयारी का कार्य नहीं किया गया था।

(प्रस्तर- 3.3.2.1)

कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दे

- पाँच अति प्रभावित जिलों में पर्यटक आवासों के नुकसान की क्षतिपूर्ति के निर्दिष्ट उद्देश्यों को संपूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा मार्च 2018 तक कुल स्वीकृत 290 हटों (उ आ स प के तहत वित्तपोषित) और 120 कॉटेज (वि आ स - पु के तहत वित्तपोषित) में से क्रमशः मात्र 282 (97.20 *प्रतिशत*) फाइबर रिइन्फोर्स्ड पॉलिमर हट और 92 (76.70 *प्रतिशत*) कॉटेज पूर्ण किये गये थे।

  इसके अलावा, श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग के मरम्मत कार्यों में मात्र 71 *प्रतिशत* भौतिक प्रगति और 68 *प्रतिशत* वित्तीय प्रगति प्राप्त की जा सकी।

  (प्रस्तर- 3.3.1.1 & 3.3.2.2)

- म और दी पु के उ आ स प घटक के तहत, उत्तराखण्ड की आपदा से निपटने की तैयारी की दिशा में पाँच हेलीड्रोमस, 19 हेलीपोर्ट्स, 34 हैलीपैड्स और 3,550 क्षमता की 37 बहुउद्देशीय हॉल (ब हॉ) / आश्रय बनाने की योजना बनाई गई थी। हालांकि, कोई हेलीड्रोमस या हेलीपोर्टस नहीं बनाये गए और 34 हैलीपैड्स में से 07 हैलीपैड्स भूमि की अनुपलब्धता और अभिगम्यता के मुद्दों के कारण निरस्त कर दिये गये। इसके अलावा, नोडल एजेंसी द्वारा भूमि की अनुपलब्धता एवं पूर्व चयनित स्थानों पर हैलीपैड्स के निर्मित न होने के कारण कोई ब हॉ / आश्रय नहीं बनाया गया है। मार्च 2018 तक 26 हैलीपैड्स का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया और सहस्त्रधारा, देहरादून स्थित एक हैलीपैड का निर्माण प्रगति पर था।

  (प्रस्तर- 3.3.3.1)

- सोनप्रयाग (रुद्रप्रयाग) में एक बहुउद्देशीय हॉल (₹ 65.00 करोड़) का निर्माण कार्य जिसका उद्देश्य पर्यटन सुविधाओं को प्रदान करना और श्री केदारनाथ धाम की तीर्थयात्रा को विनियमित करना था, सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ सुरक्षा कार्य को न किये जाने के कारण स्वीकृति की तिथि से चार वर्ष बाद भी प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

  [प्रस्तर- 3.3.1.1 (अ)]

- केदारनाथ शहर में तीर्थ पुरोहितों के लिए वि आ स - पु के तहत ₹ 38.63 करोड़ की लागत से स्वीकृत 113 घरों में से नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (ने प सं) द्वारा मात्र 40 घरों का निर्माण कार्य किया गया। स्वीकृति की तिथि से दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी किसी भी घर का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। सरकारी प्राधिकारी द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट / आरेखण और लाभार्थियों के साथ अनुबन्ध को अंतिम रूप न देने, भूमि आवंटित न किये जाने के कारण शेष 73 घर के कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके थे। इसके अतिरिक्त, केदारनाथ शहर में निर्माण के लिये स्वीकृत तीन सेतुओं (जून 2015) में से, मार्च 2018 तक ने प सं द्वारा मात्र एक सेतु (₹ 1.98 करोड़) का निर्माण किया गया था।

  [प्रस्तर- 3.3.1.1 (ब)]

- उ आ स प के अधीन कुमाऊं मण्डल विकास निगम और प क्रि इ नागरिक उड्डयन के चार कार्यों का आगणन अधिक किया गया था जिसके परिणामस्वरूप राजकोष पर ₹ 3.92 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा।

(प्रस्तर- 3.3.2.2, 3.3.3.2)

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण

सिंचाई विभाग के अनुसार आपदा ने राज्य में विद्यमान कुल 11,702 किमी लंबाई में से 495 किमी के नहर कार्यों को क्षति पहुंचायी थी। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा 74 किमी लंबाई के 508 बाढ़ सुरक्षा कार्य (बा सु का), 60 लिफ्ट नहर योजनाएं, 53 नलकूप, 02 झीलें, 01 बैराज और 12 भवनों की पहचान भी 2013 की आपदा से क्षतिग्रस्त के रूप में की गयी थी। राज्य सरकार ने अपने प्रस्ताव (सितंबर 2013) में भारत सरकार से इस क्षेत्र के लिए ₹ 1,215.17 करोड़ की माँग की जिसके सापेक्ष म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत ₹ 1,062.12 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। हालांकि, भारत सरकार ने के पो यो - पु के अधीन मात्र ₹ 79.52 करोड़ (₹ 940.21 करोड़ के परिव्यय के सापेक्ष) जारी किये।

(प्रस्तर - 3.4)

आयोजना सम्बन्धी मुद्दे

- म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत वित्तपोषण के लिए विभाग द्वारा मात्र बाढ़ सुरक्षा के कार्य (बा सु का) प्रस्तावित किये गये थे, जबकि क्षतिग्रस्त सिंचाई नहरों, लिफ्ट नहर योजनाओं, नलकूपों, झीलों, बैराज और भवनों के पुनर्निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं था जिससे स्थानीय जनता आजीविका के मुख्य स्रोत के सहयोग के उद्देशीय लाभ से वंचित रही।

(प्रस्तर- 3.4.1.1)

- अनुमोदन के लिए प्रस्तुत 74 कार्यों में से छः बा सु का कार्य (₹ 64.28 करोड़) जून 2013 की आपदा से पहले की अवधि से संबन्धित थे। ये छः बा सु का या तो पहले से ही विभाग के पास विचाराधीन थे या जून 2013 की आपदा से पहले ही विभाग की तकनीकी सलाहकार समिति के वांछित अनुमति की प्राप्ति के उपरान्त स्वीकृत होने की प्रक्रिया में थे।

(प्रस्तर- 3.4.1.1)

- ₹ 125.52 करोड़ लागत के दो कार्यों को सिंचाई विभाग के के पो यो - पु कार्यों के अन्तर्गत शामिल किया गया था, जो विद्युत क्षेत्र [उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यू जे वी एन एल) के मनेरी-भाली चरण-I और II जल विद्युत परियोजनाओं] से संबन्धित थे।

(प्रस्तर- 3.4.1.2)

कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दे

- 77 बा सु का स्वीकृत किये गये थे, सिंचाई विभाग द्वारा जिनमें से 45 कार्य (58 *प्रतिशत*) पूर्ण किये जा चुके थे, 20 कार्य (26 *प्रतिशत*) भा स द्वारा के पो यो - पु की धनराशि कम निर्गत किये जाने के कारण बाधित थे। वि आ स - पु के 12 कार्य (16 *प्रतिशत*) प्रगति में थे क्योंकि ये कार्य उ स द्वारा जुलाई 2017 में स्वीकृत किए गए थे।

(प्रस्तर- 3.4)

- 20 बा सु का (₹ 187.73 करोड़) के अनुबंधों को आवश्यक राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया (ई-निविदा) को अभिग्रहण किये बिना 1,215 अनुबंधों में विभाजित किया गया था, जिसमें 193 अनुबंध (₹ 39.73 करोड़) वित्तीय अधिकारों का उल्लंघन कर 56 व्यक्तिगत ठेकेदारों को प्रदान किया गया था।

(प्रस्तर- 3.4.2.1)

विद्युत एवं ऊर्जा

यह आपदा उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यू जे वी एन एल) की 553.85 मेगावॉट क्षमता वाले 13 संचालित / परिचालनरत लघु और बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं और उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) की 126 गाँवों / बस्तियों को विद्युत आपूर्ति प्रदान करने वाले 46 लघु जल विद्युत परियोजनाओं (ल ज वि प) जिनकी संयुक्त स्थापित क्षमता 6.47 मेगावॉट थी, की व्यापक क्षति का कारक बनी। विद्युत और ऊर्जा क्षेत्र की अनुमानित क्षति ₹ 151.80 करोड़ थी जिसके सापेक्ष भा स द्वारा वि आ स - पु के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ (यू जे वी एन एल: ₹ 32.40 करोड़, उरेडा: ₹ 17.60 करोड़ यू पी सी एल: ₹ 50 करोड़) इस शर्त के साथ अनुमोदित किए गए थे कि यू जे वी एन एल (₹ 47.60 करोड़) और उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) (₹ 4.20 करोड़) की शेष आवश्यकता को बाजार स्रोतों से उठाया जाना चाहिये क्योंकि ये विद्युत इकाईयां वाणिज्यिक संस्थायें हैं। हालांकि, यू जे वी एन एल (₹ 57.72 करोड़) और यू पी सी एल (₹ 60.60 करोड़) के सम्बन्ध में उ स द्वारा वास्तविक आवंटन अधिक था।

(प्रस्तर-3.5)

आयोजना सम्बन्धी मुद्दे

- यू पी सी एल के एक विद्युत वितरण खण्ड (उत्तरकाशी) ने 11 के वी लाइनों के पाँच क्षतिग्रस्त कार्यों की पुनर्स्थापना के लिये जिलाधिकारी-उत्तरकाशी से राज्य आपदा मोचन निधि से ₹ 36.56 लाख इस तथ्य के बावजूद प्राप्त किये कि इनके प्रस्ताव वि आ स - पु के अन्तर्गत शामिल थे। इसी तरह, 46 ल ज वि प की बहाली हेतु वि आ स - पु के अन्तर्गत पूर्ण अनुमोदित परिव्यय (₹ 17.60 करोड़) की स्वीकृति के बावजूद, यूरेडा ने टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (टी एच डी सी) इंडिया लिमिटेड (केंद्रीय-सा क्षे इ) से 25 ल ज वि प के लिए ₹ 181.24 लाख वापस न किए जाने योग्य अतिरिक्त धनराशि और राष्ट्रीय / राज्य आपदा मोचन निधि के

अन्तर्गत सम्बन्धित जिला प्राधिकरणों से 11 ल ज वि प के लिए ₹ 91.73 लाख की धनराशि प्राप्त की। बहु-स्रोतो से वित्तपोषण व स्वीकृत राशियों के सापेक्ष कार्यों के कम लागत में पूर्ण होने की वजह से ₹ 2.45 करोड़ (उरेडा द्वारा ₹ 0.92 करोड़ और यू पी सी एल द्वारा ₹ 1.53 करोड़) की बचत हुई ये बचतें अभी तक भा स / उ स को समर्पित नहीं की गयी।

(प्रस्तर- 3.5.1.1)

कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दे

- यू जे वी एन एल द्वारा 13 बड़े एवं छोटी ज वि प में से छः ल ज वि प के पुनर्निर्माण कार्यों को उरेडा को हस्तांतरित कर दिया गया। शेष सात में से चार ज वि प को यू जे वी एन एल द्वारा पुनर्स्थापित किया जा चुका था। उरेडा द्वारा 52 ल ज वि प (यू जे वी एन एल से हस्तांतरित छः को सम्मिलित करते हुये) में से 46 ल ज वि प को पुनर्स्थापित किया गया। राज्य सरकार द्वारा यू जे वी एन एल को ₹ 25.32 करोड़ के अतिरिक्त धन आवंटन के बावजूद यू जे वी एन एल द्वारा 5.45 मेगावॉट के तीन ज वि प और उरेडा द्वारा 4.8 मेगावॉट के चार ज वि प के पुनर्स्थापन कार्य अभी तक पूर्ण / आरम्भ नहीं किए गए थे। उरेडा द्वारा दो ल ज वि प के पुनर्निर्माण कार्य का परित्याग किया जा चुका है।

(प्रस्तर- 3.5.2.1)

- 33 / 11 के वी उप-स्टेशन कर्मी (बागेश्वर) से 11 के वी लाइन का निर्माण कार्य तीन वर्षों के उपरान्त व ₹ 2.15 करोड़ व्यय के बावजूद भी पूर्ण नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर- 3.5.2.3)

लोक भवन

आपदा में 995 लोक भवन क्षतिग्रस्त (212 पूर्ण और 783 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त) थे जिनमें से 836 आंशिक / पूर्ण क्षतिग्रस्त भवनों [उ आ रि प के तहत 21 शासकीय भवन जहाँ एक समर्पित प क्रि इ स्थापित थी, वि आ स - पु के तहत 32 औ प्र सं भवन, स शि अ (के पो यो) के तहत 736 विद्यालय भवन, एकीकृत बाल विकास सेवाओं (के पो यो) के तहत 47 भवन] के पुनर्निर्माण को म और दी पु के अन्तर्गत योजनाबद्ध / स्वीकृत किया गया था।

आयोजना सम्बन्धी मुद्दे

- निर्माण के लिए चिन्हित किये गये 32 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (औ प्र सं) भवनों में से ₹ 36.62 करोड़ लागत की केवल 22 औ प्र सं भवनों के लिए प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति दी गई और शेष 10 औ प्र सं भवनों (₹ 13.38 करोड़) के लिए उ स द्वारा अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई थी।

(प्रस्तर- 3.6.1.1)

- के पो यो - पु (सर्व शिक्षा अभियान- स शि अ) के अधीन स्वीकृत, 63 स्कूल भवन (क्षतिग्रस्त दिखाये गए 114 स्वीकृत स्कूलों भवनों में से) वास्तव में 2013 की आपदा में क्षतिग्रस्त ही नहीं थे।

(प्रस्तर- 3.6.1.2)

कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दे

- 22 औ प्र सं भवनों में से, सात औ प्र सं भवनों का निर्माण पूरा हो गया था परन्तु उनके स्थल विकास कार्य धन की माँग के कारण लम्बित थे, भूमि की अनुपलब्धता / स्थानीय जनता के अवरोध के कारण तीन भवनों के निर्माण कार्य रुके थे और नौं औ प्र सं भवन निर्माणाधीन थे। तीन भवनों को अभी तक शुरू नहीं किया गया था।

(प्रस्तर- 3.6.2.1)

- उ आ रि प के अंतर्गत पुनर्निर्माण हेतु लिए गए 21 भवनों में से प क्रि इ द्वारा मात्र छः भवनों (₹ 8.08 करोड़) के पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण किया जा सका और 13 कार्य (₹ 45.29 करोड़) 10 से 83 *प्रतिशत* भौतिक प्रगति के साथ निर्माणाधीन थे। एक औ प्र सं भवन का कार्य अभी तक अनारम्भ था और खाद्य भण्डार के निर्माण का एक कार्य ₹ 1.67 करोड़ व्यय के उपरान्त रुका हुआ था।

(प्रस्तर- 3.6.2.2)

रिहायशी आवास

उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना के अन्तर्गत, स्वामित्व चलित आवास निर्माण (स्वा च आ नि) के अन्तर्गत आवासीय घरों के पुनर्निर्माण को विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया था। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जि आ प्र प्रा) की सिफारिशों पर, 2,488 लाभार्थियों का भुगतान संबन्धित का क्रि इ द्वारा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया गया था। सभी 2,488 स्वा च आ नि पूर्ण हो चुके थे।

- कुल 2,488 लाभार्थियों में से 136 लाभार्थियों के पास उनके नाम से भूमि का मालिकाना हक नहीं था जो योजना के प्रावधानों के खिलाफ था।

(प्रस्तर- 3.7.1)

- यद्दपि राज्य सरकार ने स्वा च आ नि के निर्माण के लिए 127 लाभार्थियों को भूमि प्रदान की क्योंकि उनकी भूमि घरों के निर्माण के लिए सुरक्षित नहीं थी, क्षतिग्रस्त संपत्ति / घरों को राज्य सरकार के पक्ष में स्थानांतरित नहीं किया गया था, जो कि योजना दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक था।

(प्रस्तर- 3.7.2)

कृषि और मृदा संरक्षण

राज्य सरकार ने मृदा संरक्षण कार्यकलापों और बाढ़ से बहे कृषि भूमि के पुनर्स्थापन के लिए वि आ स - पु के अन्तर्गत ₹ 14 करोड़ का अनुरोध किया। भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण धनराशि को अनुमोदित और स्वीकृत किया गया था। विभाग ने निर्गत धनराशि से ₹ 13.49 करोड़ के 241 भूमि संरक्षण कार्यों और ₹ 0.51 करोड़ की लागत के चार विभागीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण कार्यों को निष्पादित किया 31 मार्च 2018 तक विभाग द्वारा सभी कार्यों को पूर्ण किया जा चुका था।

- विभाग द्वारा हालांकि सभी मृदा संरक्षण कार्यों को बिना निविदा प्रक्रियाओं के अनुपालन किए निष्पादित करवाया गया था। यह उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के प्रावधानों के विरुद्ध था जो प्रावधानित करती है कि तीन लाख से अधिक लागत के सभी कार्यों को निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निष्पादित करवाया जाना चाहिए।

(प्रस्तर- 3.8)

पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता

ए वि बैं-उ आ स प के अंतर्गत, जल-स्रोत से जल भंडारण / वितरण टैंक को आपूर्ति वाली क्षतिग्रस्त जलापूर्ति योजना के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के लिए नौं शहरों की 12 पेयजल परियोजनायें ली गई थीं। लेखापरीक्षा द्वारा इन 12 परियोजनाओं का चयन नगरों / कस्बों को की जाने वाली जलापूर्ति की मात्रा की पर्याप्तता एवं गुणवत्ता की जाँच हेतु किया गया था। मात्रा एवं गुणवत्ता रिपोर्ट से देखा गया था कि जलापूर्ति की मात्रा एवं गुणवत्ता विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में स्वीकृत डिज़ाइनों के मानक के अनुरूप थी। साथ ही, जलापूर्ति की निगरानी खण्डीय स्तर के साथ-साथ उत्तराखण्ड जल संस्थान के देहरादून मुख्यालय स्थापित / प्रदर्शित आनलाईन पर्यवेक्षण नियन्त्रण व डाटा प्राप्ति प्रणाली के द्वारा की जा रही थी।

(प्रस्तर- 3.11)

पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और गुणवत्ता नियंत्रण

- निरीक्षण के दौरान उच्च अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न किए जाने के कारण 12 कार्यों के सम्बन्ध में पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र अप्रभावी पाया गया।

(प्रस्तर- 4.3.2)

- सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ सुरक्षा कार्यों का त्रिपक्षीय गुणवत्ता नियंत्रण और मूल्यांकन राज्य सरकार की सूचीबद्ध अभिकरण से नहीं कराया गया था, जो कि उ स द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आवश्यक था।

(प्रस्तर- 4.3.3)

- मार्ग कार्यों का गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र अप्रभावी था क्योंकि लो नि वि के गुणवत्ता नियंत्रण इकाई द्वारा म और दी पु के अन्तर्गत निर्मित कुल 296 में से 181 कार्यों (61 *प्रतिशत*) को निम्न गुणवत्ता (असंतोषजनक / सुधार आवश्यक) के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया था।

(प्रस्तर- 4.3.4)

अध्याय - 1

उत्तराखण्ड में 2013 की आपदा के उपरान्त बुनियादी ढाँचे का पुनर्निर्माण-एक विहंगावलोकन

अध्याय-1: उत्तराखण्ड में 2013 की आपदा के उपरान्त बुनियादी ढाँचे का पुनर्निर्माण - एक विहंगावलोकन

1.1 2013 की आपदा

उत्तराखण्ड द्वारा 15 से 17 जून 2013 के दौरान हिमालय के ऊंचाई वाले स्थानों के अधिकांश हिस्सों में बादल फटने और भारी (64.5-124.4 मिमी) से बहुत भारी वर्षा (124.5-244.4 मिमी) के रूप में आई एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा का सामना किया गया। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ एवं आस-पास के पहाड़ी क्षेत्रों के मार्गों में हुई इस अभूतपूर्व वर्षा के फलस्वरूप पानी के स्तर में अचानक वृद्धि हुई जिसके कारण मन्दाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी और अन्य नदी घाटियों में अचानक आयी बाढ़ के कारण व्यापक कटाव और राज्य के विभिन्न स्थानों में भूस्खलन का सिलसिला शुरू हुआ।

अचानक आयी बाढ़ और भूस्खलन के कारण भौतिक बुनियादी ढाँचे, कृषि क्षेत्र, मानव व पशु जीवन की भारी क्षति एवं व्यापक विनाश हुआ। गाद से भरी नदियों के कारण अनगिनत भूस्खलन एवं तटीयकटाव[1] के परिणामस्वरूप कई स्थानों पर मार्ग / राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गये और कई पुल (स्टील गर्डर पुल, बीम आधारित झूला पुल / केबल पुल) बह गये। राज्य के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और लिंक मार्गों पर यातायात बाधित होने के साथ-साथ दूरसंचार लाइनें विघटित हुईं जिसने सामूहिक रूप से आपदा के प्रभाव को बढ़ाया था।

रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ तीर्थ के चारों तरफ और इसके निचले क्षेत्रों के आसपास मन्दाकिनी नदी घाटी में सबसे बुरा प्रभाव दिखायी दिया। पूरा केदारनाथ शहर क्षणिक अवधि में ही ग्लेशियरीय मलबे और पत्थरों के एक डंपिंग ग्राउंड में परिवर्तित हो गया था (जैसा कि तस्वीरों से देखा जा सकता है)। मन्दाकिनी घाटी के नीचे की ओर स्थित रामबाड़ा शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया जबकि गौरीकुंड और सोनप्रयाग शहर बुरी तरह से प्रभावित हुए थे।

यह दुखद घटना राज्य के भीतर व्यस्ततम पर्यटक और तीर्थयात्रा सीज़न में हुई जिसके कारण मृतकों की संख्या, लापता और प्रभावित जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई और आपदा का प्रभाव कई गुना रहा। राज्य सरकार के सूत्रों के अनुसार लगभग एक हजार मानव जीवन समाप्त हो गए; 5,400 से ज्यादा

---

[1] नदी के किनारों का फैल जाना, यह तब घटित होता है जब नदी के मोड़ पर बहाव किनारों की दिशा में और नदी के बाहरी किनारों पर अधिकतम होता है।

लोग लापता हो गये; 70,000 से अधिक पर्यटकों और 1,00,000 स्थानीय निवासियों को ऊपरी पहाड़ी भू-भाग की ओर रुख करना पड़ा।

उत्तराखण्ड राज्य के अंतर्गत 13 जिले, दो मण्डलों (गढ़वाल और कुमाऊँ) में फैले हुये है जिनका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53,484 वर्ग किमी है। 2011 की राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार, राज्य की आबादी 1.01 करोड़ थी जिसमें ग्रामीण आबादी लगभग 70 *प्रतिशत* थी। राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषि और पर्यटन पर निर्भर करती है। जून 2013 की आपदा से सभी जनपद प्रभावित थे। उच्च हिमालयी जिले बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी इस आपदा से सर्वाधिक प्रभावित थे।

1.2 उत्तराखण्ड में आपदा प्रबंधन का ढाँचा

1.2.1 विधायी सरंचना

भारत सरकार द्वारा दिसंबर, 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम अधिसूचित किया गया, तत्पश्चात 2009 में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति अधिसूचित की गयी। यह नीति राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर संस्थागत, कानूनी, वित्तीय और समन्वय तंत्र स्थापित करती है।

राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (राष्ट्रीय आ प्र प्रा), राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (राज्य आ प्र प्रा) और जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जि आ प्र प्रा) की स्थापना इस अधिनियम के अंतर्गत संस्थागत ढाँचे के भाग के रूप में की गयी है।

1.2.2 संस्थागत सरंचना

आपदा प्रबंधन विभाग (आ प्र वि), उत्तराखण्ड सरकार के सचिव के नेतृत्व में नोडल विभाग है, जो सभी आपदा प्रबंधन सम्बन्धी गतिविधियों को समन्वित / क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। आ प्र वि त्रिस्तरीय संस्थागत ढाँचे के माध्यम से कार्य करता है, जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

राज्य सरकार

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (रा आ प्र प्रा)

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत इसकी स्थापना (दिसम्बर 2007) राष्ट्रीय/राज्य नीतियों और योजनाओं में समन्वय और कार्यान्वयन, दिशानिर्देशों की स्थापना करने, क्षेत्र में निर्माण की जाँच करने के लिए की गयी थी।
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। आ प्रा वि के मंत्री उपाध्यक्ष होते है। मुख्य सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मु का अ) के रूप में, मंत्री-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सिचाई और पेयजल, परिवहन, ग्राम्य विकास; और प्रमुख सचिव वित्त एवं आपदा प्रबन्धन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं।

आपदा प्रबन्धन विभाग (आ प्र वि)

- राज्य में सभी आपदा प्रबन्धन गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं समन्वयन की ज़िम्मेदारी हेतु नोडल विभाग है।
- सचिव द्वारा नेतृत्व आपदा से उत्पन्न राहत एवं पुनर्वास के संबन्धित सभी मामले इस विभाग द्वारा देखे जाने है।

राज्य कार्यकारी समिति (रा का स)

- आपदा प्रबंधन अधिनियम (2005) के प्रावधानों के अंतर्गत गठित।
- उ रा आ प्र प्रा की सहायता और राज्य प्राधिकरण द्वारा स्थापित दिशानिर्देशों के अनुसार समन्वयन क्रिया के लिए मुख्य सचिव द्वारा नेतृत्व।

उच्चस्तरीय प्राधिकार समिति (उ प्रा स)

- आपदा के पश्चात पुनर्निर्माण कार्यो की स्वीकृति के लिए राज्य द्वारा गठित।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता।
- पुनर्निर्माण परियोजनाओं की त्वरित और एकल खिड़की निकासी के लिए जिम्मेदार है।

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केंद्र (आ न्यू एवं प्र के)

- जनता को जागरूक करना, क्षमता विकास, डेटाबेस निर्माण और अद्यतनीकरण, खतरे के जोखिम और संवेदनशील मूल्यांकन कार्य के लिए गठित स्वायत्त निकाय।
- कार्यकारी निदेशक द्वारा नेतृत्व।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (जि आ प्र प्रा)

- जिलाधिकारियों द्वारा जि आ प्र प्रा के माध्यम से आपदा प्रबंधन से संबन्धित सभी गतिविधियों का प्रबंधन किया जाता है।
- जिलाअधिकारी की अध्यक्षता मे कार्य करता है और जिला पंचायत के अध्यक्ष सहअध्यक्ष, प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबंधन (अतिरिक्त जिलाधिकारी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अधिशासी अभियंता सदस्य होते है।

जिला आपदा संचालन केंद्र (जि आ सं के)

- सभी जिलों में स्थापित।
- पूरे वर्ष 24x7 संचालन के लिए बना।

स्थल संचालन केंद्र (स्थ सं कें)

- किसी भी आपदा के बाद, तहसील, ब्लाक या ग्राम स्तर पर स्थ स कें स्थापित किए जाने का प्रावधान है।
- आपदा की प्रकृति के आधार पर राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा नेतृत्व।

1.2.3 मध्यम एवं दीर्घकालिक पुनर्निर्माण कार्यों का प्रबन्धन

उत्तराखण्ड में 2013 की आपदा के बाद प्रत्येक उपजिलाधिकारी को राष्ट्रीय / राज्य आपदा मोचन निधि से तत्काल / महत्वपूर्ण प्रकृति कार्यों से संबंधित परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी के लिए विशेष शक्तियां सौंपी गईं थी। तथापि, मध्यम और दीर्घकालिक पुनर्निर्माण के कार्य सम्बन्धित कार्यकारी विभागों और इस उद्देश्य से स्थापित समर्पित परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों (प क्रि इ) को सौंपे गये थे।

1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

उत्तराखण्ड में भारी आपदा के परिणामस्वरूप (जून 2013), भारत सरकार द्वारा राज्य में 'मध्यम और दीर्घकालिक पुनर्निर्माण' के लिए ₹ 6,259.84 करोड़ का एक विशेष पैकेज अनुमोदित (जनवरी 2014) किया गया था।

यह निष्पादन लेखा परीक्षा भारत सरकार व वाह्य एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशियों के उपयोग और प्रबंधन व राज्य के कार्यकारी विभागों के माध्यम से विभिन्न पुनर्निर्माण कार्यों को निष्पादित करने में राज्य के तंत्र की दक्षता व प्रभावकारिता का आंकलन करने के लिए की गयी।

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य सुनिश्चित करना था कि क्या:

- प्रत्येक स्तर पर आवंटित निधियों का प्रबंधन परियोजनाओं के सर्वोत्कृष्ट उपयोग और समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त था;
- संपत्तियों के नुकसान का आंकलन और पहचान यथार्थ रूप से और समय पर किया गया था;
- पुनर्स्थापना कार्यों का नियोजन और परियोजना की मंजूरी के लिए निर्धारित प्रणाली / प्रक्रिया का प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसियों / विभागों द्वारा पालन किया गया था और आपदा पैकेज के विभिन्न घटकों के तहत कार्यों की स्वीकृति देने में कोई दोहराव तो नहीं हुआ था;
- निर्दिष्ट संस्थाओं / विभागों द्वारा पश्च आपदा पुनर्निर्माण कार्यों का समग्र प्रबंधन / निष्पादन मितव्ययी, दक्षतापूर्ण और प्रभावी था; तथा
- कार्यान्वित कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये प क्रि इ / विभागों / संस्थाओं के नामित प्राधिकारियों द्वारा पुनर्निर्माण गतिविधियों का पर्याप्त अनुश्रवण और निरीक्षण किया गया था।

1.3.1 निष्पादन लेखापरीक्षा का क्षेत्र, सीमा एवं आच्छादन

यह निष्पादन लेखापरीक्षा, मई और नवंबर 2017 के बीच आयोजित की गई जिसमें मध्यम और दीर्घकालिक पुनर्निर्माण (म और दी पु) पैकेज के अन्तर्गत जनवरी 2014 और मार्च 2017 के मध्य स्वीकृत कार्यों को आच्छादित किया गया था। यद्यपि, वित्तीय स्थिति एवं म और दी पु कार्यों की स्थिति को बाद में (जुलाई / अगस्त 2018) मार्च 2018 तक अद्यतन किया गया था। लेखापरीक्षा केवल उन कार्यों पर केंद्रित थी जो 2013 आपदा में क्षतिग्रस्त हुए और म और दी पु पैकेज में स्वीकृत किये गये थे। उत्तराखण्ड में इस प्राकृतिक आपदा (जून 2013) के तत्काल प्रतिक्रिया, राहत

और पुनर्स्थापन गतिविधियों से संबन्धित बिन्दुओं को पृथक निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन[2] में पहले ही शामिल किया जा चुका है।

लेखापरीक्षा आच्छादन:

- 13 प्रभावित जिलों में से गंभीर रूप से प्रभावित पाँच जिले (बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी)।
- पाँच चयनित जिलों के कुल 143 क्रियान्वयन इकाईयों में से 90 परियोजना क्रियान्वयन इकाईयाँ / कार्यालयों और 21 राज्य स्तरीय नोडल कार्यालयों / विभागों और 32 नोडल कार्यालय।
- प्रत्येक निधि स्रोत के राज्य स्तरीय नोडल कार्यालयों (निदेशालय / परियोजना प्रबन्धन इकाई) को, विशेष आयोजनागत सहायता-पुनर्निर्माण एवं केंद्रीय पोषित योजना-पुनर्निर्माण से सम्बन्धित 11 नोडल कार्यालयों / विभागों को कम / शून्य निधि आवंटित होने के कारण छोड़कर अनिवार्य इकाई के रूप में चयनित किया गया। चयनित नोडल कार्यालयों का संक्षिप्त वर्णन नीचे **तालिका-1.1** में दर्शाया गया है:

तालिका-1.1: अनिवार्य इकाई के रूप में चयनित नोडल कार्यालयों की संक्षिप्त स्थिति

निधि का स्रोत	नोडल इकाईयों की कुल संख्या[3]	चयनित नोडल इकाईयों की संख्या	विभागों / योजनाओं के नाम जो निधियों के कम / शून्य आवंटन के कारण लेखापरीक्षा आच्छादन के लिए चयनित नहीं किए गए
वि आ स - पु	10	08	**वि आ स - पु:** 1.पशुधन 2. मत्स्य पालन **के पो यो - पु: 1. शहरी विकास** (जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना और राजीव आवास योजना) **2. आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन** (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन **3. ग्रामीण विकास** (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और इन्दिरा आवास योजना) **4. गृह मामले** (सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम) **5. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन) **6. पेयजल और स्वच्छता** (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम) **7. पशुपालन, दुग्ध और मत्स्य पालन** (राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम और दुग्ध विकास के लिए राष्ट्रीय योजना) **8. खेल** (पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान) **9. पर्यावरण और वन** (राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण)
के पो यो - पु	14	05	
वा स यो	10	10	
रा आ मो नि	01	01	
कुल	**32**	**21**	

- चयनित प क्रि इ के कुल 2,359 स्वीकृत कार्यों (₹ 4,122 करोड़) में से ₹ 1,681.52 करोड़ लागत के 483 कार्यों की लेखापरीक्षा की गयी जो स्वीकृत कार्यों की संख्या का 20 *प्रतिशत* और स्वीकृत लागत के सम्बन्ध मे 41 *प्रतिशत* है।

1.3.2 इकाईयों / कार्यालयों और कार्यों के चयन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया

वित्तपोषण प्रक्रिया की जटिल प्रकृति और सम्मिलित इकाईयों की बड़ी संख्या को दृष्टिगत रखते हुए इकाईयों के चयन और प्रत्येक इकाई के अंतर्गत कार्यो के चयन के लिए निम्नलिखित चरणों को अपनाया गया था।

चरण-1: जिला वित्तीय रूपरेखा को तैयार करना

प्रत्येक चयनित जिले के लिए जिला स्तरीय कार्यान्वयन इकाईयों / कार्यालयों को विशेष आयोजनागत सहायता-पुनर्निर्माण (वि आ स - पु), केंद्र पोषित योजना-पुनर्निर्माण (के पो यो - पु), दो वाहय

---

[2] 31 मार्च 2014 के समाप्त हुये वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का राज्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (स. 2 वर्ष 2015)।

[3] तीन नोडल इकाईयाँ (पर्यटन, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास) वि आ स -पु और के पो यो -पु के लिए समान थे।

सहायतित परियोजनाओं (वा स प) और राष्ट्रीय / राज्य आपदा मोचन निधि (राष्ट्रीय / राज्य आ मो नि) के तहत प्रदत्त हर श्रेणी के वित्तपोषण के लिए एक वित्तीय रूपरेखा तैयार की गई थी।

चरण-2: जिला स्तर की इकाईयों का चयन

एक जिले की सभी प क्रि इ को आवंटित निधियों के संचयी योग के आधार पर वर्गीकृत किया गया था और लेखापरीक्षा के आच्छादन के लिए इकाईयों का निर्णय निम्न **तालिका-1.2** में दिए गए मानदंडों के अनुसार किया गया था:

तालिका-1.2: लेखापरीक्षा आच्छादन के लिए इकाईयों का वर्गीकरण और चयन मानदंड

आवंटित धनराशि का संचयी योग	इकाईयों का वर्गीकरण	चयन मानदंड[4] (नमूना आकार)	चयनित इकाईयों की संख्या
₹ 10 करोड़ और अधिक	**अ**	100 *प्रतिशत* इकाईयां	43
₹ 5 करोड़ से 10 करोड़ तक	**ब**	75 *प्रतिशत* इकाईयां	07
₹ 2.5 करोड़ से 5 करोड़ तक	**स**	50 *प्रतिशत* इकाईयां	21
₹ 2.5 करोड़ तक	**द**	25 *प्रतिशत* इकाईयां	19

उपरोक्त तालिका में दिये गए मानदंड के अनुसार इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए आच्छादित सभी इकाईयों की सूची ***परिशिष्ठ-1.1*** में दी गई है।

चरण-3: चयनित इकाईयों के अधीन कार्यों के चयन के मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित प्रत्येक इकाई के अन्तर्गत चयनित कार्यों का *प्रतिशत* निम्नानुसार था:

तालिका-1.3: चयनित इकाईयों में कार्यों के चयन का मानदंड

इकाई में कुल कार्यों की संख्या	निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित कार्यों का प्रतिशत
10 कार्य तक	कुल कार्यों का 50 *प्रतिशत* परंतु न्यूनतम 05 कार्य
10 कार्य से अधिक एवं 25 कार्य तक	कुल कार्यों का 30 *प्रतिशत* परंतु न्यूनतम 05 कार्य
25 कार्य से अधिक	कुल कार्यों का 15 *प्रतिशत* परंतु न्यूनतम 08 कार्य
• चयन कार्य के स्वीकृत लागत को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के आधार पर किया गया था। . • अनारम्भ एवं रुके हुये कार्यों को भी कारणों को जानने के लिए जांचा गया। .	

इसके अतिरिक्त, सामान्य स्थिति के पुनर्स्थापन की ओर जलापूर्ति योजनाओं के जटिलता को ध्यान में रखते हुये, उत्तराखण्ड आपातकालीन सहायता परियोजना (उ आ स प) के अंतर्गत वित्तपोषित जलापूर्ति योजनाओं की जाँच भी लेखापरीक्षा द्वारा की गयी थी।

कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने के लिए कार्यान्वित इकाईयों के प्रतिनिधि के साथ जहां भी संभव हुआ, संयुक्त भौतिक निरीक्षण (प्रत्येक इकाई का एक कार्य) भी किया गया था।

1.3.3 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम और इनके अंतर्गत जारी विभिन्न दिशानिर्देश;

---

[4] श्रेणी ब, स और द के इकाईयों का चयन आवंटित धनराशि के संचयी योग को घटते क्रम में रखकर किया गया था।

- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियम और अन्य राज्य वित्तीय नियम जो निधियों के प्रबंधन और कार्यों के निष्पादन के लिए लागू होते हैं;
- क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे और सार्वजनिक संपत्तियों के पुनर्निर्माण के दौरान तकनीकी विनिर्देशों और मानदंडों जिनका पालन करना आवश्यक था;
- वा स प के लिए एशियन विकास बैंक और विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षरित अनुबन्धों के अधीन नियम व शर्तों और उनके कार्यान्वयन मैनुअलों (परियोजना प्रशासन मैनुअल और परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज) के प्रावधानों; तथा
- क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना के लिए भा स एवं उ स द्वारा जारी आदेशों के अंतर्गत निधियों की स्वीकृति और अवमुक्ति के नियम और शर्तें।

1.3.4 प्रवेश और निकास गोष्ठियाँ

लेखापरीक्षा शुरू करने से पहले, निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखा परीक्षा उद्देश्यों, मानदंडों, पद्धति और समय सीमा को सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, उ स के साथ प्रवेश गोष्ठी के दौरान चर्चा की गई (27 अप्रैल 2017)। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग और नोडल संस्थाओं के अन्य विभागीय प्रमुखों / प्रतिनिधियों के साथ एक निकास गोष्ठी (1 फरवरी 2018) में चर्चा की गई। शासन के उत्तर / विचारों को प्रतिवेदन में यथोचित स्थान पर सम्मलित किया गया है ।

1.3.5 लेखापरीक्षा निष्कर्षों का व्यवस्थापन

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को **चार** अध्यायों में सम्मलित किया गया है। **अध्याय-2** निधियों के प्रबंधन से संबंधित लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा करता है; **अध्याय-3** में क्षेत्रवार योजना और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण से संबंधित बिन्दु लाये गये है; **अध्याय-4** पुनर्निर्माण कार्यों के 'पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और गुणवत्ता नियंत्रण' से संबंधित बिन्दुओं का आच्छादन करता है। **अध्याय-5** में लेखापरीक्षा के निष्कर्ष और संस्तुतियों को लाया गया है। लेखापरीक्षा अवलोकनों का सारांश निम्न **चार्ट-1.1** में दिया गया है:

चार्ट-1.1: लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश

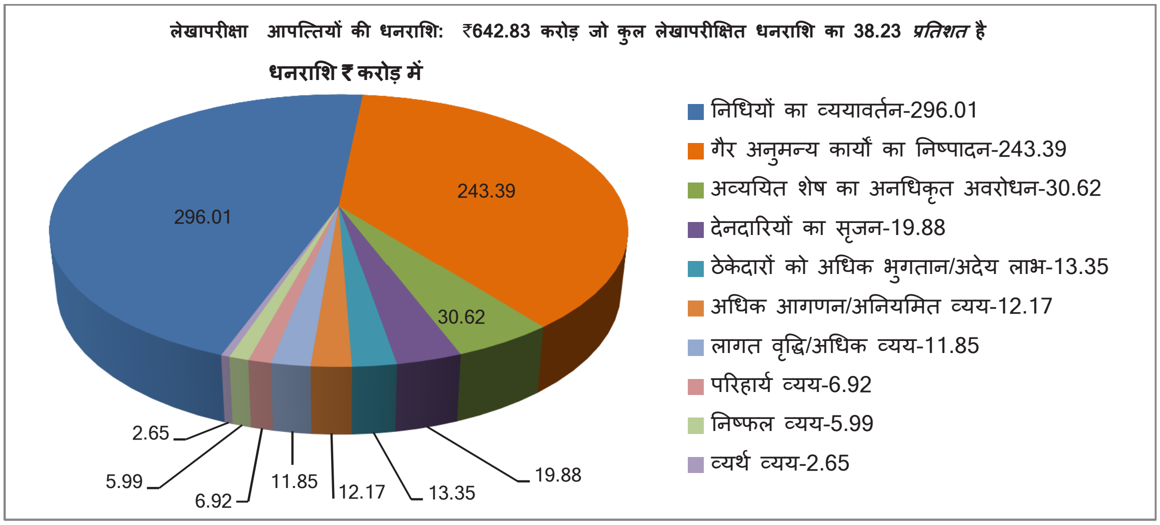

1.4 आभार

लेखापरीक्षा, इस निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान जिला स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयों / कार्यालयों / चयनित जिलों के जि आ प्र प्रा, उ रा आ प्र प्रा और आपदा प्रबंधन विभाग, उ स द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रदत्त सहयोग और सहायता के लिये आभार व्यक्त करता है।

अध्याय - 2

निधियों का प्रबन्धन

अध्याय-2: निधियों का प्रबंधन

2.1 निधिकरण व्यवस्था

विश्व बैंक (वि बैं) और एशियन विकास बैंक (ए वि बैं) और राज्य सरकार के सहयोग से गठित संयुक्त त्वरित क्षति और आवश्यकता आंकलन दल (सं त्व क्ष और आ आ) द्वारा किए गए आंकलन के आधार पर राज्य सरकार ने ₹ 9,296.21 करोड़ के पुनर्निर्माण पैकेज का प्रस्ताव प्रस्तुत (सितंबर 2013) किया जिसे भा स द्वारा ₹ 7,346.89 करोड़ हेतु स्वीकृत (जनवरी 2014) किया गया। पैकेज के अधीन मध्यम और दीर्घकालिक पुनर्निर्माण (म और दी पु) के लिए ₹ 6,259.84 करोड़ शामिल थे, जिन्हें राज्य को 2013-14 से 2015-16 के दौरान उपलब्ध कराया जाना था तथा अवशेष सहायता तत्काल राहत और बचाव अभियान के लिए थी।

म और दी पु के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्र जोकि लेखा परीक्षा[5] में शामिल किए गए हेतु राज्य सरकार द्वारा मांगी गयी एवं भा स द्वारा अनुमोदित धनराशि का विवरण **चार्ट-2.1** में दिया गया है:

चार्ट-2.1: म और दी पु के लिए मांग व अनुमोदित धनराशि का विवरण

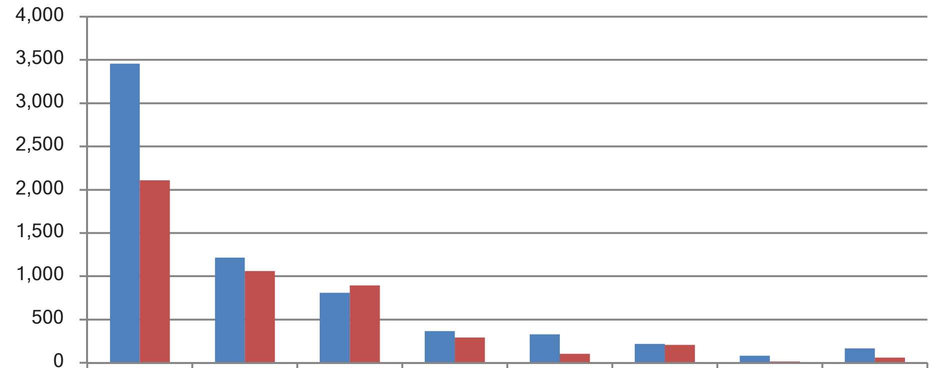

	मार्ग एवं सेतु	सिंचाई	पर्यटन	लोक भवन	विद्युत एवं ऊर्जा	शहरी अवस्थापना	कृषि एवं अन्य कार्य	वन
निधि की मांग	3,456.80	1,215.17	809.40	367.23	328.28	218.78	83.66	169.00
अनुमोदित परिव्यय	2,108.49	1,062.12	894.03	294.42	104.74	206.50	16.00	61.62

म और दी पु पैकेज को भा स, ए वि बैं, विश्व बैंक और उ स द्वारा पाँच अलग-अलग स्रोतों यथा-विशेष आयोजनागत सहायता (वि आ स-पुनर्निर्माण), केन्द्र पोषित योजनायें (के पो यो - पु), केंद्रीय योजना, वाह्य सहायतित परियोजनायें (वा स प), और राष्ट्रीय / राज्य आपदा मोचन निधि (राष्ट्रीय / राज्य आ मो नि) के अंतर्गत वित्तपोषित किया गया जैसा कि निधि प्रवाह व्यवस्था नीचे **चार्ट-2.2** में दर्शित है:

[5] म और दी पु पैकेज में 17 सेक्टर **अर्थात् मार्ग एवं सेतु, पर्यटन, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा, कृषि, आवास, वन, जलागम प्रबंध, जल आपूर्ति और शहरी अवस्थापना,** महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, खेल एवं युवा कल्याण और पशुपालन शामिल हैं। अध्याय-1 में वर्णित पद्धति के अनुसार इनमें से प्रथम 10 क्षेत्रों को लेखापरीक्षा में शामिल किए गए।

चार्ट-2.2: निधि प्रवाह व्यवस्था

अनुमोदित परिव्यय का उपयोग 2013-14 से 2016-17 के दौरान नीचे **चार्ट-2.3** में दिये गये वर्षवार विवरण के अनुसार किया जाना था:

चार्ट-2.3: वित्तपोषण के स्रोत आधारित म और दी पु पैकेज

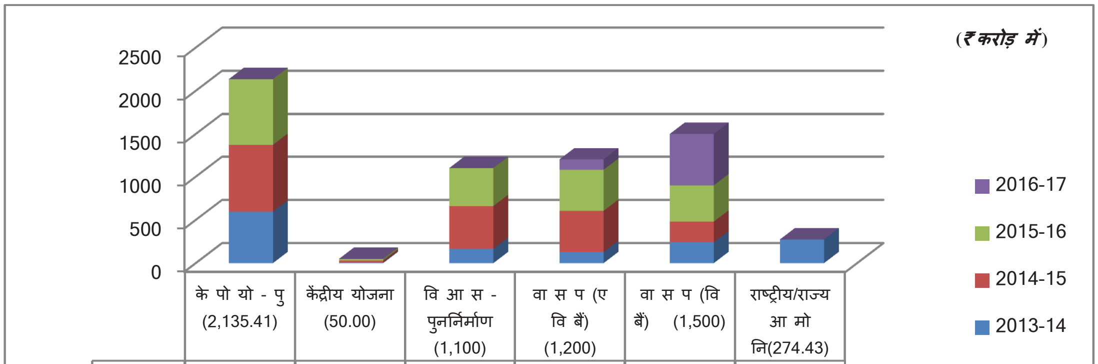

	के पो यो - पु (2,135.41)	केंद्रीय योजना (50.00)	वि आ स - पुनर्निर्माण (1,100)	वा स प (ए वि बैं) (1,200)	वा स प (वि बैं) (1,500)	राष्ट्रीय/राज्य आ मो नि(274.43)
2016-17	0.00	0.00	0.00	120.00	600.00	0.00
2015-16	761.86	20.00	440.00	475.50	420.00	0.00
2014-15	778.02	22.50	495.00	475.50	240.00	0.00
2013-14	595.53	7.50	165.00	129.00	240.00	274.43

2.1.1 राज्य योजना के लिए विशेष आयोजनागत सहायता

सर्वाधिक प्रभावित पाँच जिलों (बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी) में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भा स द्वारा ₹ 1,100 करोड़ की विशेष आयोजनागत सहायता (वि आ स-पुनर्निर्माण) को 100 *प्रतिशत* अनुदान के रूप में अनुमोदित किया गया था। क्षेत्रवार आवंटन को नीचे **चार्ट-2.4** में दिखाया गया है:

चार्ट 2.4: वि आ स - पु के घटक (*₹ करोड़ में*)

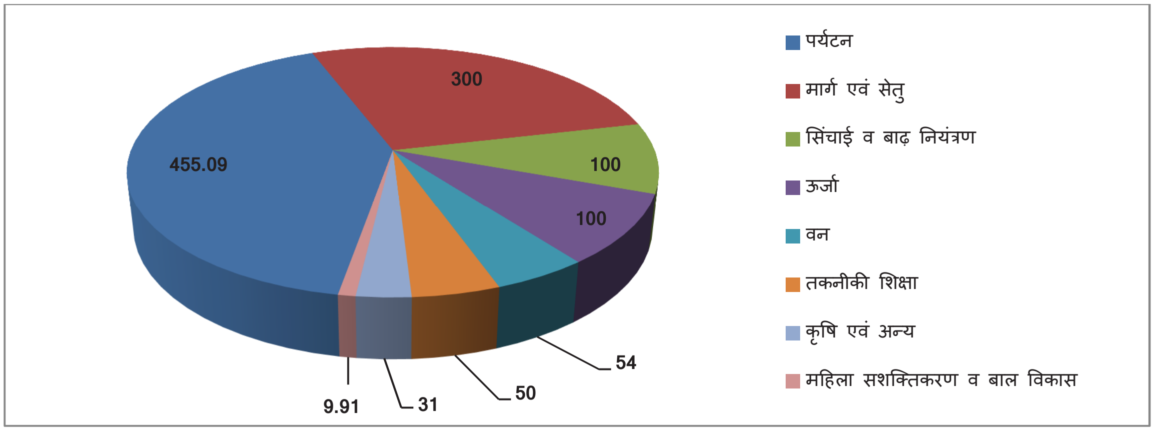

2.1.2 केन्द्र पोषित योजनाओं (के पो यो) के अन्तर्गत सहायता

भा स (₹ 1,884.92 करोड़[6]) और उ स (₹ 250.49 करोड़) के बीच आनुपातिक[7] आधार पर 22 के पो यो के लिए ₹ 2,135.41 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया। अनुमोदित धनराशियों को भा स द्वारा संबन्धित मंत्रालयों / विभागों के वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान समग्र बजटीय आवंटन के अंतर्गत आवंटित कर उ स को स्थानांतरित किया जाना था।

2.1.3 केंद्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत सहायता

भा स के पैकेज में यह प्रावधानित किया गया था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (वि और प्रौ वि) 2014-15 और 2015-16 की केंद्रीय योजना के अंतर्गत देहरादून में "पर्यावरण अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र" की स्थापना के लिए ₹ 50 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करेगा। इस केंद्र का उद्देश्य राज्य के विभिन्न पर्यावरणीय मानकों का समग्र अध्ययन और विकास के पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ संरचना पर राज्य सरकार को सलाह देना था।

2.1.4 वाह्य सहायतित परियोजनायें

म और दी पु के अंतर्गत दो वाह्य सहायतित परियोजनाओं (वा स प) को अनुमोदित किया गया:

---

[6] 22 के पो यो का आनुपातिक आधार (भा स और उ स): सात के पो यो (₹ 152.53 करोड़) के लिए 100 *प्रतिशत* भा स अंश, अन्य सात के पो यो (₹ 1,553.61 करोड़) के लिए 90:10, एक के पो यो (₹ 326.19 करोड़) के लिए 80:20, पाँच के पो यो (₹ 58.08 करोड़) के लिए 75:25, एक के पो यो (₹ 7.62 करोड़) के लिए 70:30, और एक के पो यो (₹ 37.38 करोड़) के लिए 65:35।

[7] भा स द्वारा एक के पो यो (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम / बाढ़ नियंत्रण) का आनुपातिक वित्तपोषण बाद में (जून 2014) परिवर्तित कर 90:10 से 70:30 कर दिया गया जैसा कि पैरा-2.2.1 में वर्णित है। तदनुसार, कुल 22 के पो यो के लिए भा स और राज्य सरकार का अनुपात परिवर्तित हो कर क्रमशः ₹ 1,709.03 करोड़ और ₹ 426.38 करोड़ हो गया।

(i) उत्तराखण्ड आपातकालीन सहायता परियोजना (उ आ स प) को एशियन विकास बैंक (ए वि बैं) द्वारा परियोजना संख्या-47229 और ऋण अनुबंध संख्या-3055 (फरवरी 2014) के माध्यम से 200 मिलियन यू एस $ (₹ 1,200 करोड़) धनराशि हेतु वित्तपोषित किया गया।

(ii) उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना (उ आ रि प) को विश्व बैंक द्वारा परियोजना संख्या-146653 और क्रेडिट अनुबंध संख्या-5313-आईएन (जनवरी 2014) के माध्यम से 250 मिलियन यू एस $ (₹ 1,500 करोड़) की धनराशि हेतु वित्तपोषित किया गया।

इन दो वा स प के क्षेत्र/घटकवार विवरण नीचे **चार्ट-2.5 (अ और ब)** में दिए गए हैं:

चार्ट-2.5 (अ) : उ आ स प की मदें

(₹ करोड़ में)

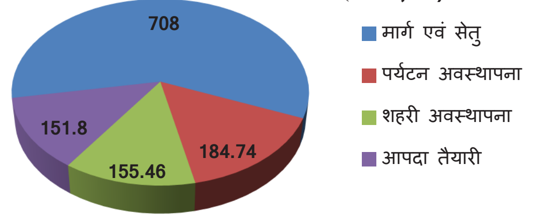

चार्ट-2.5 (ब) : उ आ रि प की मदें

(₹ करोड़ में)

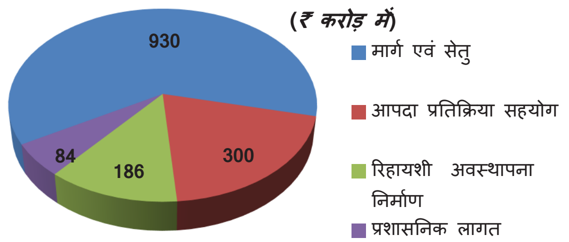

इन दोनों वा स प का राज्य स्तर पर प्रबंधन, समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाईयों (प प्र इ) द्वारा किया गया और परियोजनाओं का क्रियान्वयन क्षेत्रवार समर्पित परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों (प क्रि इ) के माध्यम से किया गया। इन वा स प के क्रियान्वयन के लिए धनराशि प्रारम्भ में उ स द्वारा प्रदान की जाती है जिसे बाद में वास्तविक व्यय के सापेक्ष ए वि बैं/विश्व बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाता है।

2.1.5 वित्त की समग्र स्थिति

म और दी पु पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत समग्र धनराशि और राज्य को प्राप्त धनराशि की वास्तविक वित्तीय स्थिति नीचे **तालिका-2.1** और **चार्ट-2.6** में दिए गए विवरणों के अनुसार थी:

तालिका-2.1: समग्र वित्तीय स्थिति (31 मार्च 2018 तक) (₹ करोड़ में)

निधि के श्रोत	अनुमोदित परिव्यय			अवमुक्त निधियां			व्यय
	कंद्रान्श	राज्यान्श	कुल	कंद्रान्श	राज्यान्श	कुल	
विशेष आयोजनागत सहायता	1,100.00	0	1,100.00	1,099.30	-	1,099.30	688.35
कें पो यो के अंतर्गत सहायता	1,709.03	426.38	2,135.41	215.89	567.19	783.08	718.10
केन्द्रीय योजना सहायता	50.00	0	50.00	0	-	0	0.00
राष्ट्रीय / राज्य आ मो नि (90:10)	246.99	27.44	274.43	246.99	27.44	274.43	अनुपलब्ध
बाहय सहायतित परियोजना							
ए वि बैं पोषित उ आ स प (200 मिलियन यू एस $)[8]			1,200.00	-	-	1,141.43[9]	1,125.38
विश्व बैंक पोषित उ आ रि प (250 मिलियन यू एस $)			1,500.00	-	-	1,319.03[10]	1,176.44
कुल			***6,259.84***			***4,617.27***	***3,708.27***[11]

स्रोतः उ स के संबंधित विभागों द्वारा प्रदत्त सूचनाएँ।

[8] ऋण राशि बाद संशोधित कर 185 मिलियन यू एस $ किया गया (मई 2017)।

[9] उ स द्वारा उ आ स प को जारी किए गए धन की स्थिति; हालांकि, 31.03.2018 तक ए वि बैं द्वारा उ स को वास्तविक प्रतिपूरित धनराशि ₹ 1,013.20 करोड़ थी।

[10] उ स द्वारा उ आ रि प को जारी किए गए धन की स्थिति; हालांकि, 31.03.2018 तक विश्व बैंक द्वारा उ स को वास्तविक प्रतिपूरित धनराशि ₹ 1,164.54 करोड़ थी।

[11] राष्ट्रीय / राज्य आ मो नि के सिवाय क्योंकि इन निधियों का प्रबंधन संबंधित जिला अधिकारियों के पास होने के कारण समेकित रूप से राज्य की जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

चार्ट-2.6: विभिन्न स्रोतों के तहत अनुमोदित और अवमुक्त धनराशियों का विवरण

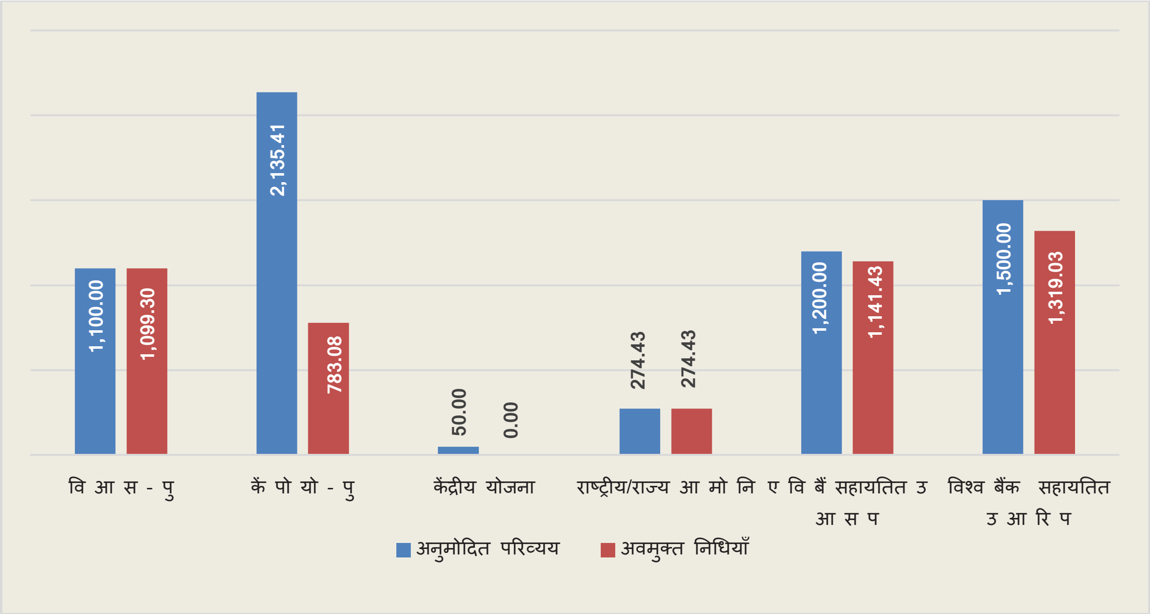

म और दी पु निधियों की क्षेत्रवार समग्र स्थिति ***परिशिष्ट-2.1*** में दी गई है।

2.1.6 परियोजना क्रियान्वयन अवधि

वि आ स - पु और के पो यो - पु के अंतर्गत आवंटित धनराशियों को मार्च 2016 तक उ स के संबंधित विभागों / एजेंसियों द्वारा उपलब्ध / उपयोग करने के लिए लक्षित किया गया था, किन्तु राज्य में कार्य निष्पादन की विषम परिस्थितियों पर राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार करते हुए भा स द्वारा 31 मार्च 2017 तक के लिए एक अतिरिक्त वर्ष की अनुमति प्रदान (अक्टूबर 2016) की गयी थी।

उ स और ए वि बैं / विश्व बैंक के मध्य निष्पादित ऋण अनुबंध के अनुसार उ आ स प और उ आ रि प की निर्धारित समाप्ति अवधि क्रमशः मार्च 2017 और दिसंबर 2017 थी।

2.2 लेखापरीक्षा परिणाम

वित्त प्रबंधन एवं धन आवंटनों की लेखापरीक्षा में निम्न कमियाँ पायी गयी:

2.2.1 के पो यो - पु निधियों का कम आवंटन / उपयोग

22 के पो यो - पु के क्रियान्वयन के विभिन्न नोडल अभिकरण / विभागों से प्राप्त सूचना से उद्घटित हुआ कि भा स द्वारा सहमत केंद्रान्श ₹ 1,709.03 करोड़ के सापेक्ष राज्य को मात्र ₹ 215.89 करोड़ (13 *प्रतिशत*) ही प्राप्त हुआ। जारी की गयी धनराशियों का विवरण निम्नवत है:

- 11 के पो यो के लिए अनुमोदित परिव्यय ₹ 647.17 करोड़ (***परिशिष्ट-2.2***) के सापेक्ष कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई।
- 09 के पो यो हेतु भा स से ₹ 845.97 करोड़ कम आवंटित हुए, जिसमें ₹ 1,050.48 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष मात्र ₹ 204.51 करोड़ (***परिशिष्ट - 2.3***) प्राप्त हुए थे।

- मात्र दो के पो यो 'सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम' एवं 'मध्यान्ह भोजन' में क्रमश: ₹ 10.86 करोड़ एवं ₹ 0.52 करोड़ भा स से पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ था।

भा स द्वारा निधियों को कम निर्गत करने / निर्गत न करने के कारणों को जानने के लिए दोनों श्रेणियों (के पो यो जिनके सापेक्ष कोई धन प्राप्त नहीं हुआ तथा के पो यो जिनके सापेक्ष धन कम आवंटित किया गया), के तीन-तीन के पो यो की विस्तार से जाँच की गई। इन चयनित छः के पो यो में भा स द्वारा कुल कम निर्गत / शून्य निर्गत (₹ 1,493.14 करोड़) प्रतिबद्ध निधियों का 86 *प्रतिशत* शामिल है। योजनावार जाँच के परिणाम नीचे सारणीबद्ध हैं:

तालिका-2.2: के पो यो-पु निधियों के शून्य / कम निर्गत पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष

के पो यो के नाम		स्वीकृत धनराशि (₹ करोड़ में)		लेखापरीक्षा निष्कर्ष
अ- के पो यो जहाँ स्वीकृत निधियाँ निर्गत नहीं की गयी				
1	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन- जे एन एन यू आर एम (80:20)	260.95		31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले संक्रमणकालीन चरण के साथ जे एन एन यू आर एम दिसंबर 2005 में सात वर्षो के लिए प्रारम्भ किया गया था। भा स द्वारा 23 जनवरी 2014 को म और दी पु पैकेज की स्वीकृति प्राप्त किए जाने के बाद शहरी विकास निदेशालय, उ स द्वारा ₹ 269.49 करोड़ लागत की 14 परियोजनाओं का प्रस्ताव भा स को प्रस्तुत (फरवरी 2014) किया गया। यद्यपि, सामान्य निर्वाचन की आचार संहिता लागू / प्रचलन में होने के कारण मिशन अवधि (31 मार्च 2014) के भीतर इसकी स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी।
2	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- मनरेगा (90:10)	225.00		म और दी पु पैकेज के अंतर्गत, 2013-14 के दौरान उत्तराखण्ड में लाभार्थियों को योजना के मौजूदा मानदंड प्रति वर्ष 100 दिनों की रोजगार गारंटी के सापेक्ष 150 दिनों की रोजगार गारंटी के लिए ₹ 250 करोड़ (90:10) का अतिरिक्त परिव्यय अनुमोदित किया गया था। जाब कार्ड धारकों द्वारा रोजगार की कम मांग के कारण राज्य 2013-14 के लिए मनरेगा के नियमित बजट का भी उपयोग (₹ 403.09 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष व्यय ₹ 383.94 करोड़ था) नहीं कर सका। परिणामस्वरूप, भा स द्वारा राज्य को कोई अतिरिक्त प्रतिबद्ध धनराशि (₹ 225 करोड़) जारी किया जाना आवश्यक नहीं था।
3	राजीव आवास योजना -रा आ यो (90:10)	65.25		रा आ यो के लिए नोडल विभाग, शहरी विकास निदेशालय द्वारा के पो यो के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।
ब- के पो यो जहाँ स्वीकृत धनराशि कम निर्गत हुई				
		स्वीकृत धनराशि	**निर्गत धनराशि**	
1	त्वरित सिचाई लाभान्वित कार्यक्रम/बाढ़ नियंत्रण (70:30)	615.65	79.52	हालांकि, स्वीकृत धनराशि जारी करने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा बार-बार अनुरोध किया गया, किन्तु भा स द्वारा योजना के अन्तर्गत धनराशि निर्गत नहीं किए जाने का कोई कारण नहीं बताया गया। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया कि विभाग द्वारा पूर्व में जारी दो किश्तों (₹ 79.52 करोड़) के

				सापेक्ष व्यय का लेखापरीक्षित विवरण भा स को प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अवशेष धनराशि प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक शर्त थी।
2	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (90:10)	111.06	2.54	भा स द्वारा अनुमोदित केंद्रान्श ₹ 111.06 करोड़ के सापेक्ष, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा 2014-15 में ₹ 2.54 करोड़ के चार कार्यों का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिला / ब्लाक स्तर के अधिकारियों से बाद के वर्षों में कोई अन्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया गया था। अतः आगे कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सका। यह प्रस्तावित धनराशि भा स द्वारा पूर्ण रूप से उपलब्ध कराई गयी थी।
3	गंतव्य एवं परिकल्प के लिए उत्पाद अवस्थापना विकास (100:0)	102.40	14.51	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद (उ प वि प) भा स को ₹ 72.55 करोड़ की लागत की कुल 11 परियोजनाएं (116 कार्य) ही प्रस्तुत कर सका। भा स से ₹ 14.51 करोड़ की पहली किशत (20 *प्रतिशत*) 2014-15 में प्राप्त हुई। केन्द्र के करों एवं शुल्कों का 42 *प्रतिशत* राज्य को हस्तांतरित किए जाने के अनुसरण में 14वें वित्त आयोग की संस्तुति पर भा स द्वारा इस योजना को 2015-16 से विच्छेदित (डीलिंक्ड) कर दिया गया। यद्यपि, उत्तराखण्ड जैसे हिमालयी राज्यों की गतिमान परियोजनाओं की लंबित देयता के एकल समय निपटारे (एस नि) के लिए प्रावधान था। भा स द्वारा उ स को प्रत्येक परियोजना के पूर्ण होने का चरण और पूर्ण होने की संभावित तिथि व परियोजनाएँ जिसमें 50 *प्रतिशत* से अधिक कार्य पूर्ण हो चुके है उनकी लंबित देनदारियों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया (13 जनवरी 2016)। यद्यपि, उ प वि प द्वारा अपेक्षित सूचना / जानकारी उसी महीने (जनवरी 2016) में भेजी गई थी फिर भी अभी तक एस नि का प्रस्ताव भा स के पास लंबित है और कार्य तब से बाधित थे।

2.2.2 राज्य सरकार द्वारा निधियों का कम आवंटन

उ स द्वारा पाँच परियोजनाओं, केदारनाथ टाउनशिप (₹ 200 करोड़); अन्य धामों (यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और कैलाश मानसरोवर) का विकास (₹ 100 करोड़); परिवहन के वैकल्पिक साधन के रूप में गौरीकुंड और केदारनाथ के बीच रोपवे का निर्माण (₹ 100 करोड़); भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तकनीकी सहायता से केदारनाथ धाम और आस-पास के अन्य मंदिरों जैसे शंकराचार्य समाधि, भैरोंनाथ मंदिर आदि का पुनरोद्धार (₹ 50 करोड़); और दूरस्थ पहाड़ी जिलों में कुछ रणनीतिक स्थानों पर आश्रय-सह-गोदामों का निर्माण (₹ 75 करोड़), के पुनर्निर्माण / पुनरोद्धार कार्यों को प्रस्तावित किया था। ₹ 525 करोड़ की कुल मांग के सापेक्ष, भा स द्वारा वि आ स-पु के अंतर्गत ₹ 455.09 करोड़ (चार परियोजनाएं के लिए ₹ 380.09 करोड़ और आश्रय-सह-गोदामों के लिए ₹ 75 करोड़) के परिव्यय को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि शेष राशि ₹ 69.91 करोड़ का अंशदान राज्य अपने संसाधनों से करेगा।

भा स द्वारा परियोजनाओं हेतु वि आ स-पु के अधीन स्वीकृत पूर्ण धनराशि ₹ 455.09 करोड़ राज्य सरकार को 2016-17 तक जारी की गई थी। यद्यपि, उ स द्वारा ₹ 69.91 करोड़ का अंशदान नहीं दिया। राज्य सरकार द्वारा ₹ 380.09 करोड़ में से ₹ 272.17 करोड़ की लागत की 19 परियोजनाओं के लिए

स्वीकृति जारी की गयी किन्तु 'अन्य धाम के विकास', 'गौरीकुंड एवं केदारनाथ के बीच रोपवे का निर्माण' और श्री केदारनाथ टाउनशिप के पुनर्निर्माण कार्यों (चरण-2) के लिए ₹ 31.37 करोड़ की कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई थी। शेष धनराशि ₹ 107.92 करोड़ (₹ 380.09 करोड़- ₹ 272.17 करोड़) उ स के पास की लंबित पड़ी हुयी है।

उ स द्वारा आश्रय-सह-गोदामों के लिए भी कोई धनराशि जारी नहीं की और इसके स्थान पर श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अन्य आधारभूत कार्यों के लिए ₹ 74.85 करोड़ के 10 कार्यों की स्वीकृतियां जारी की थी। इसके परिणामस्वरूप, म और दी पु पैकेज के अंतर्गत भा स द्वारा स्वीकृत विशिष्ट पर्यटक आधारभूत सुविधाओं का निर्माण नहीं हो सका।

इसी प्रकार, उ स द्वारा वि आ स-पु के अंतर्गत 10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (औ प्र सं) भवनों के सुद्दढीकरण के लिए ₹ 13.38 करोड़ की प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई थी जबकि भा स द्वारा संपूर्ण निधि (₹ 50 करोड़) आवंटित की गयी थी (*संदर्भ प्रस्तर-3.6.1.1*)।

इस प्रकार उ स द्वारा ₹ 121.30 करोड़ की निधि का कम आवंटन किए जाने के कारण राज्य में पर्यटन के बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं का निर्माण नहीं हुआ।

2.2.3 अनुमोदित परिव्यय का उपभोग न होना

निम्न उल्लेखित प्रकरणों में कार्य अनुमोदन हेतु व्यवहार्य प्रस्तावों को प्रस्तुत न किए जाने के कारण राज्य मशीनरी ₹ 246 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय का लाभ उठाने में विफल रही:

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भा स, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय योजना के अंतर्गत देहरादून में पर्यावरण अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए निर्धारित धनराशि ₹ 50 करोड़ को इसलिए अवमुक्त नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इस केंद्र की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया गया था।

- पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत पर्यटन के बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण और विकास के लिए उ आ स प के अंतर्गत उ प्रा स द्वारा ₹ 184.74 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष ₹ 91.01 करोड़ की केवल नौ परियोजनाएं अनुमोदित की गयी। कार्यकारी विभाग उ स से स्वीकृति के लिए अन्य कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सके।

- राज्य की आपदा तैयारी में सुधार के लिए, राज्य के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अधिक हैलीपैड[12], हेलीपोर्ट्स[13], हेलीड्रोम[14] और बहुउद्देशीय हॉल सह आश्रयों[15] के निर्माण के लिए उ आ स प के अंतर्गत ₹ 151.80 करोड़ का प्रावधान किया गया था। यद्यपि, ₹ 49.53 करोड़ की लागत की मात्र 32 परियोजनाओं को प्रस्तुत व अनुमोदित किया गया और शेष ₹ 102.27 करोड़ के परिव्यय का उपभोग नहीं हुआ।

---

12 हेलीकॉप्टरों के उतरने एवं उड़ान का क्षेत्र।

13 भवन एवं सुविधाओं सहित हेलीकॉप्टरों के लिए हवाई अड्डा या उतरने के लिए स्थान।

14 हेलीकॉप्टरों के लिए एक छोटा हवाई अड्डा।

15 प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों को सार्वजनिक रूप से स्थानांतरित / निकाले जाने के लिए हैलीपैड के साथ जगह प्रदान करने के लिए।

2.2.4 स्वीकृत निधियों का व्ययावर्तन

राज्य मशीनरी द्वारा विभिन्न वित्तपोषित स्रोतों से संबन्धित ₹ 294.64 करोड़ की राशि जोकि म और दी पु के अंतर्गत निर्गत / आवंटित (₹ 4,617.27 करोड़) का 6.38 *प्रतिशत* है, को अनियमित रूप से निम्नलिखित अनियोजित कार्यों/विभागों को किया गया:

- तीन विभाग / प क्रि इ आवंटित ₹ 135.85 करोड़[16] का उपयोग नहीं कर सके क्योंकि वे उ स को व्यवहार्य परियोजनाएं प्रस्तुत करने में असफल रहे थे। भा स के स्वीकृतियों के नियमों और शर्तों के अनुसार इन बचतों को भा स को समर्पित किया जाना चाहिए था लेकिन राज्य सरकार ने इन्हे निम्नवत विभागों / कार्यों में व्यावर्तित कर दिया गया:

  अ) सिंचाई विभाग को अनुमोदित परिव्यय ₹ 100 करोड़ के अलावा जिला रुद्रप्रयाग के 12 बाढ़ सुरक्षा कार्यों (बा सु का) के लिए ₹ 79.19 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि अनुमोदित की गई।

  ब) गोविंदघाट में एक पुल के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग (लो नि वि) को ₹ 20.74 करोड़ की राशि (मई 2017) उपलब्ध कराई गई थी जोकि पहले राज्य क्षेत्र के तहत स्वीकृत (अप्रैल 2016) था।

  स) उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यू जे वी एन एल) के नौ जल विद्युत परियोजना और उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) के वितरण नेटवर्क के पुनर्स्थापना/ पुनर्निर्माण कार्यों के लिए ऊर्जा विभाग को ₹ 35.92 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी जबकि वि आ स - पु के अंतर्गत ₹ 100 करोड़ पहले से ही अनुमोदित था।

- प्राकृतिक आपदाओं के दौरान फंसे स्थानीय जनसंख्या को स्थानांतरित करने और खाद्य आपूर्ति हेतु जगह प्रदान करने के लिए पहाड़ी जिलों में आश्रय / गोदामों के निर्माण के लिए वि आ स - पु के अंतर्गत स्वीकृत ₹ 75 करोड़ (*संदर्भ प्रस्तर-3.3.1*) में से ₹ 74.85 करोड़ का व्यावर्तन उ स द्वारा श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अन्य बुनियादी ढाँचे के कार्यों के लिए किया गया।

- लो नि वि द्वारा उत्तरकाशी जिले के तीन राष्ट्रीय राजमार्गों (रा मा)[17] के लिए ₹ 3.37 करोड़ के वि आ स - पु निधि का उपयोग किया गया था जबकि यह निधि केवल राज्य राजमार्गों, मुख्य जिला सड़क, अन्य जिला सड़क, ग्राम सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए थी।

- लो नि वि द्वारा भा स के अनुमोदन के बिना ही वि आ स-पु निधि के ₹ 72.05 करोड़ की बचत का उपयोग 123 कार्यों (117 सड़कों और 6 पुलों) के लिए किया जोकि वि आ स - पु के अंतर्गत अनुमोदित कार्यों की मूल सूची में सम्मिलित नहीं थे। (*संदर्भ प्रस्तर-3.2.1.1*)।

- वि आ स - पु और राष्ट्रीय / राज्य आ मो नि कार्यों को क्रियान्यावन करने वाले लो नि वि के छः मूल खण्डो में 10 कार्यों के भुगतान वाउचरों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया कि

---

16 वि आ स-पु के अंतर्गत भा स से ₹ 0.70 करोड़ के कम आवंटन को समायोजित करने के बाद, वन: ₹ 19.04 करोड़, पशुपालन: ₹ 9.45 करोड़ और जि आ प्र प्रा-रुद्रप्रयाग: ₹ 108.06 करोड़ (संदर्भ तालिका-2.2: अनुमोदित परिव्यय ₹ 1,100 करोड़ के सापेक्ष ₹ 1,099.30 करोड़ जारी किया गया)।

17 रा मा खंड (लो नि वि), बड़कोट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रा मा -94, 123 और 72 बी।

₹ 1.44 करोड़ की राशि या तो अन्य कार्यों में व्यावर्तित की गई अथवा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई थी जो कि स्वीकृति आदेश में निर्दिष्ट नहीं थे। इसके अलावा यह भी पाया कि 13 स्वीकृतियों के सापेक्ष कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया और ₹ 2.44 करोड़ की सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष (लो नि वि) / संबन्धित जिलाधिकारियों को सूचना के बिना ही अन्य कार्यों में व्यावर्तित की गई या खण्डों में अव्ययित पड़ी थी। विवरण ***परिशिष्ट-2.4*** के अनुसार हैं।

- सिंचाई विभाग के चार मूल खण्डों द्वारा पाँच बा सु का में से ₹ 1.35 करोड़[18] की स्वीकृत निधि (वि आ स-पु और के पो यो-पु) को विभागाध्यक्ष को सूचित किए बिना ही कार्य के अन्य कार्यों / कार्य मदों के लिए व्ययावर्तित किया गया। उत्तर में, प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग ने सूचित (मार्च 2018) किया कि इस प्रकरण में जाँच की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी।

- वन विभाग में, वि आ स - पु के अंतर्गत 24 किमी लंबे घाघरिया से हनुमान चट्टी पैदल मार्ग के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत ₹ 1.99 करोड़ (दिसम्बर 2014) में से ₹ 0.32 करोड़ की बचत को भा स को समर्पित करने के बजाय सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना ही, नंदादेवी राष्ट्रीय उद्यान प्रभाग, जोशीमठ, जिला चमोली द्वारा इसे समानांतर पैदल मार्ग के लिए उपयोग किया गया।

- प क्रि इ-पर्यटन (ग म वि नि) ने ₹ 2.67 करोड़ की धनराशि को रसोई के उपकरण, क्रॉकरी / कटलरी और फर्नीचर की आपूर्ति के लिए इस तथ्य के बावजूद व्ययावर्तित किया गया कि यह उ आ स प सहायता, क्षतिग्रस्त पर्यटक विश्राम गृह की पुनरोद्धार और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए थी।

- प क्रि इ-नागरिक उड्डयन (उ आ स प) द्वारा सहस्त्रधारा, देहरादून, में निर्माणाधीन हैलीपैड के बाहरी दीवार के बाहर स्थित सड़क में कल्वर्ट के पुनर्निर्माण के लिए ₹ 30.35 लाख का व्यय किया गया था जोकि लो नि वि से संबंधित है।

2.2.5 अव्ययित अवशेष ₹ 30.62 करोड़ का अनधिकृत अवरोधन

वि आ स-पु हेतु भा स की स्वीकृतियों के प्रावधानो के अनुसार आवंटित धनराशियों का उपयोग उन्ही निर्दिष्ट प्रयोजन/कार्यों के लिए किया जाएगा जिसके लिए इसे दिया गया था अन्यथा धनराशि भा स को वापस की जानी थी। इसी प्रकार, हर वर्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (जि आ प्र प्रा) को उपलब्ध कराई गई रा आ मो नि का उपयोग एक वर्ष के भीतर किया जाना होता है और यदि कोई अव्ययित धनराशियाँ बचत होती है तो इसे रा आ मो नि के राजकोष को वापस किया जाएगा या बाद के वर्ष के अवमुक्त धनराशियों से समायोजित किया जाएगा।

---

18 चमोली (दो कार्य; ₹ 36.52 लाख), धारचुला (एक कार्य; ₹ 15.87 लाख), थराली (एक कार्य; ₹ 15.37 लाख) और कपकोट (एक कार्य; ₹ 67.08 लाख)।

नीचे उल्लिखित मामलों में लेखापरीक्षा जाँच में पाया कि उ स और नोडल अभिकरणों के खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण स्वीकृत कार्यों के बचत / अव्ययित अवशेष ₹ 30.62 करोड़ परियोजना क्रियान्वयन अभिकरण (प क्रि अ) / जि आ प्र प्रा के पास अवरुद्ध थी।

- बहुस्रोत से वित्तपोषण के कारण उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) द्वारा निष्पादित कार्यों में ₹ 91.73 लाख की बचत हुई थी। (*संदर्भ प्रस्तर-3.5.1.1*) उरेडा द्वारा उक्त बचत का उपयोग अन्य कार्यों हेतु करने की अनुमति प्रदत्त करने अथवा बचत का समर्पण करने के लिए उचित बजट कोड प्रदान करने के लिए उ स से अनुरोध (सितंबर 2015) किया था। यद्यपि, नवंबर 2017 तक, उ स द्वारा न तो अनुमति दी गई थी और न ही समर्पण हेतु बजट कोड प्रदान किया गया।

- उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) के एक विद्युत वितरण खण्ड (धारचूला, पिथौरागढ़) को धारचूला और मुनस्यारी ब्लॉक की वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण / नवीनीकरण से संबंधित ₹ 6.90 करोड़ के दो कार्य सौपें गयें थे जिन्हें ₹ 6.26 करोड़ की लागत से पूर्ण किया गया था। इसी प्रकार, तवाघाट-पिथौरागढ़ में 33/11 के वी के उप-स्टेशन एवं इसकी संबंधित लाइन का कार्य स्वीकृत / जारी धनराशि ₹ 2.35 करोड़ के सापेक्ष ₹ 1.46 करोड़ की लागत से पूर्ण किया गया था। यू पी सी एल द्वारा ₹ 1.53 करोड़ की बचत उ स को वापस नहीं की गई।

  यू पी सी एल प्रबंधन द्वारा कहा गया (मार्च 2018) था कि खण्ड द्वारा कॉर्पोरेट कार्यालय के जनवरी 2002 के निर्देश के अनुसार 15 *प्रतिशत* पर्यवेक्षण शुल्क को शामिल किया गया था। उपर्युक्त पर्यवेक्षण शुल्क को समायोजित करने के बाद ₹ 0.16 करोड़ के शेष धनराशि को उ स को समर्पित कर दिया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भा स की सहायता केवल संपत्तियों के वास्तविक नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए थी न कि पर्यवेक्षण शुल्क के लिए। अतः ₹ 1.53 करोड़ की बचत को उ स के माध्यम से भा स को वापस किया जाना चाहिए था।

- वन विभाग में, वि आ स - पु के अंतर्गत वन मार्ग से संबंधित पाथ के पुनरोद्धार / मरम्मत कार्यों को निष्पादित करने वाले दो खंडीय कार्यालयों द्वारा ₹ 8.42 करोड़ के अनुमोदित / जारी निधि के सापेक्ष केवल ₹ 4.59 करोड़ का उपयोग किया गया और शेष धनराशि ₹ 3.83 करोड़[19] प क्रि इ के पास अप्रयुक्त पड़ी थी।

  विभाग ने अवगत कराया कि स्थानीय विवाद के कारण एक काम प्रारम्भ नहीं किया जा सका। तथापि, खण्ड द्वारा अप्रयुक्त धनराशि ₹ 3.83 करोड़ उ स / भा स को समर्पित नहीं किया।

---

[19] अपर यमुना वन प्रभाग-बड़कोट, उत्तरकाशी (₹ 3.70 करोड़) और केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य-गोपेश्वर, चमोली (₹ 0.13 करोड़)।

- कृषि विभाग में, मृदा संरक्षण गतिविधियों से संबंधित वि आ स-पु ₹ 28.21 लाख छः क्षेत्रीय कार्यालयों[20] में अव्ययित पड़ी थी। जो पूर्ण हो चुके कार्यों की बचतों से संबंधित थी।
- उ स द्वारा जि आ प्र प्रा-रुद्रप्रयाग को तीन विनिर्दिष्ट प क्रि इ अर्थात् नेहरू पर्वतारोही संस्थान, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम और लोक निर्माण विभाग (लो नि वि) के माध्यम से श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग के पुनर्स्थापना कार्यों के निष्पादन के लिए वि आ स-पु निधि से ₹ 217.48 करोड़ प्रदान किए। लेखापरीक्षा में पाया कि जि आ प्र प्रा द्वारा प क्रि इ को ₹ 199.61 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की तथा अवशेष धनराशि ₹ 17.87 करोड़ जि आ प्र प्रा-रुद्रप्रयाग के लेखों / खातों में अवरुद्ध पड़ी थी।
- तीन जि आ प्र प्रा[21] के बैंक खातों में रा आ मो नि की अव्ययित धनराशि ₹ 3.27 करोड़ वर्ष 2014-15 से लंबित थी जबकि इसे राज्य के रा आ मो नि के कोष को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए था।
- जि आ प्र प्रा-उत्तरकाशी द्वारा ₹ 12.17 लाख की राशि 23 महीने तक रोके रखी और बाद में (फरवरी 2016) ने इसे राज्य के रा आ मो नि कोष में स्थानांतरित करने के बजाय राज्य सरकार के राजस्व प्राप्ति शीर्ष में जमा कर दिया गया।
- आठ[22] प क्रि इ द्वारा रा आ मो नि की बचत ₹ 2.64 करोड़ को संबंधित जि आ प्र प्रा को समर्पित नहीं किया गया और तीन वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी वे प क्रि ई के पास पड़ी हुई थी।
- एकीकृत बाल विकास योजना (ए बा वि यो) को कार्यान्वित करने वाले पाँच जिला कार्यक्रम कार्यालयों में के पो यो-पु आंगनवाड़ी केंद्रों के मरम्मत कार्यों से संबन्धित ₹ 9.60 लाख, क्षेत्रीय कार्यालय से एक आंगनवाड़ी केन्द्र (आं के) के प्रस्ताव की प्राप्ति न होने, पाँच आं के के निर्माण का वित्तपोषण अन्य स्रोतों से होने, पाँच आं के के मरम्मत कार्यों के लिए अपर्याप्त राशि होने और एक आं के के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण अप्रयुक्त पड़ी (नवंबर 2017) थी। विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2018) की अवशेष राशि समर्पित की जाएगी।
- इसी तरह, जिला चमोली के एक स्कूल प्रबंधन समिति (डुंगरी) के पास सर्व शिक्षा अभियान से संबन्धित, के पो यो-पु निधि के ₹ 18 लाख अव्ययित पड़े हुए थे। विभाग ने कहा कि भूमि विवाद के कारण काम शुरू नहीं किया जा सका।

---

20 उत्तरकाशी (₹ 8.39 लाख), कर्णप्रयाग (₹ 3.28 लाख), बागेश्वर (₹ 8.08 लाख), बड़कोट (₹ 3.50 लाख), रुद्रप्रयाग (₹ 4.80 लाख), और मोरी (₹ 0.16 लाख)।

21 उत्तरकाशी: ₹ 1.64 करोड़, पिथौरागढ़: ₹ 0.02 करोड़ और रुद्रप्रयाग: ₹ 1.61 करोड़।

22 लो नि वि खंड: नि ख-थराली (₹ 17.24 लाख), नि ख - उखीमठ (₹ 9.92 लाख), प्रा ख - रुद्रप्रयाग (₹ 33.80 लाख), नि ख - गोपेश्वर (₹ 29.90 लाख), सिविल खंड जि आ प्र प्रा - रुद्रप्रयाग (₹ 142.91 लाख); सिंचाई प्रभाग - बागेश्वर (₹ 18.52 लाख); जल संस्थान खंड - बागेश्वर (₹ 9.83 लाख); वि वि ख - बागेश्वर (₹ 2.05 लाख)।

2.2.6 अनुबंध प्रबंधन में कमियाँ

तीन प क्रि इ की लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न आयामों पर अनुबंध प्रबंधन में कमी पायी गयी जैसा नीचे वर्णित है:

अ- प क्रि इ - मार्ग एवं सेतु

प क्रि इ-उ आ रि प, मार्ग एवं सेतु (मा एवं से), देहरादून द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (वि प रि) तैयार किए जाने हेतु चार परामर्शी फर्मों व सेतु कार्य के पर्यवेक्षण के लिए अन्य[23] फर्म को नियुक्त किया गया। वि प रि तैयार किए जाने के लिए एक फ़र्म[24] के साथ गठित अनुबंध (जुलाई 2014) लागत ₹ 4.60 करोड़ एकमुश्त अनुबंध था (57 नए सेतु और 59 सेतुओं की मरम्मत के लिए) जबकि सेतु पर्यवेक्षण परामर्शदायी (से प प) फर्म के साथ गठित अनुबंध (मार्च 2015) ₹ 8.47 करोड़ से प प फर्म द्वारा तैनात किए जाने वाले तकनीकी कर्मचारियों के पारिश्रमिक के लिए था। लेखा परीक्षा (अगस्त 2017) तिथि तक प क्रि इ द्वारा इन दो अनुबंधों के सापेक्ष क्रमश: ₹ 6.03 करोड़ और ₹ 10.61 करोड़ का भुगतान परामर्श फर्मों को किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- अभिरूचि की अभिव्यक्ति के अनुसार, वि प रि की एक अनन्तिम सूची परामर्शदायी को इस शर्त के साथ सौंपी गई थी कि वि प रि की अंतिम सूची आवश्यकता और स्थल की परिस्थिति के अनुसार बदल सकती है। यद्यपि, लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि वि प रि की अंतिम सूची (62 नए पुलों और 12 पुलों की आवश्यक मरम्मत) अनुबंध गठन के 15 माह (अक्टूबर 2015) के बाद परामर्शदाता को सौंपी गई। तब तक परामर्शदाता द्वारा अनन्तिम सूची के आधार पर नौ सेतुओं की वि प रि तैयार कर ली गयी थी जो अंतिम सूची में शामिल नहीं थे।
- प क्रि इ द्वारा 13 वि प रि को फिर से डिजाइन[25] करने के लिए परामर्शदाता को ₹ 77.54 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया क्योंकि इनके मूल डिजाइन अनुपयुक्त पाये गए थे। अनुबंध के नियम और शर्तो के अनुसार, सलाहकार फर्म को सेतु का डिजाइन मितव्ययता और लागत प्रभावशीलता के अलावा तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए सेतु के भागों का परिवहन की सुगमता के दृष्टिकोण से किया जाना था। इस प्रकार, वि प रि को फिर से डिजाइन करने के लिए ₹ 77.54 लाख का भुगतान अनुचित था। साथ ही 10 वि प रि की प्रूफ जाँच के लिए से प प को ₹ 27.12 लाख का भुगतान किया गया था, जिन्हे बाद में अनुपयुक्त पाया गया था।

  विभाग ने उत्तर दिया (मार्च 2018) कि सेतुओं के उचित/मितव्ययतितापूर्ण निर्माण के लिए वि प रि को पुनः डिजाइन करने की आवश्यकता थी और इसके लिए भुगतान उ प्रा स द्वारा विधिवत

[23] योंगमा इंजीनियरिंग और स्टर्लिंग इंडोटेक प्रा लि (जे वी) - सेतु पर्यवेक्षण कार्य।

[24] योशिन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और आई सी टी प्रा लि (जे वी) - वि प रि परामर्शदायी।

[25] झूला सेतु के स्थान पर तीन स्टील ट्रस सेतु और पैदल पुल के स्थान पर 10 मोटर पुल।

अनुमोदित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि फर्म को अनुबंध की शर्तों के अनुसार तकनीकी एवं व्यावसायिक रूप से लाभप्रद वि प रि तैयार करने की आवश्यकता थी।

- अनुबंध कार्य के दायरे में उक्त कार्य मद शामिल होने के बावजूद वि प रि तैयार किए जाने के लिए स्थलाकृति सर्वेक्षण के लिए परामर्शदाता को ₹ 39.33 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया।
- जुलाई 2015 से फरवरी 2016 के दौरान मुनस्यारी में स्थानिक अभियंता (स्था अ) तैनात करने के लिए से प प को ₹ 55.06 लाख की राशि का भुगतान किया गया था जबकि इस अवधि के दौरान उस स्थान पर कोई सेतु कार्य प्रगति पर नहीं था। विभाग ने जवाब दिया (मार्च 2018) कि इस दौरान स्था अ की सेवाओं का उपयोग रुद्रप्रयाग में एक्रो सेतु के निर्माण के लिए किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रुद्रप्रयाग में एक्रो सेतु के स्थापना कार्य को अन्य कार्यकारी एजेंसी (सिविल इकाई-जि आ प्र प्रा रुद्रप्रयाग) द्वारा किया जा रहा था और जिला रुद्रप्रयाग के उ आ रि प (मा एवं से) कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु एक पृथक स्था अ (गुप्तकाशी) के साथ निहित था।
- से प प के अनुबंध को इस तथ्य के बावजूद अनुबंध की निर्धारित समाप्ति तिथि (मार्च 2016) के बाद भी दिसंबर 2017 तक विस्तारित (जनवरी 2017) किया गया था कि इसका कार्य निष्पादन / प्रदर्शन प क्रि इ के साथ-साथ विश्व बैंक मिशन द्वारा असंतोषजनक पाया गया (अगस्त 2016)। से प प द्वारा नियुक्त मात्रा-सर्वेक्षक, किए गया कार्यों के मापों को अभिलेखबद्ध करने हेतु सक्षम नहीं पाये गए। अतैव, प क्रि इ द्वारा कार्यक्रम प्रबंधक को कार्य के लिए विभागीय इंजीनियरों की तैनाती के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत (दिसंबर 2015) किया गया। जिस पर निर्णय अगस्त 2017 तक लंबित था।

ब- प क्रि इ-नागरिक उड्डयन

प क्रि इ - नागरिक उड्डयन ने उ आ स प के अधीन ए वि बैं द्वारा वित्त पोषित 41 हैलीपैड्स और 60 बहुउद्देशीय हॉल (ब हा) / आश्रयों के निर्माण के लिए विभिन्न कार्यों / घटकों[26] हेतु सहायता प्रदान करने के लिए एक डिजाइन एवं पर्यवेक्षण परामर्श (डि एवं प प) फर्म[27] के साथ ₹ 7.46 करोड़ का एक अनुबंध किया (मार्च 2015)। लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि डि एवं प प फर्म को अप्रैल 2017 तक सेवाओं के लिए ₹ 6.18 करोड़ (अनुबंध राशि का 83 *प्रतिशत*) का भुगतान किया गया था जबकि डि एवं प प फर्म का कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं था जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

---

[26] वर्तमान उत्पादन मूल्यांकन, जाँच / आकलन और उप-परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट की तैयारी, डिजाइन / योजना और वि प रि की तैयारी, कार्य / वस्तुएँ / सेवाओं की अधिप्राप्ति, परियोजना प्रबंधन / निर्माण पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षा एवं सावधानी (सुरक्षा लेखा परीक्षा / नियामक और अनुपालन), आपदा प्रतिक्रिया और जोखिम तैयारी (संचालन, रखरखाव और प्रबंधन), और वित्तीय प्रबंधन।

[27] ए ई आर ओ सर्वे इंडिया और ई जी आई एस कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड इंडिया के साथ मै आई आई डी सी लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम।

- अनुबंध के अनुसार, डि एवं प प फर्म सभी कार्यों के लिए डिजाइन, योजना और वि प रि तैयार किए जाने के अलावा सभी जाँचे, आंकलन और व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए उत्तरदायी थी। लेखा परीक्षा जाँच में पाया गया कि डि एवं प प द्वारा चिन्हित किए गए 25 कार्यस्थलों पर कार्य विभिन्न तकनीकी कारणों से और अनुचित कार्य स्थल चयनित किए जाने के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा सका या अनुबंध गठित किए जाने के बाद भी छोड़ दिया गया था।
- अनुबंध के अनुसार, डि एवं प प को 41 हेलीपैड्स और 60 ब हॉ के निविदा प्रपत्र तैयार करने और इन कार्यों के लिए निविदाओं का मूल्यांकन / निस्तारण में प क्रि इ की सहायता करना था। परंतु डि एवं प प द्वारा आवश्यक 101 के सापेक्ष मात्र 23 निविदा प्रपत्र ही तैयार किए गए थे।
- आपदा प्रतिक्रिया और जोखिम तैयारी करने के लिए डि एवं प प को हैलीपैड साइटों और ब हॉ / आश्रयों की सभी परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित क्रिया-कलाप करने की आवश्यकता थी:
  - *मानक परिचालन प्रक्रिया और आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना को तैयार कर प्रस्तुत करना।*
  - *आग, दुर्घटना और प्राकृतिक आपदा जोखिमों हेतु निकास एवं तीव्र आपदा प्रतिक्रिया योजना को तैयार करना।*
  - *आपदाकाल के दौरान परिसंचरण प्रवाह और प्रसार सहित जन-समूह प्रबंधन के लिए प्रत्येक हैलीपैड, हेलीपोर्ट और हेलीड्रोम के लिए एक मास्टर प्लान प्रस्तुत करना।*

लेखापरीक्षा ने पाया कि डि एवं प प द्वारा अक्टूबर 2017 तक इन क्रिया-कलापों को नहीं किया था:

- डि एवं प प को हैलीपैड्स साइटों और ब हा / आश्रयों की सभी उप-परियोजनाओं के निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को लागू करना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि डि एवं प प इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में असफल रहा और प क्रि इ को पर्यवेक्षण एवं ठेकेदार द्वारा किए जा रहे निर्माण गतिविधियों में गति लाने के लिए 2016-17 में 21 संविदा अभियंता (सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता) को तैनात करना पड़ा। अक्टूबर 2017 तक इन तकनीकी कर्मचारियों को प क्रि इ द्वारा ₹ 63.82 लाख की राशि का भुगतान किया गया था जिसे डि एवं प प फर्म से वसूला जाना चाहिए।
- डि एवं प प को आपदा तैयारी (हैलीपैड और ब हॉ / आश्रयों) के अंतर्गत सृजित सुविधाओं के लिए एक वांछनीय संचालन, रखरखाव और प्रबंधन ढाँचे के लिए निम्नलिखित गतिविधियां भी करने की आवश्यकता थी:
  - *प्रत्येक उप-परियोजना स्थल के लिए संचालन, रखरखाव और प्रबंधन योजना को तैयार करना।*
  - *महानिदेशक-नागरिक उड्डयन (म ना उ) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार हैलीपैड, हेलीपोर्ट और हेलीड्रोम के लिए पृथक-पृथक व्यापक परिचालन नियमावली को तैयार करना।*

  हालांकि, अक्टूबर 2017 तक डि एवं प प द्वारा ऐसा कोई क्रिया-कलाप नहीं किया गया था।

- हैलीपैड के लिए डि एवं प प द्वारा तैयार किए गए सात वि प रि में पहुँच मार्ग का प्रावधान शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण ₹ 3.74 करोड़ के कार्यों का निष्पादन अतिरिक्त मदों के माध्यम से किया गया। डि एवं प प की इस त्रुटि का संज्ञान उच्च प्राधिकार समिति (उ प्रा स) द्वारा लिया गया था (मार्च 2017)।

निकास गोष्ठी के दौरान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग (आ प्र वि) और कार्यक्रम निदेशक-वा स प द्वारा डि एवं प प फर्म के खराब प्रदर्शन को स्वीकार किया और कहा कि फर्म को कई चेतावनी पत्र जारी किए जा चुके हैं।

स- यू जे वी एन एल

के पो यो - पु के अंतर्गत स्वीकृत दो बा सु का[28] लागत ₹ 125.52 करोड़ को सिंचाई विभाग की ओर से उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यू जे वी एन एल) द्वारा निष्पादित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी:

- उ स द्वारा प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जारी (मई 2014) किए जाने से पूर्व ही यू जे वी एन एल द्वारा दोनों कार्यों के लिए ठेके आवंटित (जनवरी और फरवरी 2014) किए गए थे। अनुमोदन के साथ निष्पादित की जाने वाली 44 कार्य-मद में से चार कार्य-मदों को हटा (इस टिप्पणी के साथ कि *'इसके प्रावधान कार्य के संबंधित कार्य मद की दर अनुसूची में शामिल हैं'*) दिया गया और कार्य की अन्य पाँच कार्य-मदों की दरों को सिंचाई विभाग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा संशोधित किया गया। यद्यपि, निगम द्वारा कार्य का क्षेत्र और दरों को संशोधित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप, ठेकेदारों को क्रमशः ₹ 2.12 करोड़ और ₹ 2.55 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया जिससे राजकोष को नुकसान हुआ।

उत्तर में, यू जे वी एन एल ने कहा (फरवरी 2018) कि ठेकेदारों को सेंटरिंग और शटरिंग (₹ 2.72 करोड़) के लिए किया गया भुगतान उनके बाद के देयकों से वसूल किया जा चुका है और कार्यों की अन्य मदों के लिए भुगतान अनुबंधो के अनुसार किया गया। इस प्रकार उ स द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी किए जाने से पूर्व कार्य आवंटित किए जाने के कारण दरों को पुनरीक्षित नहीं किया जा सका। यदि निगम द्वारा सक्षम प्राधिकारी से दरों के अनुमोदन के उपरांत ठेके दिये जाते तो कुल अतिरिक्त भुगतान ₹ 4.67 करोड़ को बचाया जा सकता था।

- इन दोनों कार्यों का परामर्शदायी-सेवा का कार्य एक फर्म को एकमुश्त आधार पर ₹ 1.72 करोड़ और ₹ 1.63 करोड़ में दिया गया था जिसके सापेक्ष क्रमशः ₹ 1.94 करोड़ और ₹ 1.77 करोड़ का भुगतान किया गया। इस प्रकार निगम द्वारा फर्म को ₹ 36 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया। जवाब में, यू जे वी एन एल ने कहा (फरवरी 2018) कि कार्यों के क्षेत्र में वृद्धि के कारण फर्म को अतिरिक्त भुगतान किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि फर्म के साथ परामर्शदायी-सेवा का ठेका एकमुश्त आधार पर था।

[28] जोशीयाड़ा, उत्तरकाशी में मनेरी-भाली चरण-2 जल विद्युत परियोजना।

- एक सड़क के पुनर्स्थापना कार्य के लिए ₹ 1.37 करोड़ का व्यय किया गया जोकि कार्य के क्षेत्र का भाग नहीं था। जवाब में, यू जे वी एन एल ने बताया (फरवरी 2018) कि स्थानीय विधायक और जिला अधिकारी द्वारा जारी निर्देश के अनुक्रम में यह कार्य कराया गया था क्योंकि सड़क आपदा-2013 मे बह गयी थी। इस प्रकार, इस कार्य को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना निष्पादित किया गया था एवं बाद मे भी इसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी।

2.2.7 ठेकेदारों को अनुचित लाभ

निम्नलिखित प्रकरणों में प क्रि इ द्वारा ठेकेदारों को अधिक भुगतान, आवश्यक रसीदें / बीजक प्राप्त किए बिना उपकरणों की खरीद के लिए अग्रिम का भुगतान, अनुबंध के नियम/शर्तों के अनुसार निर्धारित क्षति का आरोपण न किया जाना, और देयकों से श्रमिक उपकर की कटौती न कर अनुचित लाभ प्रदान किया गया:

- प क्रि इ स्तर पर की गयी ठेकेदारों के देयकों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया कि 12 प्रकरणों (***परिशिष्ट-2.5***) में देयकों में दरों व मात्राओं की गलत गणना के कारण ठेकेदारों को ₹ 31.11 लाख का अधिक भुगतान किया गया था।

  निकास गोष्ठी (फरवरी 2018) के दौरान संबन्धित विभागों द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ प्रकरणों में वसूली की जा चुकी हैं और अन्य प्रकरणों में वसूली कर ली जाएगी। यद्यपि, संबन्धित प क्रि इ से वसूली के विवरण अभी भी (मार्च 2018) प्रतीक्षित हैं।

- उ आ स प अनुबंधों के अनुच्छेद-36.1 में यह प्रावधानित किया गया है कि यदि किसी कार्य-मद का अंतिम निष्पादन अनुबंध की मात्रा के 25 *प्रतिशत* से अधिक किया जाता है (बशर्ते कि इस तरह के परिवर्तन प्रारंभिक अनुबंध मूल्य के एक *प्रतिशत* से अधिक हो) तो अभियंता द्वारा ठेकेदार को भुगतान वर्तमान बाजार दर के अनुसार संशोधित दर पर किया जाएगा।

  उ आ स प (मा एवं से) की दो प क्रि इ के तीन ठेके और प क्रि इ-नागरिक उड्डयन के एक ठेके की लेखापरीक्षा जाँच में पाया कि अनुबंध के उपरोक्त नियमों एवं शर्तों (नि एवं श) को कार्य के उन मदों हेतु लागू किया जोकि ठेकेदारों को लाभप्रद थे और उन मदों के लिए नही जहाँ ठेके की वर्तमान दरें प्रचलित बाजार दरें (तत्समय लागू दर अनुसूची) से अधिक थीं क्योंकि ठेकों की वर्तमान दरें प्रचलित बाजार दरों की तुलना में अधिक थीं। लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया कि लागू दर अनुसूची के आधार पर प्रचलित बाजार दरों को प्रयुक्त किए जाने के परिणामस्वरूप, ***परिशिष्ट-2.6*** में दिए गए विवरणों के अनुसार ₹ 1.24 करोड़ के वा स प निधि की बचत होती। इस प्रकार, अनुबंधों के नि एवं श के अनुसार प क्रि इ द्वारा विचलन के भुगतान को विनियमित न किए जाने के कारण ठेकेदारों को ₹ 1.24 करोड़ का संभावित अनुचित लाभ मिला जिस पर विभागीय जाँच की आवश्यकता है।

- उ आ स प और उ आ रि प के अधीन मार्ग एवं सेतु कार्यों के लिए हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रावधान यह निर्धारित[29] करते है कि ठेकेदार बिना शर्त बैंक गारंटी जमा करने और क्रय बीजकों की प्रतियाँ प्रस्तुत किए जाने पर अनुबंध राशि के 10 *प्रतिशत* तक ब्याज मुक्त मोबिलिज़ेशन अग्रिम (मो अ) प्राप्त करने का हकदार होगा। ठेकेदार द्वारा मो अ का उपयोग कार्य निष्पादन के लिए केवल उपकरण, संयंत्र और मोबिलिज़ेशन खर्चों के भुगतान के लिए करना था।

  उ आ स प और उ आ रि प (मा एवं से) के राज्य स्तरीय प क्रि इ की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि उ आ स प अनुबंधों के 64 प्रकरणों में मो अ ₹ 54.24 करोड़ और उ आ रि प अनुबंधों के 56 प्रकरणों में ₹ 36.28 करोड़, बैंक गारंटी के सापेक्ष क्रय बीजकों की प्रतियाँ प्राप्त किए बिना ही ठेकेदारों को दिए गए।

  निकास गोष्ठी (फरवरी 2018) के दौरान विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इस विषय पर अनुबंध विवरण मौन है इसलिए केवल बैंक गारंटी के सापेक्ष अग्रिम दिया गया था। उत्तर इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि ए वि बैं और विश्व बैंक द्वारा तैयार किए गए मानक निविदा अभिलेखानुसार मो अ बैंक गारंटी के सापेक्ष क्रय बीजकों के प्रस्तुति के उपरांत ही ठेकेदार को दिये जाने चाहिए। अतः इस शर्त को अनुबंध के नियमों और शर्तों में शामिल न किया जाना अविवेकपूर्ण था। इस प्रकार, क्रय बीजकों की प्रस्तुति के बिना ही ठेकेदारों को ₹ 90.52 करोड़ की अग्रिम राशि प्रदान किया जाना न केवल अनुबंधों के प्रावधानों के विरुद्ध था बल्कि ठेकेदारों को अनुचित लाभ भी प्रदान किया गया।

- नीचे उल्लेखित प्रकरणों में, संबंधित प क्रि इ / खंडो द्वारा ठेकेदार से कार्यों के पूर्ण होने में देरी के लिए अनुबंध में निर्दिष्ट दर से लिक्विडटेड डैमेज (एल डी) आरोपित / वसूल नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 4.25 करोड़ (***परिशिष्ट-2.7***) का अनुचित लाभ हुआ:

  - उ आ स प (अनुच्छेद-46.1) और उ आ रि प (अनुच्छेद-44.1) के अंतर्गत अनुबंध की सामान्य शर्त (अ की सा श) यह निर्धारित करती है कि कार्य में प्रतिदिन विलंब के लिए ठेकेदार प्रारम्भिक अनुबंध राशि पर 0.5 *प्रतिशत* की दर से, अधिकतम 10 *प्रतिशत* तक एल डी के भुगतान के लिए उत्तरदायी था। यद्यपि, उ आ स प (मा एवं से) और उ आ रि प (मा एवं से) के 10 कार्यों में ₹ 1.74 करोड़ की एल डी नहीं लगाई गई थी जो या तो विलंब से पूर्ण हुए अथवा विलंब के साथ प्रगतिशील थे।
  - बा सु का (के पो यो - पु) को क्रियान्यावन करने वाले सिंचाई विभाग के दो खंडों द्वारा तीन प्रकरणों में कोई एल डी नहीं लगाई थी तथा एक प्रकरण में कम दर से एल डी लगाई गयी जबकि कार्य 211 और 544 दिनों के विलंब से पूर्ण किया गया । अनुबंध के नियमों और शर्तों (आई डी फॉर्म-11 के अनुच्छेद-2) के अनुसार ठेकेदार अधिकतम एल डी ₹ 2.47 करोड़

---

[29] उ आ स प अनुबंधों के अनुच्छेद-48 और उ आ रि प अनुबंधों के अनुच्छेद-45।

(प्रारंभिक अनुबंध राशि का 10 *प्रतिशत*) के लिए उत्तरदायी थे, जिसके सापेक्ष मात्र ₹ दो लाख आरोपित / वसूल किया गया। इस प्रकार ₹ 2.45 करोड़ कम एल डी वसूल की गयी।

- एक विद्युत वितरण खंड (यू पी सी एल बागेश्वर) द्वारा एक वि आ स - पु कार्य के निर्माण में दो वर्षों से अधिक विलंब होने पर ₹ 15.80 लाख की एल डी लगायी जबकि अनुबंध के नि एवं श के अनुसार अधिकतम एल डी ₹ 21.54 लाख आरोपित की जानी चाहिए थी। इस प्रकार ₹ 5.74 लाख एल डी की कम वसूली हुई।

निकास गोष्ठी के दौरान, विभाग / प क्रि इ द्वारा लेखा परीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया गया कि कुछ प्रकरणों में वसूली प्रभावी हो गयी है और शेष प्रकरणों में वसूली कर ली जाएगी। वसूली के विवरण प्रतीक्षित थे (मार्च 2018)।

- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (मई 2012) के अनुसार अनुमानित लागत ₹ 10 लाख व उससे अधिक लागत के प्रत्येक कार्य पर एक *प्रतिशत* की दर से श्रमिक उपकर आरोपित कर स्रोत पर कटौती[30] (प्रत्येक ठेकेदार के बिल से) की जानी होती है।

  लेखापरीक्षा ने पाया कि दो प क्रि इ (गढ़वाल मंडल विकास निगम और उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड) के 31 प्रकरणों में ठेकेदारों के देयकों से ₹ 16.46 लाख की श्रमिक उपकर की कटौती नहीं की गयी, फलतः ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ।

सार रूप में, इन प क्रि इ द्वारा ठेकेदारों को ₹ 5.96 करोड़[31] का अनुचित लाभ प्रदान किया गया था।

2.2.8 ब्याज देनदारियों का सृजन

उ आ स प के अधीन 200 मिलियन यू एस $ (मई 2017 में 185 मिलियन यू एस $ पुनरीक्षित किया गया) के लिए ए वि बै के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध का प्रावधान[32] (05 फरवरी 2014) निर्धारित करता है कि ऋण का उपभोग मार्च 2017 तक किया जाना था और आहरित न किए गए ऋण राशि पर उ स 0.15 *प्रतिशत* की वार्षिक दर से प्रतिबद्धता शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। ऋण अनुबंध के अनुसार प्रतिबद्धता शुल्क आहरण की निर्धारित तिथि से 60 दिनों की छूट / रियायत अवधि के उपरांत समय-समय पर कम आहरित राशि पर देय थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उ स द्वारा मार्च 2017 तक मात्र 122.75 मिलियन यू एस $ (₹ 736.50 करोड़) का उपयोग किया और कार्यों की धीमी प्रगति व व्यवहार्य परियोजना प्रस्तावों को जमा न किए जाने के कारण 62.25 मिलियन यू एस $ (₹ 373.50 करोड़) का उपयोग नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, उ स अप्रैल 2017 से 26 फरवरी 2018 (दावे की अंतिम तिथि) तक की अवधि के लिए ए वि बैं को 0.040 मिलियन यू एस $ (₹ 24.04 लाख) के प्रतिबद्धता शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

---

30 स्रोत पर कटौती किए गए उपकर को राज्य के श्रम आयुक्त को प्रेषित किया जाना था।

31 ठेकेदारों को भुगतान किए गए मोबिलाइजेसन अग्रिम के प्रकरणों को छोड़कर।

32 ऋण अनुबंध के अनुच्छेद-I की धारा 1.01 और अनुच्छेद-II के की धारा 2.03।

सचिव, आ प्र वि और परियोजना निदेशक-वा स प ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (मार्च 2018) कि ऋण राशि का उपयोग समय-सीमा के अनुसार नही किया जा सका क्योकि कार्यों के छोड़े जाने / निष्पादन में विलंब और राज्य में कार्य करने की प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ विनिमय दर में बारबार परिवर्तन कुछ ऋण राशि के उपयोग न होने का एक अन्य कारण भी था।

इसके अलावा, वि आ स-पु के लिए भा स की स्वीकृतियों में प्रावधानित था कि उ स को प्रदान की गयी निधियाँ प क्रि अ को बिना किसी विलम्ब के अवमुक्त की जायेगी और मार्च 2017 तक उपयोग की जायेगी, ऐसा न करने पर, धनराशि चूक की अवधि के ब्याज के साथ भा स को वापस किया जाना था।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया कि वित्तीय स्वीकृतियों को जारी न किए जाने और प क्रि अ द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण मार्च 2017 के अंत में राज्य सरकार के पास वि आ स-पु की धनराशि ₹ 274.29 करोड़ अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। इस प्रकार उ स द्वारा अप्रयुक्त राशि भा स को वापस करने में विफल रहने के कारण अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक 7.16 *प्रतिशत*[33] की वार्षिक दर से ₹ 19.64 करोड़ की ब्याज देयता सृजित की गयी। ₹ 274.29 करोड़ की यह अप्रयुक्त राशि उन निधियों के अतिरिक्त है जो प क्रि अ के पास अव्ययित/अप्रयुक्त थी और समर्पण नहीं की गयी (जैसा *प्रस्तर-2.2.5* में वर्णित है)।

2.2.9 ब्याज प्राप्तियों का गलत प्रयोग

नीचे उल्लिखित प्रकरणों में, म और दी पु निधियों पर प्राप्त ब्याज प्राप्तियों का प्रयोग निर्धारित मानदंडों / नियमों के अनुसार नहीं था:

- सरकारी लेखाकरण नियम-31 (ई) यह निर्धारित करता है कि पूंजीगत परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान अर्जित किसी भी प्राप्ति का उपयोग पूंजीगत व्यय में कमी करके किया जाना चाहिए और इसे सरकार या उपक्रम के राजस्व खाते में जमा नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, 11 प क्रि इ की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया कि उ आ स प / उ आ रि प के बैंक खातों पर अर्जित ब्याज ₹ 6.47 करोड़[34] की राशि राज्य सरकार के कोषागार लेखा शीर्ष-0049 में जमा की गई, जबकि कार्यों की प्रकृति पूंजीगत थी और वाह्य सहायतित परियोजना निधि से निष्पादित किये जा रहे थे। राज्य सरकार द्वारा उत्तर (मार्च 2018) दिया गया कि वा स प पर अर्जित ब्याज राज्य सरकार से संबन्धित है क्योंकि राज्य द्वारा कार्यों के लिए व्यय पहले अपने स्वंय के संसाधनों से किया जाता है जिसे बाद में ए वि बैं / विश्व बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन ब्याज प्राप्तियों का प्रयोग निर्धारित लेखांकन नियमों के अनुसार नहीं था।

---

[33] भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार केन्द्र सरकार के वर्ष 2016-17 के दिनांकित प्रतिभूति का भारित औसत प्राप्ति।

[34] उ आ स प - का क्रि ई:नागरिक उड्डयन (₹ 19.59 लाख), मार्ग एवं सेतु (₹ 114.08 लाख), पर्यटन-ग मं वि नि (₹ 32.08 लाख) और कु मं वि नि (₹ 19.94 लाख), जल आपूर्ति-उ ज सं (₹ 59.52 लाख), और का प्र ई (₹ 199.22 लाख) और उ आ रि प-का क्रि ई मार्ग एवं सेतु (₹ 1.07 लाख), आ जो प्र त स और क्ष वि (₹ 40.49 लाख), सार्वजनिक भवन (₹ 26.11 लाख), रिहायशी आवास (₹ 49.59 लाख), और का प्र ई (₹ 85.32 लाख)।

- समेकित बाल विकास योजना (स बा वि यो) की लेखा परीक्षा के दौरान पाया कि वि आ स-पु कार्यों के बैंक खाते में अर्जित ब्याज ₹ 28.95 लाख की धनराशि राज्य सरकार के कोषागार शीर्ष-0049 में जमा की गई जबकि योजना का शत-प्रतिशत वित्तपोषण भा स द्वारा किया गया था।
- यू जे वी एन एल द्वारा ठेकेदारों को दिये गए मोबिलाइजेशन अग्रिम पर अर्जित ब्याज की राशि ₹ 2.52 करोड़ (₹ 161.04 लाख और ₹ 90.98 लाख) को न तो राज्य सरकार को उपलब्ध कराया गया और न ही स्वीकृति के सापेक्ष बाद की अवमुक्त राशियों से समायोजित करवाया गया। यू जे वी एन एल ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (फरवरी 2018) कि निगम ने कार्यों की प्रगति को बनाए रखने के लिए परियोजनाओं में अपने धन का भी निवेश किया क्योंकि उ स द्वारा स्वीकृत निधि समय से प्रदान नहीं की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यों के लिए संपूर्ण निधियाँ यू जे वी एन एल द्वारा अपने स्रोत से वहन नहीं की गयी थी; अतैव, सरकारी वित्तपोषण के ब्याज राशि का उपयोग परियोजनाओं की पूंजी लागत में कमी करने के लिए किया जाना चाहिए था।

2.2.10 उपयोगिता प्रमाण पत्रों को बढ़ाकर प्रस्तुत करना

प क्रि अ / कार्यालय को कार्य पूर्ण / धन व्यय किए जाने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ प्र प) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प क्रि अ ने निम्नलिखित प्रकरणों में बढ़े हुए / स्फीतिय उ प्र प प्रस्तुत किए गए थे:

- जि आ प्र प्रा-रुद्रप्रयाग द्वारा वि आ स-पु निधि के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सिविल इकाई (लो नि वि), गुप्तकाशी को मार्च 2017 तक ₹ 23.59 करोड़ जारी किए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2017 तक किए गए कार्यों का वास्तविक व्यय मात्र ₹ 14.62 करोड़ था लेकिन अभिकरण द्वारा उ स / भा स को अग्रसारित किए जाने हेतु जि आ प्र प्रा-रुद्रप्रयाग को ₹ 20.66 करोड़ रुपये के उ प्र प जारी (नवम्बर 2016) किए।
- जि आ प्र प्रा, रुद्रप्रयाग के लिए काम कर रहे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों के लिए भवनों के पुनर्निर्माण के कार्य हेतु ₹ 24.50 करोड़ का उ प्र प प्रस्तुत (नवंबर 2016) किया गया जबकि सितंबर 2017 तक वास्तविक व्यय ₹ 12.86 करोड़ था।
- उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) ने उ स को ₹ 11.94 करोड़ का उ प्र प प्रस्तुत (मई 2016) किया गया जबकि अक्टूबर 2017 तक वास्तविक व्यय मात्र ₹ 5.66 करोड़ था।
- कृषि विभाग में, दो क्षेत्रीय कार्यालय (बागेश्वर और मोरी) द्वारा ₹ 1.31 करोड़ का उ प्र प जारी किया जबकि मार्च 2017 तक वास्तविक व्यय मात्र ₹ 0.80 करोड़ था।
- उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) के चार क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्वीकृत कार्यों के निष्पादन के बिना ही, उ स को अग्रसारित करने के लिए यू पी सी एल को

₹ 3.23 करोड़[35] (अक्टूबर 2016) के उ प्र प प्रस्तुत किए गए। चार खंडो में से, तीन खंडो ने कहा कि वि आ स-पु की राशि ₹ 3.03 करोड़ सरकार को वापस कर दी जाएगी। यद्यपि, धारचूला खंड ने कहा कि उसके द्वारा सरकार से किसी भी सहायता की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल अपने आंतरिक संसाधनों से ₹ 63.98 लाख का आपदा कार्य किया गया इसलिए उपरोक्त राशि को समायोजित करने के बाद शेष राशि ₹ 19.67 लाख कॉर्पोरेट कार्यालय के अनुमोदन के बाद समर्पित की जाएगी।

[35] वि वि ख-धरचूला (₹ 19.67 लाख), वि वि ख-नारायणबगड़ (₹ 50 लाख), वि वि ख-गोपेश्वर (₹ 70 लाख), वि वि ख-रूद्रप्रयाग (₹ 183.46 लाख)।

अध्याय - 3

क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे की आयोजना और पुनर्निर्माण

अध्याय-3: क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे की आयोजना एवं पुनर्निर्माण

3.1 परिचय

विशेष आयोजनागत सहायता, केंद्र पोषित योजनाओं (के पो यो - पु) एवं केंद्रीय योजना सहायता के अन्तर्गत स्वीकृत पुनर्निर्माण कार्य मार्च 2016 तक पूर्ण किए जाने थे परन्तु इन्हें भारत सरकार (भा स) द्वारा राज्य में कठिन परिस्थितियों को देखते हुए मार्च 2017 तक विस्तारित / अनुमत (अक्टूबर 2016) किया गया था। आगे, उत्तराखण्ड सरकार स (उ स) और एशियन विकास बैंक (ए वि बैं) / विश्व बैंक (वि बैं) के बीच निष्पादित ऋण समझौते के अनुसार ए वि बैं द्वारा वित्तपोषित उत्तराखण्ड आपातकालीन सहायता परियोजना (उ आ स प) और वि बैं द्वारा वित्तपोषित उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना (उ आ रि प) क्रमशः मार्च 2017 और दिसंबर 2017 तक पूर्ण की जानी थी।

राष्ट्रीय / राज्य आपदा मोचन निधि (राष्ट्रीय / राज्य आ मो नि) ₹ 274.43 करोड़ वर्ष 2013-14 के दौरान आवश्यक और तत्काल प्रकृति के बुनियादी ढाँचे की पुनर्स्थापना के लिए थे। विशेष आयोजनागत सहायता-पुनर्निर्माण (वि आ स - पु) केवल पाँच गंभीर रूप से प्रभावित जिलों के लिए दी गयी थी जबकि उ आ स प, उ आ रि प, के पो यो - पु और राज्य आ मो नि की निधियाँ सभी जिलों के लिए थी।

राज्य सरकार के संबन्धित कार्यकारी विभागों / एजेंसियों को मध्यम और दीर्घकालिक पुनर्निर्माण (म और दी पु) पैकेज के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। 31 मार्च 2018 को कार्यपूर्ति की स्थिति नीचे **चार्ट-3.1** में दिखायी गयी है:

चार्ट-3.1: 31 मार्च 2018 को वित्तपोषण स्रोतवार कार्य की स्थिति

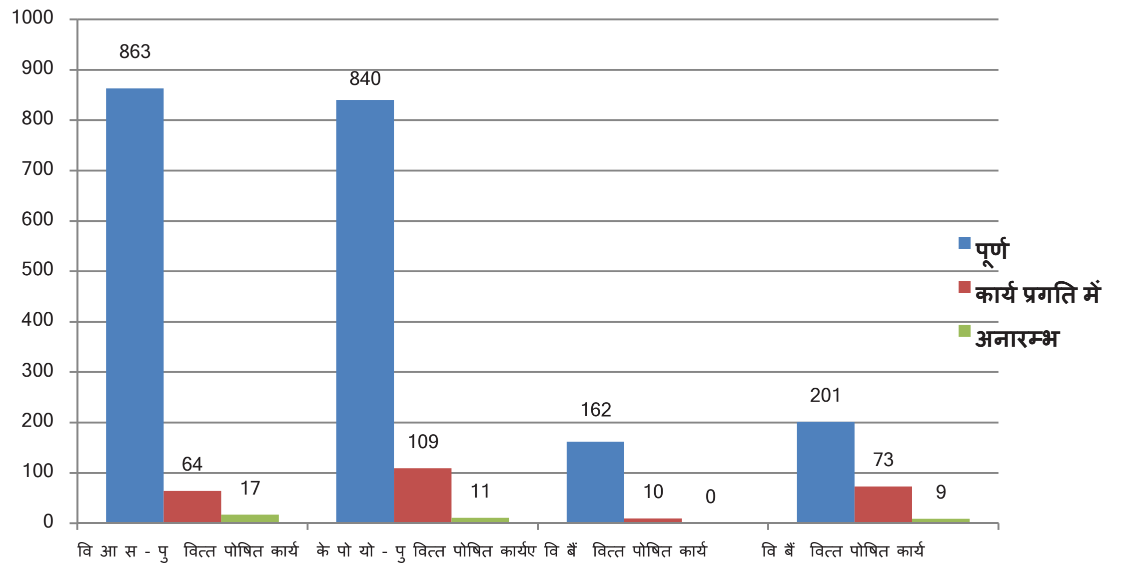

स्रोत: संबन्धित नोडल अभिकरणों के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना ।

कार्यों के पूर्ण किए जाने की निर्धारित तिथि एवं 31 मार्च 2018 की स्थिति का विभागवार विवरण ***परिशिष्ट-3.1*** में दिया गया है।

म और दी पु के अन्तर्गत राज्य प्राधिकरणों द्वारा पहचान की गई क्षतिपूर्ति, योजना और पुनर्निर्माण कार्यों के निष्पादन के क्षेत्रवार विवरणों की आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

3.2 मार्ग, सेतु और पैदल मार्ग

मार्ग राज्य की जीवनरेखा हैं क्योंकि उत्तराखण्ड राज्य में लगभग 90 *प्रतिशत* यात्रियों और सामान का आवागमन सड़क से होता है। यह क्षेत्र लोक निर्माण विभाग (लो नि वि) द्वारा प्रशासित किया जाता है जो मार्गों और सेतुओं की योजना, निर्माण और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। जून 2013 की आपदा के समय राज्य में समग्र मार्ग नेटवर्क लगभग 28,199 किमी[36] और 1,773 मोटर सेतु (मो से) थे। इसके अतिरिक्त, लो नि वि 3,736 किलोमीटर पैदल मार्गों और 1,073 पैदल सेतु भी प्रशासित करता है।

संयुक्त त्वरित क्षति और आवश्यकता आंकलन (सं त्व क्ष और आ आं) की रिपोर्ट के अनुसार, जून 2013 की आपदा ने लगभग 2,174 मार्गों (8,908.78 किमी[37]), 85 मोटर सेतुओं, 140 पैदल सेतुओं और लगभग 4,200 गांवों से सम्पर्क को वृहद रूप से नुकसान पहुंचाया था। सम्पर्क मार्गों के नुकसान के कारण खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और जनसंख्या की आजीविका बुरी तरह प्रभावित थे और पर्यटन गतिविधियां पूरी तरह से बाधित हुई जो आबादी पर आपदा के असर को बढ़ा रहे थे।

राज्य सरकार ने अपने प्रस्ताव (सितंबर 2013) में भा स से मार्गों और सेतु क्षेत्र के लिए ₹ 3,456.80 करोड़ की माँग की जिसके सापेक्ष म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत ₹ 2,108.49 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। 7,290 किमी लम्बाई के राज्य राजमार्गों (रा रा), मुख्य जिला मार्ग (मु जि मा), अन्य जिला मार्ग (अ जि मा), ग्रामीण मार्ग (ग्रा मा) और इनके सेतुओं की मरम्मत / पुनर्निर्माण के लिए धनराशि म और दी पु पैकेज में शामिल की गई थी, जबकि प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्गों (रा रा मा), सीमा सड़क संगठन (सी स सं) और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (प्र म ग्रा स यो) की मार्गों के लिए धन सीधे भा स द्वारा उपलब्ध कराया गया।

म और दी पु पैकेज (वा स प और वि आ स - पु) के अन्तर्गत नियोजित / स्वीकृत कार्यों के विवरण नीचे **तालिका-3.1** में दिए गए हैं:

[36] 1,151 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग, 3,788 किमी राज्य राजमार्ग, 3,290 किमी मुख्य जिला मार्ग, 2,945 किमी अन्य जिला मार्ग, 15,402 किमी ग्रामीण मार्ग, 1,623 किमी सीमा सड़क संगठन की सड़कें।

[37] मोटर मार्ग- 8,472.43 किमी और सेतु मार्ग- 436.35 किमी।

तालिका-3.1: वित्तपोषण के प्रत्येक स्रोत के तहत योजनाबद्ध / स्वीकृत कार्यों का विवरण

मार्गों के प्रकार	ए वि बैं वित्त पोषण (उ आ स प)		वि बैं वित्त पोषण (उ आ रि प)		वि आ स - पु वित्त पोषण[38]	
	नियोजित मार्गों की लंबाई (किमी)	अनुमोदित परिव्यय (₹ करोड़ में)	नियोजित मार्गों की लंबाई (किमी)	अनुमोदित परिव्यय (₹ करोड़ में)	नियोजित मार्गों की लंबाई (किमी)	अनुमोदित परिव्यय (₹ करोड़ में)
राज्य राजमार्ग	1,800	708*	-	-	175	300*
मुख्य जिला मार्ग			-	-		
उ रा स सु का[39] मार्ग	600		-	-	-	
अन्य जिला मार्ग	-	-	675	930	-	
ग्रामीण मार्ग	-	-	3,600		-	
पैदल मार्ग	-	-	440		-	
कुल (मोटर मार्ग)	***2,400***	***708***	***4,715***	***930***	***175***	***300***
मोटर / पैदल सेतु	**16**		**140**		**14**	

स्रोतः विभागीय आंकड़े । ** पुलों की लागत सहित*

उ आ स प और उ आ रि प के पुनर्निर्माण कार्यों को लो नि वि के समर्पित परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों (प क्रि इ) द्वारा प्रबंधित / निष्पादित किया गया था जबकि वि आ स - पु और राष्ट्रीय / राज्य आ मो नि के पुनर्निर्माण कार्यों को सीधे लो नि वि के अपने क्षेत्रीय खंडों के माध्यम से प्रबंधित / निष्पादित किया गया था। लेखापरीक्षा में आच्छादित पाँच जिलों के साथ-साथ पूरे राज्य के लिए प्रत्येक निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की वास्तविक संख्या का विवरण नीचे **तालिका-3.2** में दिया गया हैं:

तालिका-3.2: जिलेवार स्वीकृत कार्यों का विवरण *(लागत / प्रगति ₹ करोड़ में)*

जिले का नाम	उ आ स प के कार्य			उ आ रि प के कार्य			वि आ स - पु के कार्य		
	स्वीकृत कार्य		वित्तीय प्रगति	स्वीकृत कार्य		वित्तीय प्रगति	स्वीकृत कार्य		वित्तीय प्रगति
	सं.	लागत	(03/2018)	सं.	लागत	(03/2018)	सं.	लागत	(03/2018)
बागेश्वर	09	41.47	36.25	26	126.80	109.45	102	24.44	24.23
चमोली	15	112.29	105.08	40	209.90	151.58	27	26.11	22.29
पिथौरागढ़	10	104.04	46.41	33	198.24	103.69	46	31.54	15.84
रुद्रप्रयाग	05	36.22	28.39	35	110.24	83.62	50	86.89	72.24
उत्तरकाशी	10	71.25	60.06	28	90.28	75.69	300	149.47	122.73
कुल	***49***	***365.27***	***276.19***	***162***	***735.46***	***524.03***	***525***	***318.45***	***257.33***
सम्पूर्ण राज्य में	**119***	**924.12**	**819.08**	**262**	**1,050.99**	**782.54**	**525**	**318.45**	**257.33**

**मार्ग / सेतु के 110 कार्य (₹ 860.30 करोड़) और 9 पैदल मार्ग (₹ 63.82 करोड़)।*

उपर्युक्त के अतिरिक्त, पाँच चयनित जिलों के संबन्धित जिलाधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय / राज्य आ मो नि के अन्तर्गत ₹ 67.30 करोड़ के 718 कार्यों की स्वीकृति प्रदान किए गए थे।

स्वीकृत कार्यों की समग्र स्थिति का आंकलन पाँच नमूना जिलों के साथ-साथ नोडल प क्रि इ और प्रमुख अभियन्ता (प्र अ) लो नि वि, देहरादून, के स्तर पर की गई:

[38] वि आ स - पु वित्तपोषण गंभीर रूप से प्रभावित पांच जिलों के उन अतिरिक्त क्षतिग्रस्त कार्यों / सेतुओं के लिए थी जो उ आ स प / उ आ रि प का हिस्सा नहीं थे।

[39] नवंबर 2006 से ए वि बैं वित्तपोषण के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुधार कार्यक्रम (उ रा स सु का) लागू किया जा रहा है।

- वि आ स - पु द्वारा वित्तपोषित ₹ 210.46 करोड़ के 117 कार्य (22 *प्रतिशत*) जो कुल स्वीकृत लागत का 66 *प्रतिशत* है;
- उ आ स प द्वारा वित्तपोषित ₹ 236.30 करोड़ मूल्य के 35 कार्य (29 *प्रतिशत*) जो कुल स्वीकृत लागत का 26 *प्रतिशत* है;
- उ आ रि प द्वारा वित्तपोषित ₹ 302.47 करोड़ मूल्य के 55 कार्य (21 *प्रतिशत*) जो कुल स्वीकृत लागत का 29 *प्रतिशत* है; एवं
- चयनित प क्रि इ को राज्य आ मो नि के अन्तर्गत स्वीकृत ₹ 67.30 करोड़ के कुल 718 कार्यों में से ₹ 18.56 करोड़ (28 *प्रतिशत*) मूल्य के 86 कार्य (12 *प्रतिशत*)।

3.2.1 आयोजनागत सम्बन्धी मुद्दे

3.2.1.1 नोडल एजेंसी द्वारा क्षतिग्रस्त कार्यों की अनुचित पहचान और नियोजन

उ स ने राज्य के सभी कार्यकारी विभाग को जून 2013 की आपदा से क्षतिग्रस्त भौतिक आधारभूत संरचना की त्वरित पहचान / आंकलन के लिए निर्देशित (4 जुलाई 2013) किया और नुकसान की मात्रा का आंकलन और तदानुसार धन का प्रावधान किये जाने हेतु इसके विवरण[40] सरकार / सं त्व क्ष और आ आ मिशन को प्रदान करने के लिए कहा।

निम्नलिखित विसंगतियां पायी गईं:

- वि आ स - पु की अनुमोदित सूची (525 कार्य) के अन्तर्गत ₹ 15.65 करोड़ की लागत के 119 सड़क कार्य जून 2013 आपदा के कारण होने वाली क्षति से सम्बन्धित नहीं थे। लो नि वि द्वारा ये कार्य वर्ष 2012-13 में विशेष आयोजनागत सहायता के अन्तर्गत पुनर्निर्माण / पुनर्स्थापन के लिए पहले से ही स्वीकृत[41] थे, जो यह दर्शाता है कि आगणन और वित्तपोषण का स्रोत पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। म और दी पु पैकेज केवल उन कार्यों के लिए विनिर्दिष्ट था जो 2013 की आपदा से संबन्धित थे। इस प्रकार, विभाग ने म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत उन कार्यों की सिफारिश की जो 2013 की आपदा में क्षतिग्रस्त नहीं थे।
- वि आ स - पु की स्वीकृत सूची में शामिल ₹ 37.99 करोड़ लागत के 73 कार्य वित्तपोषण के अन्य स्रोतों के अन्तर्गत भी शामिल किये गए थे। बाद में, इन कार्यों की स्वीकृतियां ₹ 1.25 करोड़ के व्यय के बाद रद्द कर दी गई। इसलिए, विभाग वित्तपोषण के विभिन्न घटकों के अंतर्गत इन कार्यों के प्रस्ताव भेजते समय उचित सतर्कता बरतने में असफल रहा था।
- रद्द किए गए कार्यों के बदले और वि आ स - पु के अन्य कार्यों की बचत को समायोजित करने के लिए वि आ स - पु के अन्तर्गत ₹ 72.05 करोड़ लागत के 123 कार्य (117 मार्गों और 6 सेतुओं) को बाद में (2015 और 2016) स्वीकृत किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन कार्यों की स्वीकृति से पहले भा स से कोई मंजूरी नहीं ली गई थी।

---

40 आवश्यक सहायता के क्षेत्र, विभिन्न संपत्तियों के लिए धन की आवश्यकता का अनुमानित अनुमान, क्षतिग्रस्त संपत्तियों को शामिल करने के लिए मौजूदा परियोजनाओं के पुनर्गठन का दायरा, और परियोजना प्रस्तावों की तैयारी के लिए प्रस्तावित समय-सारिणी।

41 केंद्र और राज्य सरकार के बीच 90:10 के अनुपात में वि आ स के अन्तर्गत स्वीकृत था।

- ए वि बैं सहायतित उ आ स प के अन्तर्गत रा रा, मु जि मा और शहरी मार्ग एवं वि बैं सहायतित उ आ रि प के अन्तर्गत ग्रा मा और अ जि मा के आच्छादन के लिए स्पष्ट निर्धारण के बावजूद लेखा परीक्षा में पाया गया कि ₹ 8.20 करोड़ की लागत का एक ग्रा मा (जिला उत्तरकाशी के फुल्चट्टी-जानकीचट्टी मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण) उ आ स प के अंतर्गत लिया गया था। यह सड़क उ आ रि प की क्षतिग्रस्त मार्गों की सूची में भी शामिल नहीं थी। विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा कि परिवर्तन उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति (उ प्रा स) की स्वीकृति से किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारित मानदंडों के अनुसार काम स्वीकृत / निष्पादित नहीं किया गया था।

- आपदा प्रबंधन विभाग, उ स ने उत्तरकाशी जिले के ऐसे 14 क्षतिग्रस्त सेतुओं[42] (₹ 54.10 करोड़) के पुनर्निर्माण के लिए नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रकशन कॉरपोरेशन (एन बी सी सी) (इण्डिया) लिमिटेड के साथ एक अनुबन्ध (मार्च 2013) गठित किया जो 2012 के मानसून या उससे पहले की अवधि के दौरान ढह गए थे / क्षतिग्रस्त हुये थे। हालांकि, जून 2013 की आपदा के फलस्वरूप, इन 14 सेतुओं के पुनर्निर्माण का कार्य म और दी पु पैकेज में (₹ 80.43 करोड़) वि आ स-पु के अन्तर्गत शामिल था। उ स द्वारा 12 सेतुओं (₹ 68.61 करोड़) का काम पुन: एन बी सी सी (इण्डिया) लिमिटेड को सौंपा गया और दो सेतुओं का काम (₹ 11.82 करोड़) लो नि वि के एक क्षेत्रीय खण्ड को दिया गया था। तदानुसार, उत्तरकाशी जिला के 12 पुलों के पुनर्निर्माण के लिए लो नि वि और एन बी सी सी के बीच एक नया अनुबन्ध (₹ 68.61 करोड़) हस्ताक्षरित किया गया (फरवरी 2015)। एन बी सी सी द्वारा नवंबर-2017 तक केवल सात सेतुओं के कार्य को पूर्ण किया गया और शेष पाँच सेतुओं के कार्य अपूर्ण थे। यद्यपि, बाद में एन बी सी सी द्वारा सूचित किया गया (अगस्त 2018) कि 31 मार्च 2018 तक 10 पुलों का काम पूर्ण हो चुके थे और केवल दो सेतु अपूर्ण थे।

इस तरह, उ स द्वारा ₹ 80.43 करोड़ की लागत वाले इन 14 पुलों की पुरानी देयता को वि आ स - पु के 100 *प्रतिशत* केन्द्र पोषित घटक के हिस्से के रूप में म और दी पु पैकेज में शामिल किया गया जो कि केवल 2013 की आपदा से संबन्धित पुनर्निर्माण कार्यों के लिए विनिर्दिष्ट था।

- इसके अलावा, एन बी सी सी द्वारा मार्च 2014 में ब्लॉक-डुंडा में नाकुरी-अथाली के पास भागीरथी नदी पर 80 मीटर लंबाई का स्टील ट्रस मोटर सेतु का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यह कार्य पूरी तरह से नया था, जिसे अभिलेखों में 2012 में क्षतिग्रस्त पुराने पुल के पुनर्निर्माण के रूप में दिखाया गया था। यद्यपि, चक्रवात / आंधी में सेतु की निर्माणाधीन संरचना के गिर जाने के कारण ₹ 7.10 करोड़ के व्यय के बाद भी मई 2016 के बाद से सेतु का निर्माण कार्य रुका हुआ था। सेतु का पुनर्निर्माण ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर (बीमा दावे के आधार पर) किया जाना था।

[42] कार्य केंद्र और राज्य सरकार के बीच राज्य आ मो नि के अन्तर्गत 90:10 के अनुपात में स्वीकृत था।

तस्वीर (नवनिर्मित पैदल सेतु से लिया गया) नाकुरी और गिरे हुये मोटर सेतु जिसे 100 मीटर ऊपर की ओर निर्मित किया जा रहा है, दोनों कार्यस्थल को दर्शित कर रही है।

यह भी देखा गया कि इस मोटर सेतु का स्थल, एन बी सी सी लिमिटेड की एक अन्य परियोजना से करीब 100 मीटर दूर (ऊपर की ओर) स्थित था जहाँ 102 मीटर लंबाई के पैदल झूलापुल का निर्माण (जून 2016) ₹ 6.92 करोड़ की लागत से किया गया था जैसा कि पार्श्व में दी गई तस्वीर में दर्शित है (दोनों सेतु उन 12 सेतुओं में से थे जिन्हें निर्माण के लिए एन बी सी सी को सौंपा गया था)। अतः, न केवल मोटर सेतु की स्वीकृति एक नया काम होने के कारण अनियमित थी अपितु कम से कम पैदल झूलापुल के पुनर्निर्माण (₹ 6.92 करोड़) पर किए गए व्यय से बचा जा सकता था क्योंकि दोनों सेतुओं का निर्माण एक ही स्थल व लक्षित आबादी के लिए किया जा रहा था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (फरवरी 2018) कि ये सभी परिवर्तन उ प्रा स की उचित मंज़ूरी के साथ किए गए थे।

3.2.1.2 एक ही कार्य के लिए कई स्रोत से वित्तपोषण

म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत, उ स ने योजना बनाई थी कि रा रा, मु जि मा, अ जि मा, और ग्रा मा की बुरी तरह क्षतिग्रस्त सड़कें या उसके भाग का पुनर्निर्माण कार्य वा स प के अन्तर्गत किया जाएगा और उन मार्गों का क्षतिग्रस्त भाग जो वा स प के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं थी, को वि आ स - पु के अन्तर्गत वित्तपोषण के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक जिलाधिकारियों के निपटारे पर रखे गए राज्य आ मो नि का इस्तेमाल जून 2013 की आपदा के उपरान्त सभी तत्काल प्रकृति के मार्ग कार्यों जैसे मार्ग आवागमन को खोलना, के लिए किया जाना था।

मुख्य अभियन्ता कार्यालय लो नि वि और नमूना परीक्षित क्षेत्रीय खंडों / प क्रि इ की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि 20 सड़क कार्यों में एक ही कार्य को कई स्रोतों से वित्तपोषित किया गया था और कार्य के मदों की पुनरावृत्ति थी, जिससे ₹ 5.52 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ:

- 15 मार्ग कार्यों के पुनर्निर्माण के लिए प्रमुख अभियन्ता, लो नि वि द्वारा वि आ स - पु के अन्तर्गत ₹ 3.65 करोड़ की धनराशि नौं क्षेत्रीय खंडों को इस तथ्य के बावजूद स्वीकृत की थी कि जून 2013 आपदा के बाद इन मोटर मार्गों की चिन्हित क्षतियों के पुनर्निर्माण के प्रस्तावों को वा स प (₹ 107.69 करोड़) के अन्तर्गत उ आ स प / उ आ रि प की जिला स्तरीय समर्पित प क्रि इ के द्वारा निष्पादन के लिए स्वीकृत थे ***(परिशिष्ट-3.2-अ)***।
- दो मामलों में, वि आ स - पु के अन्तर्गत ₹ 0.72 करोड़ के कार्य उन मदों के लिए स्वीकृत किए गए थे जो 2013 की आपदा के बाद क्रमशः राज्य क्षेत्र (₹ 20.25 करोड़) और प्र म ग्रा स यो (₹ 26.46 करोड़) के अन्तर्गत पूरी तरह से पुनर्निर्मित किए जा रहे थे। इसके अलावा, वि आ स - पु के अन्तर्गत तीन मार्गों के लिए भी ₹ 1.15 करोड़ स्वीकृत किए गए थे (जून 2016) जिसमें राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत विस्तार और सुदृढ़ीकरण (₹ 8.36 करोड़) के प्रमुख काम पहले से ही प्रगति पर थे और क्षति के किसी भी आवश्यक कार्यों को मौजूदा अनुबंधों में विचलन के माध्यम से पूरा किया जा सकता था। स्रोतवार वित्तपोषण का विवरण ***परिशिष्ट-3.2-ब*** में दिया गया है।

विभाग द्वारा उत्तर (फरवरी 2018) में बताया गया कि वि आ स - पु की स्वीकृतियां क्षेत्रीय खंडों द्वारा मार्गों के उचित रख रखाव को बनाए रखने के लिए आवश्यक थी जबकि वा स प से संबन्धित धनराशियों का उपयोग प्रमुख कार्यों के लिए किया गया था। उत्तर इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि राज्य आ मो नि 2013-14 के अंतर्गत तत्काल प्रकृति के कार्यों को पहले से ही स्वीकृत / निष्पादित कर दिया गया था। म और दी पु कार्यों को इस तरह से योजनाबद्ध / स्वीकृत करने की आवश्यकता थी कि मोटर मार्ग या मार्ग के हिस्से से संबन्धित पूरे कार्यों को एकल स्रोत वित्तपोषण और निष्पादित अभिकरण / खंड द्वारा आच्छादित किया जाय। इससे वि आ स - पु के तहत ₹ 5.52 करोड़ के व्यय से बचा जा सकता था जिसका इस्तेमाल कुछ अन्य क्षतिग्रस्त कार्यों के आच्छादन के लिए किया जा सकता था।

3.2.1.3 उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना (उ आ रि प) द्वारा अधिक विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (वि प रि) को तैयार किया जाना

उ आ रि प (अ जि मा / ग्रा मा) की मार्ग एवं सेतु (मा और से) के कार्यों के लिए कुछ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (वि प रि) लो नि वि के क्षेत्रीय खण्डों द्वारा खण्डीय स्तर पर तैयार की गई थीं और कुछ वि प रि राज्य स्तरीय प क्रि इ (मा और से), देहरादून द्वारा अनुबंधित डिजाइन एवं पर्यवेक्षण परामर्श (डि एवं प प) फर्म के माध्यम से तैयार किए जाने थे।

प क्रि इ (मा और से) उ आ रि प, देहरादून की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि प क्रि इ द्वारा आठ जिलों से संबन्धित 1,288.82 किमी सड़क लंबाई और 62 सेतुओं के लिए 317 वि प रि (जून 2014 और मार्च 2015 के बीच) को तैयार करने के कार्य को चार डि एवं प प फर्मों को सौंपा था, जिसके सापेक्ष उनके द्वारा ₹ 14.26 करोड़ की लागत से मार्गों और सेतुओं के लिए क्रमशः 108 और 61 वि प रि तैयार की गई। यद्यपि, उ प्रा स ने केवल 71 वि प रि (46 मार्गों और 25 सेतुओं) से संबन्धित कार्यों को मंजूरी दी और शेष ₹ 5.81 करोड़ की लागत से तैयार 98 वि प रि (62 मार्गों और 36 सेतुओं) अप्रयुक्त पड़ी रही।

विभाग द्वारा निकास गोष्ठी (फरवरी 2018) के दौरान उत्तर दिया गया था कि कुछ वि प रि को लो नि वि के नियमित खंडों को सौंपे जा रहे थे और सेतुओं की शेष वि प रि का उपयोग वि बैं से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होने पर किया जाएगा।

3.2.2 कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दे

3.2.2.1 नियत समय सीमा के भीतर कार्यों का पूर्ण न होना

वा स प वित्तपोषित कार्यों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि उ आ स प वित्तपोषित कार्यों को पूर्ण किए जाने कि नियत तिथि मार्च 2017 तथा उ आ रि प वित्तपोषित कार्यों को पूर्ण किए जाने कि नियत तिथि दिसंबर 2017 के सापेक्ष प क्रि इ (मा और से) उ आ स प द्वारा कुल 110 कार्यों (₹ 861.78 करोड़) में से ₹ 557.45 करोड़ के 83 कार्य (75 *प्रतिशत*) पूर्ण किए जा सके और 27 कार्य प्रगति पर थे। आगे, प क्रि इ (मा और से) उ आ रि प द्वारा 262 कार्यों (₹ 1,050.99 करोड़) में से ₹ 419.84 करोड़ के मात्र 153 कार्यों (58 *प्रतिशत*) को पूरा किया जा सका जबकि 93 कार्य प्रगति पर थे और 16 कार्य लेखा परीक्षा की तिथि (अगस्त / सितंबर 2017) तक अनारम्भ थे। लक्षित समय-सीमा की गैर-उपलब्धि इस तथ्य के बावजूद थी कि वा स प के

लगभग 66 *प्रतिशत* चिन्हित क्षतिग्रस्त कार्यों (सड़क: 48 *प्रतिशत* और सेतु: 84 *प्रतिशत*) को आच्छादित नहीं किया गया था *(सन्दर्भ प्रस्तर 3.2.2.5)* और वहां कोई भूमि / स्थल की अनुपलब्धता का मुद्दा भी नहीं था, क्योंकि यह मौजूदा कार्यों के पुनर्निर्माण थे। कार्यों के पूरा होने में देरी के लिए मुख्य रूप से राज्य के दूरस्थ / पहाड़ी इलाके में प्रतिकूल कार्य परिस्थितियां; परियोजनाओं की तैयारी/स्वीकृति और कार्यों के अनुबन्ध में देरी; और कई मामलों में अतिरिक्त मदों का निष्पादन, जिम्मेदार थे।

छः नमूना परिलक्षित पैदल मार्गों (कुल नौं में से) की लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 40.94 करोड़ के इन कार्यों को विभिन्न स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादन के लिए 98 भागों[43] में विभाजित किया गया था, जिसके लिए उ प्रा स की उचित मंजूरी और तत्संबंधी वित्तीय नियमों / ए वि बैं मापदण्डों में इस आधार पर ढील दी गई थी कि इससे कार्यों को समय पर पूरा होने में मदद मिलेगी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी नौं कार्यों की प्रगति बहुत धीमी थी जो 04 से 66 *प्रतिशत* के बीच थी (जून 2017)।

इसी प्रकार, वि आ स - पु के अंतर्गत स्वीकृत ₹ 72.45 करोड़ की धनराशि उ स द्वारा निर्गत नहीं किए जाने के कारण लो नि वि के क्षेत्रीय खंडों द्वारा कुल 525 स्वीकृत कार्यों में से केवल 488 कार्य (93 *प्रतिशत*) पूर्ण किए जा सके (जून 2017) जबकि 37 कार्य अभी तक प्रगति पर थे।

यद्यपि, मार्च 2018 के अंत में कार्यों की स्थिति जैसा की नोडल एजेंसियों द्वारा सूचित किया (जुलाई / अगस्त 2018) गया, निम्नानुसार थी:

विवरण		स्वीकृत कार्यों की कुल संख्या	31 मार्च 2018 की स्थिति		
			पूर्ण	प्रगति में	अनारम्भ
मार्ग एवं सेतु	उ आ स प	110	110	-	-
	उ आ रि प	262	187	67	08
	वि आ स - पु	525	499	24	02
पैदल मार्ग	उ आ स प	09	06	03	-
कुल		*906*	*802*	*94*	*10*

3.2.2.2 गैर अनुमन्य कार्यों का निष्पादन

नीचे उल्लिखित मामलों में, पुनर्निर्माण कार्यों का निष्पादन निर्धारित मापदण्ड और तकनीकी विशिष्टीकरण के विरुद्ध था, जिसके कारण ₹ 58.52 करोड़ के अतिरिक्त / परिहार्य व्यय हुए:

- उ स / उ प्रा स द्वारा लिए गए निर्णय (जनवरी 2014) के अनुसार, आपदा के समय कच्चा स्थिति वाली मार्गों का पुनर्निर्माण प्रीमिक्स कारपेट (पी सी) / सील कोट के साथ ब्लैक टॉप (बी टी) स्तर तक किया जाना था और बी टी स्थिति वाली मार्गों का पुनर्निर्माण आपदा की पूर्व स्थिति तक के लिए किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ प क्रि इ द्वारा निष्पादित 14 मार्गों की विद्यमान सतह या तो कच्चा थी या ब्लैक टॉप थी। हालांकि, इन मार्गों का पुनर्निर्माण बिटुमिनस मैकडैम (बी एम) / सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट (एस डी बी सी) जैसी महंगी सामग्री के साथ किया गया था। अगर उ स / उ प्रा स के निर्णय के अनुसार मार्गों को पी सी / सील कोट के साथ पुनर्निर्मित किया जाता तो उपरोक्त

[43] मुनस्यारी-मिलम-डुंग पैदल मार्ग (20 भाग), पंचाचुली पैदल मार्ग (36 भाग), असकोट-कालापानी पैदल मार्ग (25 भाग), काती-सुंदरढंगा ग्लेशियर पैदल मार्ग (4 भाग), काफनी ग्लेशियर पैदल मार्ग (4 भाग), और जानकीचट्टी-यमुनोत्री पैदल मार्ग (9 भाग)।

14 मार्गों के पुनर्निर्माण की वास्तविक लागत ₹ 66.33 करोड़ के सापेक्ष ₹ 23.42 करोड़ होती ***(परिशिष्ट-3.3)***।

निकास गोष्ठी (फरवरी 2018) के दौरान विभाग ने कहा कि बी एम / एस डी बी सी मार्गों की परिचालन गुणवत्ता पी सी / सील कोट मार्गों की तुलना में काफी बेहतर होती है अतः, स्थानीय जनता के साथ-साथ स्थानीय प्रतिनिधियों की माँग पर, इन मार्ग के कार्यों को बी एम / एस डी बी सी सामग्री से निष्पादित किया गया था। यद्यपि, यह कार्य निष्पादन उ प्रा स की मंजूरी के बिना किया गया था।

- उ आ रि प के अन्तर्गत ग्रा मा का पुनर्निर्माण कार्य प्र म ग्रा स यो मापदण्डों के अनुपालन के साथ किया जाना था जो निर्धारित करता है कि ग्रा मा की सभी सम्पर्क मार्ग जिनकी यातायात गणना प्रति दिन 100 मोटर वाहनों से कम हो, के परिचालन पथ का निर्माण 3 मीटर चौड़ाई के साथ किया जाना है।

उ आ रि प के पाँच प क्रि इ के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि नौं ग्रा मा के परिचालन पथ को 3.75 मीटर की चौड़ाई सहित वक्र और पासिंग वाले स्थानों के लिए अतिरिक्त चौड़ाई के साथ डिजाइन / निर्मित किया गया था। ये सभी ग्रा मा लिंक मार्ग थे जिनका यातायात घनत्व 100 मोटर वाहन प्रतिदिन से कम था। इस प्रकार, इन मार्गों के कैरिजवे के लिए 0.75 मीटर अतिरिक्त चौड़ाई की स्वीकृति / निर्माण अनियमित और प्र म ग्रा स यो मापदण्डों के विरुद्ध था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.24 करोड़ का अतिरिक्त / परिहार्य व्यय हुआ ***(परिशिष्ट-3.4)***।

निकास गोष्ठी (फरवरी 2018) के दौरान, विभाग ने उत्तर दिया कि पूरे राज्य में मार्ग की चौड़ाई की समानता बनाए रखने के लिए इन मार्गों का परिचालन पथ लो नि वि मानदंड के अनुसार 3.75 मीटर पर रखा गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्र म ग्रा स यो के अन्तर्गत 3 मीटर परिचालन पथ के साथ निर्मित मार्गो को अंततः राज्य के लो नि वि द्वारा अधिगृहीत किया जाता है। अतः सड़क चौड़ाई की समानता बनाए रखने की आवश्यकता का तर्क तार्किक प्रतीत नहीं होता है।

- ग्रा मा के लिए प्र म ग्रा स यो और लो नि वि मानदंड निर्दिष्ट करते हैं कि ग्रामीण मार्गों के निर्माण के लिए डिजाइन और सतह का निर्धारण आइ आर सी: एस पी-72 (2007) में दिये गए तकनीकी विनिर्देशों और ज्यामितीय डिजाइन मानकों के अनुसार यातायात के कारकों और मृदा के प्रकार के आधार पर किया जाएगा।

प क्रि इ (उ आ रि प-पिथौरागढ़) द्वारा निर्मित तीन ग्रा मा कार्यों में यह देखा गया कि इन मार्गों के उप-आधार / आधार सतहों के लिए मार्ग की मोटाई संबन्धित यातायात श्रेणी के लिए निर्धारित मानदंडों आइ आर सी: एस पी-72 और मार्गों की मिट्टी के कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियों (सी बी आर)[44] मूल्य से अधिक रखी गई थी। बढ़ी हुई मोटाई के परिणामस्वरूप ₹ 0.93 करोड़ ***(परिशिष्ट-3.5)*** लागत की अतिरिक्त सामग्री का उपयोग किया गया जो आइ आर सी : एस पी-72(2007) के प्रावधान के अनुसार अपरिहार्य था।

[44] कैलिफ़ोर्निया बियरिंग रेशियो (सी बी आर) परिचालन पथ निर्माण के नीचे प्राकृतिक जमीन, उपगमन और आधार सतह की यांत्रिक शक्ति के मूल्यांकन के लिए एक अर्थबोध जाँच है।

- विभागाध्यक्ष - लो नि वि, देहरादून द्वारा जारी एक परिपत्र (फरवरी 2013) यह निर्धारित करता है कि लिंक मार्गों के लिए सेतुओं की चौड़ाई / परिचालन और पहाड़ी क्षेत्र में थ्रू[45] मार्गों को क्रमशः एकल लेन (4.25 मीटर) और 1.5 लेन (5.5 मीटर) में बनाया जाएगा। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि राज्य लो नि वि के उपरोक्त मापदण्डों के विरुद्ध एन बी सी सी द्वारा उत्तरकाशी जिले के ग्रामीण / पहाड़ी मार्गों में निर्मित पाँच सेतुओं (₹ 27.65 करोड़) का परिचालन / चौड़ाई 8.5 मीटर (डबल लेन) रखा गया था। जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 6.01 करोड़ (आनुपातिक गणना आधार पर) का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- उ प्रा स ने (सितंबर 2014) उ आ स प के अन्तर्गत 26 किमी लंबी कर्णप्रयाग - नैनीसैड़ मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए ₹ 16.64 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। इस कार्य के लिए प क्रि इ (मा और से) द्वारा तैयार किए गए नुकसान के आंकलन और वि प रि के अनुसार सड़क के केवल 14.82 किमी हिस्से को बिटुमिनस मैकडम (बी एम: 2,121 घन मीटर) के साथ प्रोफाइल सुधारात्मक सतह (प्रो सु स) के रूप में पुनर्निर्मित किया जाना था जबकि सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट (एस डी बी सी) 26 किमी की पूरी लंबाई में बिछाया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि प क्रि इ (उ आ स प-चमोली) द्वारा मोटर मार्ग की पूरी लंबाई (5,353.43 घन मीटर) के लिए बी एम को बिछाया गया फलतः, ₹ 3.02 करोड़[46] का अतिरिक्त व्यय हुआ। इसी तरह, प क्रि इ-उ आ रि प, उत्तरकाशी की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया था कि ₹ 1.41 करोड़ लागत का बी एम / एस डी बी सी कार्य 31.70 किमी लम्बी चिल्यानीसौड़ - जोगथ मोटर मार्ग के चार किलोमीटर लम्बे ऐसे भाग में निष्पादित किए गए थे जिसे स्वीकृत वि प रि के अनुसार क्षतिग्रस्त चिन्हित नहीं किया गया था। इन कार्यों का निष्पादन सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना किया गया था।

3.2.2.3 अनियमित योजना के कारण लागत वृद्धि

भटवाड़ी ब्लॉक (उत्तरकाशी) के उत्तरो गांव के लिए ₹ 6.15 करोड़ की लागत से असी गंगा पर एन बी सी सी लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जा रहे एक पैदल सेतु का प्रबंधन खराब पाया गया था, क्योंकि वि प रि तैयार करते समय बायें हाथ की ओर के भूस्खलन क्षेत्र का उचित संज्ञान नहीं लिया गया था। परिणामस्वरूप, कार्य के दायरे (लंबाई) को तीन बार कम करते हुए 150 मीटर से 102.6 मीटर कर दिया गया था (भूस्खलन क्षेत्र से सेतु पाये को हटाने और एंकर ब्लॉक की ऊंचाई में वृद्धि) जैसा की तस्वीर में दिखाया गया है। सेतु कार्यों के

---

[45] थ्रू मार्ग वे हैं जो कई लिंक सड़कों या बसावटों की लंबी श्रृंखला से यातायात एकत्र करते हैं और इसे सीधे या उच्च श्रेणी की सड़कों यानी जिला मार्ग या राज्य या राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से बाजार केंद्रों तक ले जाते हैं।

[46] बी एम: ₹ 9,327.50 / घन मीटर की दर से 3,232.43 (5,353.43-2,121) घन मीटर ।

लगातार संशोधन[47] के परिणामस्वरूप अतिरिक्त सुरक्षा कार्यों के निष्पादन के कारण कार्य की लागत में ₹ 2.95 करोड़ की वृद्धि हुई।

इसी तरह, नौगाँव ब्लॉक के बदिया गांव के पास यमुना नदी पर 75 मीटर पैदल झूला पुल 2 मीटर पैदल मार्ग के साथ, को 80 मीटर स्टील गर्डर सेतु में परिवर्तित करना पड़ा था क्योंकि बायें हाथ की ओर भूस्खलन क्षेत्र के होने कारण चयनित स्थल पर झूला पुल का निर्माण संभव नहीं था जिस पर वि प रि तैयार करते समय विचार नहीं किया गया था। कार्य क्षेत्र में बदलाव और देरी के परिणामस्वरूप कार्य की लागत में ₹ 3.38 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

3.2.2.4 पैदल मार्ग कार्यों पर ऊंचाई और दूरी सूचकांक को अनियमित व अनुचित रूप से भारित किया जाना

राज्य सरकार की प्रत्येक सरकारी एजेंसी को कार्यों के निष्पादन के लिए समय-समय पर लो नि वि द्वारा प्रकाशित दरों की अनुसूची (द अ) और सड़क मार्ग से सामग्री के परिवहन की लागत के लिए अनुमन्य ऊंचाई और दूरी (ऊं और दू) सूचकांक[48] के अनुसार कार्य का आगणन तैयार करना होता है।

चार पैदल मार्गों[49] (₹ 40.90 करोड़) को निष्पादित करने वाली चार प क्रि इ[50] की लेखापरीक्षा जाँच के दौरान पाया गया था कि इन कार्यों के आगणन (वि प रि) और उ प्रा स द्वारा परियोजनाओं की स्वीकृति लो नि वि की अनुमन्य दर सूची और देय ऊं और दू सूचकांक पर आधारित नहीं थे। प क्रि इ द्वारा इस दलील के आधार पर बहुत ही उच्च / विशेष दरों को भारित किया था, कि कार्यों के लिए मजदूर उपलब्ध नहीं थे क्योंकि कार्य बहुत ऊंचाई पर स्थित है और कार्यों के गैर अनुमन्य मदों[51] पर ऊं और दू सूचकांक लागू करना पड़ा। लेखापरीक्षा ने पाया कि मजदूरी की उच्च दर के लिए प क्रि इ द्वारा दिए गए तर्क स्वीकार्य करने योग्य नहीं थे, क्योंकि इन पैदल मार्गों पर प क्रि इ / लो नि वि के उन्ही खण्डों से समान कार्य (2013 और 2014 में राज्य आ मो नि के अंतर्गत तत्काल प्रकृति कार्य) लो नि वि की अनुसूची दरों पर करवाये गये जिसके लिए ठेकेदारों की निविदा दरें अगणित दरों से 0.25 से 0.50 *प्रतिशत* न्यून थी। इस प्रकार, उच्च मजदूरी दरों के साथ इन परियोजनाओं की स्वीकृति अनियमित थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.44 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

---

[47] प्रारंभ में, सेतु को 150 मीटर स्पान (₹ 5.62 करोड़) के लिए झूला पुल के रूप में बनाया जाने की योजना बनाई गई थी, जिसे बाद में (मार्च 2015) 120 मीटर स्पान (₹ 6.15 करोड़) के लिए संशोधित किया गया था और एक बार फिर से प्रस्तावित कार्य का दायरा (दिसंबर 2016) अनुमोदन के लिए प्रस्तुत संशोधित वि प रि (₹ 8.57 करोड़) में 102.636 मीटर तक कम किया गया।

[48] ऊं और दू सूचकांक सामाग्री मदों के लागू दरों की अनुसूची पर स्वीकार्य है और मिट्टी कार्य, पहाड़ी का कटान, मलवा निकासी, सूखी पत्थर चिनाई और हैंड पैक्ड स्टोन फिलिंग भरान जैसी मदों लिए भारित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

[49] पंचाचूली, यमुनोत्री धाम, मुनस्यारी-मिलम और दुर्गखेती-सुंदरडुंगा।

[50] प क्रि इ (पैदल मार्ग): जिला पिथौरागढ़ का असकोट और डीडीहाट, बड़कोट-उत्तरकाशी, कपकोट-बागेश्वर।

[51] लो नि वि परिपत्र (अगस्त 2011) के अनुसार ऊं और दू सूचकांक - खुदाई कार्य / हिल काटने / मलवा निकासी / सूखी पत्थर चिनाई / सूखी पत्थर खड़ंजा / हैंड पैक्ड स्टोन फिलिंग कार्य पर स्वीकार्य नहीं है।

3.2.2.5 वाह्य सहायतित परियोजनाओं (वा स प) के अंतर्गत चिन्हित क्षतिग्रस्त कार्यों का कम आच्छादन

ए वि बैं वित्तपोषित उ आ स प में, 2,400 किमी रा रा/मु जि मा / उ रा स सु का की मार्गों और 16 सेतुओं की पहचान आपदा द्वारा क्षतिग्रस्त के रूप में की गई थी, लेकिन प क्रि इ - मा और से (उ आ स प) द्वारा मात्र 1,968.11 किमी (82 *प्रतिशत*) मार्गों के पुनर्निर्माण कार्यों को आच्छादित किया गया और कोई सेतु का कार्य नहीं लिया गया था। इसी प्रकार, वि बैं वित्तपोषित प क्रि इ- मा और से (उ आ रि प) द्वारा चिन्हित क्षतिग्रस्त 4,715 किमी लम्बी अ जि मा / ग्रा मा / पैदल मार्ग और 140 सेतुओं के सापेक्ष सिर्फ 1,711.49 किमी (36 *प्रतिशत*) अ जि मा/ग्रा मा और 25 पुलों (18 *प्रतिशत*) का पुनर्निर्माण कार्य को आच्छादित किया।

इन दो वा स प के अन्तर्गत चिन्हित क्षतिग्रत कार्यों का कम आच्छादन (मार्ग: 48 *प्रतिशत* एवं सेतु: 84 *प्रतिशत*) का कारण निर्धारित धनराशियों की खपत थी जोकि अनियोजित / अस्वीकार्य कार्यों के निष्पादन *(प्रस्तर - 3.2.2.2),* कार्यों के अधिक आगणन *(प्रस्तर - 3.2.2.4),* अनुबंध प्रबंधन में कमी *(प्रस्तर - 2.2.6)* एवं कार्यों के निष्पादन में अत्यधिक विचलन के कारण उत्पन्न थे (कुछ विशिष्ट उदाहरण ***परिशिष्ट-3.6*** में दिए गए हैं)। साथ ही कार्यों का कम आच्छादन इस तथ्य के बावजूद था कि उ प्रा स द्वारा उ आ स प और उ आ रि प के अन्तर्गत सड़क कार्यों के लिए अनुमोदित परिव्यय ₹ 1,638 करोड़ (उ आ स प: ₹ 708 करोड़ और उ आ रि प: ₹ 930 करोड़) के सापेक्ष अतिरिक्त धन आवंटित किया जो ₹ 1,911.29 करोड़ था (उ आ स प: ₹ 860.30 करोड़ और उ आ रि प: ₹ 1,050.99 करोड़)। इस अतिरिक्त लागत की पूर्ति वा स प के अन्य घटकों से हुई बचतों और डॉलर के मुकाबले रुपए की बेहतर विनिमय दर के कारण अतिरिक्त प्राप्तियों से हुई थी।

निकास गोष्ठी (फरवरी 2018) के दौरान, राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा कि प्रारंभ में केवल क्षतिग्रस्त भाग के पुनर्निर्माण की योजना बनाई गई थी, लेकिन स्थानीय जनता / प्रतिनिधियों की माँग पर, मार्गों को लम्बी अवधि तक ठीक रखने के लिए मार्गों के पूर्ण भाग में क्रास ड्रेनेज और कलवर्ट उपयुक्त डिजाइन / प्रावधानों के साथ पुनर्निर्मित किए गए थे जो कि 'पहले से बेहतर निर्माण' की अवधारणा के अनुरूप था। यह इंगित करता है कि नुकसान का आंकलन ठीक से नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक निधियों का गलत प्रक्षेपण हुआ।

3.3 पर्यटन का बुनियादी ढाँचा

उत्तराखण्ड में पर्यटन अर्थव्यवस्था और आजीविका का प्रमुख परिचारक है और यह स रा घ उ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) में लगभग 22.48 *प्रतिशत*[52] योगदान देता है। राज्य कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्रों का घर है जो चार-धाम[53] के नाम से जाने जाते है और यहाँ औसतन सालाना 3.2 करोड़ से अधिक पर्यटकों का आतिथ्य किया जाता है। आपदा से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के आवागमन पर पूरी तरह से निर्भर लोगों की आजीविका गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी। पर्यटन विभाग (प वि), उ स

[52] उ स के आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के अनुसार।

[53] गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ।

के अनुसार, सरकार की मौजूदा परिसंपत्तियों की अनुमानित भौतिक क्षति का आंकलन पूरे राज्य के लिए ₹ 116.61 करोड़ और अति प्रभावित पाँच जिलों में ₹ 85.30 करोड़ का था। हालांकि, राज्य सरकार ने (सितंबर 2013) इस क्षेत्र के लिए ₹ 809.64 करोड़ की माँग की। इस प्रस्ताव में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और विशेष रूप से चार धाम यात्रा की सुविधा के लिए नई परियोजनाएं शामिल थीं; और आपदा की तैयारी में सुधार के लिए हैलीपैड्स के मौजूदा बुनियादी ढाँचे का विस्तार सम्मिलित था। इस माँग के सापेक्ष, म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत भा स द्वारा ₹ 894.03 करोड़ (वि आ स - पु : ₹ 455.09 करोड़, वा स प-उ आ स प : ₹ 336.54 करोड़ और के पो यो - पु : ₹ 102.40 करोड़) अनुमोदित किया गया था। ये कार्य निम्नवत तीन नोडल एजेंसियों को सौंपे गये थे:

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जि आ प्र प्रा), रुद्रप्रयाग को केदारनाथ यात्रा मार्ग के साथ श्री केदारनाथ टाउनशिप और अन्य पर्यटक सुविधाओं की बहाली / निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। केदारनाथ यात्रा मार्ग जून 2013 आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित था। इन परियोजनाओं के लिए भा स द्वारा वि आ स - पु के अंतर्गत ₹ 455.09 करोड़ स्वीकृत / उपलब्ध कराये गए थे।
- उ आ स प (₹ 184.74 करोड़) और के पो यो-पु[54] (₹ 102.40 करोड़) के अन्तर्गत स्वीकृत पर्यटन बुनियादी ढाँचे / परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद (उ प वि प) नामित एजेंसी थी।
- उत्तराखण्ड में आपदा की तैयारी में सुधार के लिए उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (उ ना उ वि प्रा) उ आ स प (₹ 151.80 करोड़) के अन्तर्गत हैलीपैड्स के मौजूदा बुनियादी ढाँचे के विस्तार के लिए नोडल एजेंसी थी।

इन स्वीकृत कार्यों के निष्पादन की व्यवस्था को नीचे **चार्ट-3**.2 से देखा जा सकता है:

चार्ट-3.2: पर्यटन कार्यों के निष्पादन की व्यवस्था

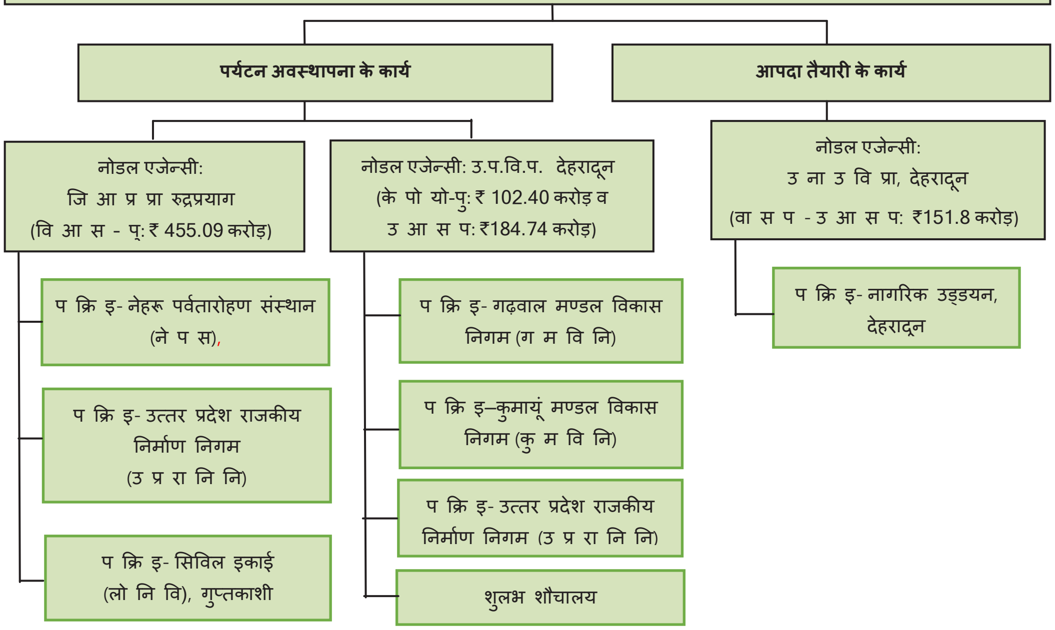

[54] गंतव्य और परिभ्रमण के लिए उत्पाद बुनियादी ढाँचा विकास।

लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2018 तक कुल स्वीकृत ₹ 460.22 करोड़ के 213 कार्यों में से उपरोक्त वर्णित तीन नोडल एजेंसियों के सात प क्रि इ[55] में ₹ 333.77 करोड़ के 81 कार्यों की जाँच की। कार्यों की संख्या के मामले में लेखा परीक्षा आच्छादन 38 *प्रतिशत* है जोकि पर्यटन क्षेत्र के लिए स्वीकृत कुल लागत का 73 *प्रतिशत* हैं। नोडल एजेंसी-वार अनुमोदित कार्यों और उन पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों की स्थिति पर चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है:

3.3.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जि आ प्र प्रा), रुद्रप्रयाग

उ स ने केदारनाथ कस्बे, अन्य धामों के विकास, गौरीकुंड और केदारनाथ के बीच रोपवे का निर्माण, केदारनाथ श्राईन और इसके आसपास के अन्य मंदिरों की पुनर्स्थापन, और दूरस्थ पहाड़ी जिलों में कुछ निश्चित सामरिकों स्थानों पर आश्रय-सह-गोदामों के निर्माण के लिए पाँच परियोजनाओं के पुनर्निर्माण / पुनर्स्थापन कार्यों को प्रस्तावित किया था। ₹ 525 करोड़ की कुल माँग के सापेक्ष, भा स द्वारा वि आ स - पु के अन्तर्गत ₹ 455.09 करोड़ (चार परियोजनाओं के लिए ₹ 380.09 करोड़ और आश्रय-सह-गोदामों के लिए ₹ 75 करोड़) के परिव्यय की मंजूरी दी गयी और ₹ 69.91 करोड़ के शेष राशि का योगदान राज्य द्वारा अपने संसाधनों से किया जाना था। यद्यपि, उ स द्वारा न तो अपने हिस्से का ₹ 69.91 करोड़ अंशदान दिया और न ही रोपवे के निर्माण, अन्य धामों के विकास और आश्रय-सह-गोदामों के निर्माण के लिए स्वीकृति जारी की जैसा कि *प्रस्तर 2.2.2* में उल्लिखित है।

कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दे

3.3.1.1 श्री केदारनाथ धाम और इसके यात्रा मार्ग पर पर्यटक सुविधाओं की पुनर्स्थापना में देरी

उ स द्वारा ₹ 250.43 करोड़ के कुल 56 कार्यों की स्वीकृति जि आ प्र प्रा, रुद्रप्रयाग को प्रदान की गई, जिनमें से ₹ 248.11 करोड़ के 47 कार्यों को तीन प क्रि इ (ने प सं, उ प रा नि नि, और सिविल इकाई-लो नि वि) को सौंपा गया था और नौं खरीद / स्थापना कार्य[56] सीधे जि आ प्र प्रा, रुद्रप्रयाग द्वारा प्रबंधित किए गए थे। उ स ने क्षेत्र की कठिन परिस्थिति को देखते हुए, निविदा प्रक्रिया को अपनाने के बिना, कार्यादेश के आधार पर इन कार्यों के निष्पादन के लिए विशेष छूट प्रदान की और मजदूरी और सामग्रियों के ढुलाई के लिए उच्च दरों की अनुमति दी (अप्रैल 2015)। यद्यपि, विशेष छूट / दरों के बावजूद, ये प क्रि इ चार यात्रा वर्षों के व्यतीत हो जाने के बाद भी

---

55 **ग म वि नि:** के पो यो - पु (₹ 24.40 करोड़) के 33 कार्य (5 पैकेज) और उ आ स प के 5 कार्य (₹ 39.74 करोड़), **कु म वि नि** उ आ स प के 2 कार्य (₹ 26.78 करोड़), **उ प रा नि नि :** के पो यो - पु (₹ 15.13 करोड़) के 8 कार्य (3 पैकेज) और वि आ स - पु (₹ 95.65 करोड़) के 4 कार्य, **ने प सं :** वि आ स - पु के 6 कार्य (₹ 84.24 करोड़), सिविल इकाई **(लो नि वि):** वि आ स- पु के 9 कार्य (₹ 12.79 करोड़), **जि आ प्र प्रा :** 5 कार्य: (₹ 1.83 करोड़) और **उ ना उ वि प्रा :** उ आ स प के 9 कार्य (₹ 33.21 करोड़)।

56 5 स्वचालित डिजिटल डिस्प्ले बोर्डों की स्थापना / संचालन (₹ 19.65 लाख), वाई-फाई इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्थानीय इंटरनेट नेटवर्क (₹ 69.66 लाख), 4 यूनिट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेट-अप की स्थापना / संचालन (₹ 10.35 लाख), आपातकाल रेडियो संचार नेटवर्क की स्थापना (₹ 6.73 लाख), संचार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए मोबाइल बीटीएस (बेस ट्रांससीवर स्टेशन / सिस्टम) की स्थापना/संचालन (₹ 47.66 लाख), चेन शिविर में बीएसएनएल मोबाइल बीटीएस बढ़ाने के लिए हट का निर्माण (₹ 7.12 लाख), संचार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 4 डीएसपीटी (डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल) फोन की स्थापना (₹ 6.45 लाख), रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग के बीच 50 एमबीपीएस बिंदु से बिन्दु कनेक्टिविटी के साथ जि मु (जिला मुख्यालय) की स्थापना (₹ 39.79 लाख), और सूचना प्रसार के लिए जि आ प्र प्रा / उ रा आ प्र प्रा की वेब साइट का निर्माण (₹ 24.23 लाख)।

यात्रा मार्ग पर पर्यटकों को वांछित सुविधाएं प्रदान नहीं कर सके, जैसा कि नीचे **तालिका-3.3** से देखा जा सकता है:

तालिका-3.3: स्वीकृत कार्यों कि स्थिति (श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग) *(₹ करोड़ में)*

कार्यदायी संस्था	उ स द्वारा स्वीकृत कार्य		वास्तविक अवमुक्त निधियाँ	भौतिक प्रगति (03/2018) (कार्यों की संख्या)			वित्तीय प्रगति (03/2018)
	संख्या	लागत		पूर्ण	प्रगति में	अनारम्भ	
ने प स	11	119.73	86.66	08	03	0	64.69
सिविल इकाई-लो नि वि	32	33.00	33.00	24	06	02	21.13
उ प रा नि नि	04	95.38	92.80	01	03	0	81.54
स्वयं जि आ प्र प्रा	09	2.32	2.32	07	02	0	1.94
कुल	***56***	***250.43***	***214.78***	***40***	***14***	***02***	***169.30***
प्रतिशतता			***86***	***71***	***25***	***04***	***68***

पर्यटक सुविधाओं के पूर्ण होने की का क्रि इ वार स्थिति पर नीचे चर्चा की गई है:

अ) उ प्र रा नि नि के कार्य

- केदारनाथ कस्बे में तीर्थयात्रियों को आवास प्रदान करने के लिए, ₹ 29.72 करोड़ की लागत से 120 कॉटेज के निर्माण का कार्य उ प्र रा नि नि को सौंपा गया था (अक्टूबर 2015)। केदारनाथ कस्बे में पर्यटक आवास प्रदान करने का उद्देश्य अपूर्ण रहा क्योंकि मार्च 2018 तक उ प्र रा नि नि द्वारा मात्र 92 कॉटेज बनाए गए थे और इन्हें जि आ प्र प्रा या उपयोगकर्ता एजेंसी (ग म वि नि) को नहीं सौंपा गया था क्योंकि कुछ लघु कार्य अभी भी अपूर्ण थे। शेष 28 कॉटेज के निर्माण प्रगति पर थे यद्यपि ₹ 2.42 करोड़ की लागत के सभी आवश्यक फर्नीचर वस्तुओं को पहले से ही खरीद लिया गया था (अप्रैल 2016)। जिला प्रशासन, रुद्रप्रयाग की एक रिपोर्ट (अप्रैल 2017) के अनुसार फर्नीचर आदि वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर भण्डारित नहीं किया गया था। उ प्र रा नि नि ने उत्तर दिया कि कार्यों की प्रगति धीमी सीमित कार्य समय के कारण थी *(संदर्भ प्रस्तर 2.2.5)*।

- पर्यटक बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण / उच्चीकरण के दृष्टिकोण के साथ, सोनप्रयाग में ₹ 65 करोड़ की लागत के बहुस्तरीय पार्किंग और प्रशासनिक ब्लॉक के निर्माण का कार्य उ प्र रा नि नि को स्वीकृत / सौंपा गया (अक्टूबर 2015) था। सोनप्रयाग में इस टर्मिनल को विविध सुविधाओं जैसे वाहन पार्किंग; यात्री सुविधा; फूड कोर्ट; हेलीकॉप्टर सेवा; स्पा के साथ होटल विंग; प्रति दिन 1,000 भक्तों के लिए पूछताछ काउंटर; और प्रशासनिक नियंत्रण स्टेशन जहाँ से केदारनाथ धाम के लिए पूरे आवागमन को नियंत्रित किया जाय, के साथ एक हब के रूप में कार्य करना था। प्रस्तावित टर्मिनल / कॉम्प्लेक्स के संभावित दृश्य को दिए गए फोटोग्राफ से देखा जा सकता है।

मल्टीपार्किंग-सह-शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का संभावित दृश्य

यद्यपि, यह देखा गया था कि उ प्र रा नि नि द्वारा इस भवन का निर्माण कार्य नवंबर 2016 में शुरू किया गया था। अक्टूबर 2017 तक ₹ 38.57 करोड़ रुपये की लागत से नींव के काम के

निष्पादन के बाद कार्य की कोई और प्रगति नहीं थी। यह स्थिति सिंचाई विभाग द्वारा नदी की ओर बाढ़ सुरक्षा दीवार का निर्माण न किए जाने के कारण थी। हालांकि, उ स द्वारा इस कार्य के लिए सिंचाई विभाग को जुलाई 2017 में स्वीकृति दे दी गई थी।

ब) ने प सं के कार्य

- जून 2013 की बाढ़ से श्री केदारनाथ धाम की अधिकांश इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग की एक समिति ने निर्णय लिया कि जिन इमारतों को असुरक्षित / अनिश्चित माना गया था या केदारनाथ धाम के मुख्य मार्ग में या उसके आस-पास स्थित थे, उन्हें यात्रा की सुविधा के लिए एक योजनाबद्ध केदारपुरी टाउनशिप के पुनर्निर्माण के लिए ध्वस्त किया जाना चाहिए। यह कार्य ₹ 70 करोड़ की लागत से वि आ यो - पु के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जि आ प्र प्रा-रुद्रप्रयाग द्वारा इस कार्य को दो चरणों में निष्पादित करने की योजना बनाई लेकिन राज्य सरकार ने केवल ₹ 38.63 करोड़ के स्टेज-1 के कार्यों के लिए प्रशासनिक / वित्तीय की स्वीकृति जारी की (सितंबर 2016) जिसमें इमारतों को ध्वस्त करने, अस्थायी स्टोर / गोदाम का प्रावधान, और तीर्थ पुरोहितों के लिए 113 भवनों के पुनर्निर्माण से संबन्धित कार्यों को शामिल किया गया था। स्टेज-1 कार्यों का निर्माण ने प सं-उत्तरकाशी को सौंपा गया था। राज्य सरकार द्वारा धनराशि जारी नहीं किए जाने के कारण स्टेज-2 के कार्यों को शुरू नहीं किया जा सका। ने प सं तीर्थ पुरोहितों के लिए 113 भवनों में से ₹ 12.67 करोड़ (सितंबर 2017) के अद्यतन व्यय के साथ मात्र 40 घरों के पुनर्निर्माण पर कार्य कर रहा था। ने प सं ने कहा (अक्टूबर 2017) कि शेष 73 घरों के पुनर्निर्माण का कार्य वि प रि / मानचित्रों को अंतिम रूप न देने, लाभार्थियों के साथ समझौतों का निष्पादन न होने और सरकारी प्राधिकारियों द्वारा भूमि आवंटित नहीं किए जाने के कारण शुरू नहीं किया जा सका।

ने प स द्वारा तैयार किए जा रहे तीर्थ पुरोहितों के निर्माणाधीन भवन

- केदारनाथ टाउन में तीन सेतुओं (₹ 6 करोड़) के निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया था (जून 2015), लेकिन प क्रि इ द्वारा मार्च 2018 तक केवल एक सेतु (₹ 1.98 करोड़) का निर्माण किया गया था। दूसरा सेतु निर्मित नहीं किया गया था क्योंकि उ स से वि प रि का अनुमोदन लम्बित था। तीसरे सेतु का निर्माण अन्य कार्यकारी एजेंसी द्वारा घाट से संबन्धित कार्य पूर्ण नहीं किए जाने के कारण अवरुद्ध पड़ा हुआ था।

- ने प सं द्वारा ₹ 6.67 करोड़ (***परिशिष्ट-3.7***) के सात कार्यों को उ स से प्रशासनिक / वित्तीय मंजूरी प्राप्त किए बिना ही स्वीकृत कार्यों की अप्रयुक्त धनराशियों से निष्पादित किया गया था। ने प स ने कहा (फरवरी 2018) कि कार्यों की महत्ता के कारण सरकारी प्राधिकारियों के मौखिक आदेशों पर इन कार्यों को निष्पादित किया गया।

स) सिविल इकाई - लो नि वि के कार्य

सिविल इकाई - जि आ प्र प्रा द्वारा पर्यटकों के सुरक्षित आवागमन के लिए 'यात्रा मार्ग पर चिकित्सा राहत पोस्ट्स (₹ 1.50 करोड़)' और 'पुलिस चेक पोस्ट एवं एक्स-रे स्कैनिंग काउंटर' (₹ 50 लाख) के निर्माण से संबन्धित कार्य मार्च 2018 के अंत तक शुरू नहीं किए गए थे। जि आ प्र प्रा-रुद्रप्रयाग ने यह उत्तर दिया (जनवरी 2018) कि उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण इन कार्यों को समय पर शुरू नहीं किया जा सका; हालांकि, बाद में भूमि की पहचान की जा चुकी है।

द) जि आ प्र प्रा के खरीद और स्थापना कार्य

जि आ प्र प्रा - रुद्रप्रयाग ने उ स द्वारा वि आ स - पु निधि की स्वीकृति के बावजूद पूरे केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 'वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेट-अप की स्थापना / शुरुआत (₹ 10.35 लाख):, एवं 'सूचना प्रसार के लिए जि आ प्र प्रा / रा आ प्र प्रा के वेबसाइट का निर्माण' (₹ 24.23 लाख) के लिए कोई पहल नहीं की थी। जि आ प्र प्रा ने सूचित किया कि ये काम राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा संस्थान (एन आई सी एस आई) के माध्यम से किए जाएंगे।

3.3.2 उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद (उ प वि प)

पर्यटन के बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण और विकास के लिए के पो यो - पु (गंतव्य और परिभ्रमण के लिए उत्पाद बुनियादी ढाँचा विकास) के अन्तर्गत ₹ 102.40 करोड़ और ए वि बैं सहायतित उ आ स प के अन्तर्गत ₹ 184.74 करोड़ निर्धारित किया गया था। यद्यपि, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद (उ प वि प), भा स को ₹ 72.55 करोड़ की लागत वाली केवल 11 परियोजनाएं (116 कार्य) प्रस्तुत कर सका; जिसके सापेक्ष वर्ष 2014-15 में भा स से ₹ 14.51 करोड़ (20 *प्रतिशत*) की पहली किश्त प्राप्त हुई थी। इस योजना को 14वें वित्त आयोग की संस्तुति पर भा स द्वारा 2015-16 से विच्छेदित कर दिया गया था। यद्यपि, इसमें उत्तराखण्ड जैसे हिमालयी राज्यों में चल रही परियोजनाओं की लंबित देयता के एक बार निपटारे (ए नि) के लिए प्रावधान था। भा स ने उ स से प्रत्येक परियोजना के विवरण (प्रत्येक परियोजना की स्टेज और पूर्ण होने की तारीख) और परियोजनाओं की देनदारियों जहाँकि 50 *प्रतिशत* से अधिक काम पूरा हो चुका थे, को प्रस्तुत करने के लिए कहा (13 जनवरी 2016)। हालांकि, अपेक्षित जानकारी उसी महीने (जनवरी 2016) में उ प वि प द्वारा भेज दी गई थी परन्तु ए नि का प्रस्ताव भा स के पास अभी भी लंबित था।

उ आ स प के अन्तर्गत, ₹ 184.74 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष ₹ 91.01 करोड़ की केवल नौं परियोजनाएं प्रस्तुत / स्वीकृत की गई थीं।

आयोजनागत सम्बन्धी बिन्दु

3.3.2.1 उत्तराखण्ड आपातकालीन सहायता परियोजना (उ आ स प) के अंतर्गत पर्यटक विनियमन अध्ययन और उपायों को न किया जाना

उ आ स प के परियोजना प्रशासन नियमावली के अनुसार, राज्य के आपदा जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए प क्रि इ (ग म वि नि और कु म वि नि) द्वारा मास्टर प्लान को तैयार करके

और पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्टों का अध्ययन करके निम्नलिखित गतिविधियां की जानी चाहिए थी। इन रिपोर्टों / अध्ययनों का उद्देश्य निम्न हेतु आधार प्रदान करना था:

- पर्यटकों को उच्च स्थलों पर गंतव्यों तक पहुंचने के लिए मध्य स्थलो के 20 गंतव्यों को आधार शिविरों में परिवर्तित करना;
- 20 प्रवेश द्वारों के आस-पास के गांवो में सुविधाओं को बढ़ाकर सैटेलाइट कस्बों के रूप में कार्य करने के लिए;
- विभिन्न प्रवेश बिंदुओं पर पर्यटक बायो-मेट्रिक्स केंद्रों और विनियमन सॉफ्टवेयर के विकास / स्थापना की सुविधा; तथा
- उच्च ऊंचाई पर लगभग 20 गंतव्यों पर ले जाने और अवशोषण क्षमताओं का आंकलन करना।

यद्यपि, यह पाया गया था कि इन गतिविधियों को उ प वि प के नामित प क्रि इ (ग म वि नि और कु म वि नि) द्वारा नहीं किया गया था। परियोजना प्रबंधन इकाई (प प्र इ) - उ आ स प ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (नवम्बर 2017) कि ये अध्ययन नहीं किए गए थे, क्योंकि भा स द्वारा 89 गंतव्यों में उच्च, मध्य और तीर्थ स्थलों सहित एक अध्ययन करवाया जा रहा है और पर्यटक बायो-मेट्रिक्स और विनियमन सॉफ्टवेयर के विकास से संबन्धित कार्य निविदा प्रक्रिया के अधीन है।

कार्यान्वयन सम्बन्धी बिंदु

3.3.2.2 उत्तराखण्ड आपातकालीन सहायता परियोजना (उ आ स प) के अंतर्गत स्वीकृत पर्यटक आवासों की पुर्नस्थापना के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त न किया जाना

आपदा प्रभावित जिलों में पर्यावरण अनुकूल फाइबर रिइन्फोर्स्ड पॉलिमर / प्लास्टिक (एफ आर पी) सामग्री से बने हट के रूप में आवासीय इकाईयों के निर्माण के लिए उ स द्वारा निर्णय लिया गया था। जो प्राथमिकता के आधार पर पर्यटक आवास इकाईयों के नुकसान की क्षतिपूर्ति करने और क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम कंक्रीट कार्य करने हेतु उद्देशित थे।

उ प्रा स ने पाँच सर्वाधिक रूप से प्रभावित जिलों में 290 एफ आर पी हटों के निर्माण की स्वीकृति (फरवरी 2014) दी। हालांकि, वांछित उद्देश्यों को हासिल नहीं किया गया, क्योंकि निर्माण के लिए उत्तरदायी अभिकरणों (ग म वि नि और कु म वि नि) 2013 की आपदा से चार साल से भी अधिक समय के बाद भी काम पूरा करने में असफल रही। विभाग द्वारा पर्यटक हटों की न्यून पूर्णता दर के लिये कार्यस्थल की प्रतिकूल भौगोलिक स्थिति जैसे सड़क से दूरस्थ स्थानों, सीमित कार्य समय और भूमि उपलब्धता जैसे मुद्दों को, कारण बताया गया था।

लेखापरीक्षा की तिथि तक जिलेवार स्वीकृत एफ आर पी हटों / आवासों और इसके सापेक्ष भौतिक प्रगति की स्थिति नीचे **तालिका-3.4** में दी गई है:

तालिका-3.4: एफ आर पी हटों / पर्यटक आवासों की भौतिक और वित्तीय स्थिति

परिक्षेत्र	जिले का नाम	स्वीकृत एफ आर पी हट		एफ आर पी हटों की स्थिति		भौतिक प्रगति *(%में)*	वित्तीय प्रगति[57] *(₹ करोड़ में)*
		संख्या	लागत *(₹ करोड़ में)*	पूर्ण हट	निर्माणाधीन		
कुमायूं	बागेश्वर	45	8.74	0	45	*60 - 80*	6.54
	पिथौरागढ़	100	17.94	0	100	*20 - 85*	11.38
गढ़वाल	चमोली	32	5.07	0	32	*72 - 98*	4.20
	रुद्रप्रयाग	92	21.87	4	88	*32 - 96*	13.41
	उत्तरकाशी	21	3.48	0	21	*90 - 98*	3.03
योग		***290***	***57.10***	***4***	***286***		***38.56***

यद्यपि, प क्रि इ द्वारा प्रदान की गई नवीनतम सूचना (अगस्त 2018) से ज्ञात हुआ कि 282 एफ आर पी हटों का निर्माण पूर्ण हो चुका था।

इन परियोजनाओं को छः पैकेजों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा था, जिनमें से पाँच पैकेजों की लेखा परीक्षा जाँच की गई थी। कु म वि नि और ग म वि नि के अभिलेखों की समीक्षा में कार्यों को आगणित करने और अनुबंधों के प्रबंधन में खामियाँ प्रकट हुईं, जैसा कि निम्नवत उल्लेखित है:

- ग म वि नि ने वन विभाग से भूमि की आवश्यक अनापत्ति प्राप्त किए बिना ही कंचौरी, रुद्रप्रयाग में 10 हटों के निर्माण का कार्य सौंप दिया (सितंबर 2014)। परिणामस्वरूप, वन विभाग ने कार्य बंद (जून 2016) करवा दिया। ग म वि नि द्वारा ठेकेदार को ₹ 15.89 लाख का मोबिलाइजेशन अग्रिम और ₹ 25.23 लाख सामग्री अग्रिम का भुगतान किया गया था जिसकी वसूली ठेकेदार से लम्बित थी (अगस्त 2017)। प क्रि इ ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि हटों का निर्माण अपने स्वयं के संसाधनों से किसी अन्य स्थान पर किया जाएगा और ठेकेदार को दी गई अग्रिम राशि वसूल कर ली जाएगी।

- कुमाऊं क्षेत्र के दो पैकेजों की प्रारम्भिक लागत लो नि वि- दरों की अनुसूची 2013-14 के आधार पर और जोन चार कार्यों के लिए ऊं और दू सूचकांक के लिए 20 *प्रतिशत* अतिरिक्त प्रावधान के साथ ₹ 18.21 करोड़ थी। हालांकि, स्वीकृत लागत को प क्रि इ (कु म वि नि) द्वारा उ प्रा स से ₹ 26.68 करोड़ इस आधार पर संशोधित (जुलाई 2014) कराया गया था कि पिछले आगणनों में प्रदान की गई 20 *प्रतिशत* ढुलान दूरी केवल 20 किमी के लिये थी जबकि विभिन्न स्थान सड़क से औसत दूरी 36 किमी के साथ 10 से 90 किमी की दूरी पर स्थित थे (पिथौरागढ़:41 किमी और बागेश्वर: 31 किमी)। तदनुसार, पहले 20 किमी ढुलान दूरी ऊं और दू सूचकांक के लिए वर्तमान लो नि वि- दरों की अनुसूची (अप्रैल 2014) पर देय 20 *प्रतिशत* के साथ-साथ 20 किमी से अधिक दूरी (पिथौरागढ़: 21 *प्रतिशत* और बागेश्वर: 11 *प्रतिशत*) के लिये प्रति किमी एक *प्रतिशत* अतिरिक्त ढुलान को जोड़ा गया था।

[57] जून 2017 तक (बागेश्वर और पिथौरागढ़) तथा जुलाई 2017 (चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि प प्र इ - ए वि बैं से अतिरिक्त धन प्राप्त करने के लिए उपरोक्त संशोधन और आधार न तो यथार्थवादी थे और न ही लो नि वि दर अनुसूची व इस संबन्ध में लागू अन्य प्रावधानों पर आधारित थे। प क्रि इ द्वारा लागू किया गया ऊं और दू सूचकांक 'मार्ग से 20 किमी तक की दूरी, बर्फ बाध्य क्षेत्र / 2,500 मीटर ऊंचाई से ऊपर के क्षेत्र' के लिए नियत किया गया जबकि लो नि वि परिपत्र (अगस्त 2011) के प्रावधानों के अनुसार मार्ग से 20 किमी की दूरी के पश्चात की दूरी के लिए कोई अतिरिक्त सूचकांक लागू नहीं था। इसके अतिरिक्त, सड़क से कार्यस्थल की 36 किमी औसत दूरी की गणना भी सही नहीं थी क्योंकि वि प रि में चयनित कार्यस्थल के प्रत्येक स्थान की दूरी का उल्लेख किया गया था और औसत दूरी पिथौरागढ़ के लिए 21 किमी और बागेश्वर के लिए 17 किमी थी। लेखापरीक्षा द्वारा देय ऊं और दू सूचकांक दरों के साथ की गई गणना से प्राप्त हुआ कि इन दो आगणनों पर ₹ 3.39 करोड़ का अनियमित सूचकांक जोड़ा गया था। उत्तर में, कु म वि नि ने कहा (फरवरी 2018) कि दूरस्थ कार्यस्थलों और सामग्री ढुलान की उच्च लागत के कारण कार्यों के लिए निविदादाताओं की गैर-भागीदारी के कारण आगणनों को संशोधित किया गया था।

आगे, लो नि वि परिपत्र (अगस्त 2011) के अनुसार ऊं और दू सूचकांक केवल उन सामग्री घटकों के लिए प्रभार्य है जिन्हें निकटतम सड़क से ढुलान किया जाना है और इनमें उन कार्य की मदों जैसे मिट्टी का कार्य, पहाड़ी के किनारे काटने, मलवा निकासी, सूखे पत्थरों की चिनाई और हैंड पैक्ड स्टोन फिलिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं है। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला है कि इस प्रावधान को दोनों पैकेजों के आगणनों को तैयार करते समय और उ प्रा स में संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय कु म वि नि द्वारा उचित रूप से लागू नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, कार्यों की उपरोक्त गैर अनुमन्य कार्य मदों पर ₹ 21.58 लाख की ऊं और दू सूचकांक जोड़ा गया था।

3.3.2.3 केन्द्र पोषित योजना - पुनर्निर्माण (के पो यो - पु) कार्यों के पूर्ण होने में देरी

के पो यो - पु के अंतर्गत, उ प वि प द्वारा उ प्र रा नि नि को ₹ 21.23 करोड़ के 12 कार्य और ग म वि नि ₹ 27.55 करोड़ के 39 कार्य दिये गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि उ प्र रा नि नि द्वारा कोई काम पूरा नहीं किया गया था। उ प्र रा नि नि द्वारा कार्यों के निष्पादन की धीमी प्रगति के कारण विभाग ने ₹ 71.48 लाख के व्यय के बाद ₹ 11.68 करोड़ (सितम्बर 2015) के सात[58] कार्यों को बीच में छोड़ दिया। ₹ 9.55 करोड़ के शेष पाँच कार्य[59] भा स द्वारा कम धनराशि अवमुक्त करने के कारण ₹ 1.72 करोड़ के व्यय के बाद भी बाधित थे। इसी प्रकार, भा स द्वारा आवश्यक धनराशि अवमुक्त न किए जाने के कारण ₹ 4.20 करोड़ के व्यय के बाद ग म वि नि के 26 कार्यों[60] (₹ 21.78 करोड़) में कोई और प्रगति नहीं हुई थी।

---

[58] खरसाली-उत्तरकाशी मे समन्वित पर्यटन सर्किट के विकास के **तीन कार्य** (100 बिस्तर क्षमता वाले पर्यावरण अनुकूल आवासों का निर्माण, पर्यटक स्वागत सह सूचना केन्द्र का निर्माण और पहुँच मार्ग / भवनों का सुधार का निर्माण) और अस्कोट - पिथौरागढ़ में समन्वित पर्यटन सर्किट के विकास के **चार कार्य** (50 बिस्तर क्षमता वाले पर्यावरण अनुकूल आवासों का निर्माण, पयर्टक स्वागत केन्द्रों का निर्माण, पर्यटक सूचना केन्द्रों का निर्माण, पार्किग का निर्माण / भवनों के सुधार)।

[59] **तीन कार्य** जोशीमठ-चमोली में समन्वित पर्यटक सर्किट (उत्तराखण्ड साहसिक पर्यटक हॉस्टल का निर्माण, सुरक्षा दीवार का निर्माण और उत्तराखण्ड पर्यटन विश्राम गृह की पुनर्स्थापना)। **एक कार्य** भटवाड़ी-उत्तरकाशी मे सार्वजनिक यात्री निवास का पुनर्निर्माण और टिहरी जिले मे देवप्रयाग में संगम घाट और पर्यटन विश्राम गृह का **एक कार्य**।

[60] मुख्यत: पर्यटक आवास गृहों और पर्यटक सुविधा केन्द्रों की पुनर्स्थापना से संबन्धित।

3.3.3 उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (उ ना उ वि प्रा) के कार्य

अतीत से सीख लेकर और राज्य की आपदा तैयारी में सुधार के दृष्टिकोण के साथ, उ स ने आपातकालीन निकासी और राहत कार्यों के संचालन के लिए हैलीपैड्स के मौजूदा बुनियादी ढाँचे का विस्तार करने की योजना बनाई। इस उद्देश्य के लिए, उ आ स प के अंतर्गत ₹ 151.80 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत किया गया था और उ ना उ वि प्रा के अधीन एक समर्पित प क्रि इ-नागरिक उड्डयन स्थापित की। उत्तराखण्ड की आपदा तैयारी करने की दिशा में कुल 5 हेलीड्रोमस, 19 हेलीपोर्ट्स, 34 हैलीपैड्स और 3,550 क्षमता के 37 बहुउद्देशीय हॉल (ब हॉ) / आश्रय[61] का निर्माण करने की योजना बनाई गई थी ***(परिशिष्ट-3.8)***। यद्यपि, उ ना उ वि प्रा द्वारा ₹ 49.53 करोड़ की लागत के मात्र 32 कार्यों (27 हैलीपैड्स, 3 हैंगर और 2 ब हॉ) को क्रियान्वित किया जा रहा था।

प क्रि इ-नागरिक उड्डयन (उ आ स प), देहरादून की नौं परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबन्धित (₹ 43.07 करोड़) अभिलेखों की नमूना जाँच (अगस्त 2017) में निम्नलिखित कमियाँ उजागर हुईः

3.3.3.1 आपदा तैयारी के लिए उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (उ ना उ वि प्रा) की त्रुटिपूर्ण योजना

लेखापरीक्षा ने पाया कि उ आ स प में उपर्युक्त प्रस्तावों को कार्यों के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना और प्रस्तावित हैलीपैड्स तक पहुंच मार्ग का संज्ञान लिए बिना शामिल किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, बड़ी संख्या में परियोजनाओं को छोड़ना और स्थानांतरित करना पड़ा, जैसा कि नीचे दिया गया हैः

- भूमि की अनुपलब्धता और अभिगम्यता के प्रकरणों के कारण निर्दिष्ट 5 और 19 स्थानों पर कोई हेलीड्रोम और हेलीपोर्ट का निर्माण नहीं किया जा रहा था।
- 34 हैलीपैड्स के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 27 हैलीपैड्स का निर्माण किया जा रहा था। इनमें से, 18 हैलीपैड्स का निर्माण नए स्थानों पर किया जा रहा था और केवल नौं हैलीपैड्स का निर्माण ही उ ना उ वि प्रा द्वारा प्रारम्भिक रूप से चिन्हित स्थानों पर किया जा रहा था। मार्च 2018 तक 26 हैलीपैड्स का कार्य पूर्ण हो चुका था और एक हैलीपैड्स (सहस्त्रधारा, देहरादून) का निर्माण प्रगति पर था।
- 37 ब हॉ / आश्रयों (क्षमता 3,550) के लक्ष्य के सापेक्ष, पाँच अति प्रभावित जिलों[62] में नोडल एजेंसी द्वारा भूमि की अनुपलब्धता और पूर्व चिन्हित स्थानों पर हैलीपैड्स का निर्माण नहीं होने के कारण ब हॉ / आश्रयों का निर्माण नहीं किया जा रहा था। हालांकि, पौड़ी और अल्मोड़ा जिले में दो छोटे आश्रयों का निर्माण किया जा रहा था जिसकी क्षमता केवल 20 व्यक्तियों के लिए थी।

निकास गोष्ठी (फरवरी 2018) के दौरान, राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि उचित भूमि की अनुपलब्धता के कारण कई हैलीपैड्स को छोड़ दिया गया / स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार, इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन योजनाबद्ध तरीके से न करने के कारण राज्य की आपदा तैयारियों पर घात था।

---

[61] प्राकृतिक आपदा के दौरान निकाले जाने वाले लोगों को हैलीपैड्स के साथ स्थान उपलब्ध कराना।

[62] बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी।

3.3.3.2 कार्यों का अधिमूल्यांकन

दो हेलीपैडों (बड़कोट और बागेश्वर) के स्वीकृत वि प रि के मामले में यह पाया गया कि 15 *प्रतिशत* ऊं और दू सूचकांक ₹ 31.58 लाख इस तथ्य के बावजूद जोड़ा गया था कि इन कार्यों के स्थल पहुँच मार्ग मोटर योग्य थे जिसके लिए उत्तराखण्ड लो नि वि द्वारा जारी परिपत्र (जून 2011) के अनुसार ऐसा कोई सूचकांक अनुमन्य नहीं था।

राज्य सरकार ने तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2018) कि दो वि प रि में लगाए गए 15 *प्रतिशत* ऊं और दू सूचकांक पहाड़ी इलाकों में कार्य करने के लिए था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह कृत्य कार्य आगणन के लिए निर्दिष्ट मानदंडों के विरुद्ध था।

3.4 सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण

सिंचाई विभाग के अनुसार आपदा ने राज्य में 11,702 किमी की कुल विद्यमान लंबाई के सापेक्ष 495 किमी के नहर कार्यों को क्षति पहुंचायी थी। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा 2013 की आपदा के कारण क्षति के रूप में 74 किमी की लंबाई के 508 बाढ़ सुरक्षा कार्य (बा सु का), 60 लिफ्ट नहर योजनाएं, 53 ट्यूब-वेल, 02 झीलें, 01 बैराज और 12 भवनों को भी चिन्हित किया गया था। सिंचाई के अंतर्गत राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र 3,33,800 हेक्टेयर था, जिसमें से 38,330 हेक्टेयर सिंचाई बुनियादी ढाँचा क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रभावित घोषित किया गया था।

राज्य सरकार ने अपने प्रस्ताव (सितंबर 2013) में भा स से इस क्षेत्र के लिए ₹ 1,215.17 करोड़ की माँग की जिसके विरुद्ध म और दी पु पैकेज के अंतर्गत ₹ 1,062.12 करोड़[63] अनुमोदित किया गया था। हालांकि, भा स ने अगस्त 2017 तक ₹ 179.52 करोड़ (के पो यो - पु: ₹ 79.52 करोड़ और वि आ स - पु: ₹ 100 करोड़) अवमुक्त किए थे। राज्य सरकार ने ₹ 815.98 करोड़ के 77 बाढ़ सुरक्षा कार्य (बा सु का) के निष्पादन के लिए प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जिसमें से 12 कार्य जुलाई, 2017 में स्वीकृत किए गए थे। भौतिक और वित्तीय प्रगति नीचे **तालिका-3.5** के अनुसार थी:

तालिका 3.5: स्वीकृत बा सु का की भौतिक और वित्तीय स्थिति

जिले का नाम	निधि का स्रोत	कुल कार्य	स्वीकृत लागत (*₹ करोड़ में*)	कार्यों की प्रगति (लेखा परीक्षा की तिथि तक)			
				पूर्ण कार्य	प्रगति में	अनारम्भ कार्य	वित्तीय प्रगति (*₹ करोड़ में*)
बागेश्वर	के पो यो - पु	3	30.39	1	2	-	18.56
चमोली	वि आ स - पु	4	38.42	2	2	-	36.99
	के पो यो - पु	2	21.54	2	0	-	17.36
पिथौरागढ़	वि आ स - पु	4	36.15	1	3	-	31.77
	के पो यो - पु	10	97.30	6	4	-	64.88
रुद्रप्रयाग	वि आ स - पु	13	68.03	1	0	12	9.80
	के पो यो - पु	7	64.23	7	0	-	60.15
उत्तरकाशी	वि आ स - पु	2	15.60	2	0	-	15.60
	के पो यो - पु	10	99.60	9	1	-	82.77
पूर्ण राज्य में (लेखा परीक्षा की तिथि तक स्थिति)		**23**	**158.20**	**6**	**05**	**12**	**94.16**
	के पो यो - पु	**54**	**657.78**	**28**	**26**	**-**	**468.67**
31-03-2018 तक स्थिति	**वि आ स - पु**	**23**	**158.20**	**11**	**12**	**-**	**113.55**
	के पो यो - पु	**54**	**657.78**	**34**	**20**	**-**	**617.87**

स्रोत : विभागीय आंकड़े।

[63] के पो यो - पु: ₹ 940.21 करोड़, वि आ स - पु: ₹ 100 करोड़, और रा आ मो नि (2013-14): ₹ 21.91 करोड़।

के पो यो - पु द्वारा वित्त पोषित 54 कार्यों में से 20 बा सु का (37 *प्रतिशत*), भा स द्वारा के पो यो - पु की धनराशि कम अवमुक्त किए जाने के कारण अपूर्ण रहे (*संदर्भ प्रस्तर-2.2.1*)। 23 में से मात्र 11 वि आ स - पु कार्य (48 *प्रतिशत*) पूर्ण थे और शेष 12 कार्य (₹ 58.23 करोड़) 25 *प्रतिशत* वित्तीय प्रगति के साथ प्रगति पर थे, क्योंकि उ स द्वारा इन कार्यों की स्वीकृति जुलाई 2017 में दी गई थी।

उपरोक्त के अलावा, इस क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय / राज्य आ मो नि के अंतर्गत ₹ 21.91 करोड़ की राशि संबन्धित जिलाधिकारियों के निर्वतन पर तत्काल प्रकृति के कार्य की लिए रखी गई थी।

चमोली में बा सु का (आपदा के बाद)

चमोली में बा सु का (पुनर्निर्माण के बाद)

लेखापरीक्षा ने मुख्य अभियन्ता (मु अ), देहरादून के कार्यालय में कार्य की समग्र स्थिति के आंकलन के साथ ही पाँच नमूना परीक्षित जिलों में वि आ स - पु के 23 कार्यों में से 10 कार्य (₹ 92.05 करोड़) (43 *प्रतिशत*) और के पो यो - पु के 32 कार्यों में से 22 कार्यों (₹ 213.13 करोड़) (69 *प्रतिशत*) की जाँच की थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

3.4.1 आयोजनागत सम्बन्धी मुद्दे

3.4.1.1 क्षतिग्रस्त सिंचाई बुनियादी ढाँचे का अपर्याप्त आच्छादन

मु अ, सिंचाई विभाग, उ स के कार्यालय की लेखापरीक्षा जाँच (जुलाई 2017) में पाया गया कि विभाग ने विशेष म और दी पु पैकेज में शामिल करने के लिए राज्य सरकार को ₹ 779.40 करोड़ की लागत के 74 बा सु का के प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। हालांकि, इसमें क्षतिग्रस्त सिंचाई नहरों, लिफ्ट नहर योजनाओं, ट्यूब-वेल, झीलों, बैराज और भवनों के पुनर्निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं था। इस प्रकार, विभाग द्वारा आवश्यक संख्या में प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने में असफल रहा, जिससे स्थानीय जनता की आजीविका के मुख्य स्रोत का समर्थन करने के उद्देश्य के लाभ से वंचित रहा। आगे, लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि अनुमोदन के लिए प्रस्तुत 74 कार्यों में से छः बा सु का (₹ 64.28 करोड़) जून 2013 की आपदा से पहले की अवधि से संबन्धित थे। ये छः बा सु का पहले से ही विभाग के विचाराधीन थे या जून 2013 की आपदा से पहले तकनीकी सलाहकार समिति (त स स) की उचित मंजूरी के बाद विभाग की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया में थे।

प्र अ कार्यालय ने कहा (मार्च 2018) कि पुनर्निर्माण कार्यों को क्षतिग्रस्त कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर लिया गया था और कुछ पुनर्निर्माण कार्यों को वित्तपोषण के अन्य स्रोत जैसे जिला

योजना, नाबार्ड और राजस्व व्यय के माध्यम से किया गया था। हालांकि, वित्त पोषण के अन्य स्रोतों के माध्यम से कार्यों की स्वीकृति के संबन्ध में कोई सहायक अभिलेख लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

3.4.1.2 विद्युत क्षेत्र से संबन्धित परियोजनाओं का गलत समावेशन

म और दी पु पैकेज के लिए भा स की स्वीकृति (जनवरी 2014) प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशिष्ट थी जिसमें सिंचाई क्षेत्र और विद्युत / ऊर्जा क्षेत्र के लिए अनुमोदित परिव्यय क्रमशः ₹ 1,062.12 करोड़ और ₹ 100 करोड़ था।

लेखापरीक्षा जाँच से ज्ञात हुआ कि ₹ 125.52 करोड़ की लागत के दो कार्यों को सिंचाई विभाग के के पो यो - पु कार्यों के अन्तर्गत शामिल किया गया था, जो विद्युत क्षेत्र (उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड की मनेरी-भाली स्टेज-1 व 2 की जल विद्युत परियोजनाएं) से संबन्धित हैं। जैसा कि पिछले प्रस्तर में चर्चा की गई थी, विभाग द्वारा आवश्यक धनराशि का आंकलन कम था जिसके परिणामस्वरूप कई क्षतिग्रस्त कार्य बाहर रहे। विद्युत क्षेत्र के दो कार्यों को शामिल करने से उपलब्ध धनराशि के साथ क्षतिग्रस्त कार्यों का आच्छादन और कम हो गया।

3.4.2 कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दे

3.4.2.1 बड़ी संख्या में अनुबंधों के साथ कार्यों का अनियमित निष्पादन

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के प्रस्तर 3, 13(अ) और 33(ग) और इस संबंध में उ स द्वारा निर्गत किए गए निर्देशों के अनुसार ₹ 1.50 करोड़ से अधिक अनुमानित मूल्य वाले सभी कार्यों को पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मकता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने और धन का सर्वोत्तम मूल्य सुरक्षित करने के लिए एक ही पैकेज के रूप में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी निविदा (रा प्र नि) प्रक्रिया के माध्यम से ई-निविदा के आधार पर आवंटित किये जाने होते है।

पाँच नमूना परीक्षित जिलों के नौं खण्डों की लेखापरीक्षा जाँच के दौरान यह देखा गया कि 20 बा सु का (₹ 187.73 करोड़) के निष्पादन के लिए उपरोक्त वित्तीय नियमों / निर्देशों का कोई अनुपालन इस तथ्य के बावजूद नहीं हुआ था कि निम्नतम बा सु का का मूल्य ₹ 5.68 करोड़ था। निष्पादन के लिए, इन बा सु का को विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा कई अनुबंधों में विभाजित किया गया था यहाँ तक की विशेष रूप से एक ठेकेदार के माध्यम से एक भी कार्य निष्पादित नहीं किया गया था। विभिन्न स्तरों पर दिए गए अनुबंधों की संख्या नीचे दी गई **तालिका-3.6** में दी गई है:

तालिका-3.6: विभिन्न स्तरों से दिए गए अनुबंधों की संख्या का विवरण

जिले का नाम	नमूना बा सु का		प्रत्येक स्तर पर दिए गए अनुबंधों की संख्या			निष्पादित अनुबंधों की कुल संख्या
	संख्या	लागत (*₹ करोड़ में*)	अधीक्षण अभियंता (अधी अ)	अधिशासी अभियंता (अ अ)	सहायक अभियंता (स अ)	
बागेश्वर	03	30.39	01	45	72	118
चमोली	05	48.00	03	34	533	570
पिथौरागढ़	03	29.83	02	25	04	31
रुद्रप्रयाग	07	63.91	03	96	343	442
उत्तरकाशी	02	15.60	04	08	42	54
योग	***20***	***187.73***	***13***	***208***	***994***	***1,215***

कुल 1,215 अनुबंधों में से, अ अ / स अ द्वारा 56 ठेकेदारों को ₹ 39.73 करोड़ धनराशि के 193 अनुबन्ध, वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधायन और वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड-6) के नियम[64]-369 और 370 का उल्लंघन करते हुए दिये गये थे, जो कि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता थी।

कई अनुबंधों के माध्यम से बा सु का का कार्यान्वयन अनियमित, गैर-पारदर्शी था और रा प्र नि प्रक्रिया के माध्यम से ई-निविदा को न अपनाने के कारण धन के सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

प्र अ ने उत्तर दिया (मार्च 2018) कि सरकार द्वारा किश्तों में बजट के आवंटन और कार्य स्थल की स्थिति को विचार करते हुये कार्यों को कई अनुबन्धों के माध्यम से निष्पादित किया गया था। यदि पूरे कार्य को एक ही ठेकेदार को दिया जाता तो निर्धारित समय पर कार्यों के अपूर्ण रहने की संभावना हो सकती थी। हालांकि, उत्तर को इन तथ्यों के आलोक में देखा जाना चाहिए कि विभाग द्वारा लेखा परीक्षा तिथि (अगस्त 2017) तक 20 चयनित बा सु का में से पाँच को पूर्ण नहीं किया गया था।

3.4.2.2 वांछित ऊंचाई तक बाढ़ सुरक्षा कार्य को निष्पादित न किया जाना

सिंचाई विभाग के अंतर्गत प्रत्येक बा सु का को सभी तथ्यों जैसे बाढ़ का उच्च स्तर और संबन्धित नदी की कटान की गहराई पर विचार करने के बाद प्र अ की अध्यक्षता में विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति (त स स) द्वारा पास किया जाता है। त स स (अक्टूबर 2013) ने रुद्रप्रयाग जिले के मन्दाकिनी नदी पर गंगानगर, जवाहर नगर, बेड़ुबगढ़ और सौदित बाजार में एक बा सु का पाँच मीटर की ऊंचाई तक निष्पादित करने के लिए पास किया गया था।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि बा सु का की ऊंचाई को सिंचाई खण्ड, अगस्तमुनी द्वारा कार्य निष्पादित करते समय एक मीटर कम (चार मीटर) रखा गया था। न तो पुनरीक्षित ऊंचाई को त स स से अनुमोदित कराया गया था और न ही उपलब्ध ₹ 46.72 लाख की बचत (एक मीटर तक ऊंचाई में कमी के कारण) को खण्ड द्वारा समर्पित किया गया था क्योंकि इसे बिना किसी अनुमोदन के कार्य की अन्य मदों पर व्यय कर दिया गया था। मु अ ने कहा कि इस प्रकरण में जाँच की जाएगी और तदनुसार यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

3.5 विद्युत और ऊर्जा

2013 की आपदा ने राज्य भर में विद्युत व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसके परिणामस्वरूप, लगभग 3,758 गांवों और बस्तियों में विद्युत आपूर्ति में व्यवधान हुआ। राज्य सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार, विद्युत और ऊर्जा क्षेत्र की चिन्हित क्षति ₹ 328.28 करोड़ थी, लेकिन राज्य सरकार ने यू जे वी एन एल की 553.85 मेगावॉट की स्थापित क्षमता वाले 13 (10 लघु और 3 बड़े) चालू / परिचालनरत जल विद्युत परियोजनाओं (ज वि प) की बहाली के लिए, 126 गांवों / बस्तियों को विद्युत आपूर्ति प्रदान करने वाली उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण

64 प्रस्तर-370 प्रावधानित करता है कि कोई भी प्राधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा "वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधायन" के अंतर्गत शक्ति न हो वो अनुबंध गठित नहीं कर सकता है और प्रस्तर-369 के अंतर्गत प्रदत्त वित्तीय नियम इस बात की व्याख्या करता है कि कोई व्यक्तिगत ठेकेदार किसी कार्य या आगणन के लिए द्वितीय अनुबंध तब तक स्वीकार नहीं कर सकेगा जब तक प्रथम गतिमान हो, यदि अनुबंधों की कुल योग संबन्धित प्राधिकारी के वित्तीय शक्ति की स्वीकार सीमा से अधिक हो।

(उरेडा) की 46 लघु जल विद्युत परियोजनाओं (ल ज वि प) जिनकी सयुक्त स्थापित क्षमता 6.47 मेगावॉट थी और यू जे वी एन एल / उरेडा के ल ज वि प द्वारा 109 गांवों के उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) के वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिये म और दी पुन पैकेज के अन्तर्गत ₹ 151.80 करोड़ की माँग की।

उ स की ₹ 151.80 करोड़[65] की माँग के सापेक्ष, भा स ने वि आ स-पु के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़[66] की स्वीकृति / अवमुक्ति इस अभ्युक्ति के साथ प्रदान की कि यू जे वी एन एल (₹ 47.60 करोड़) और यू पी सी एल (₹ 4.20 करोड़) की शेष राशि बाजार स्रोतों से जुटाई जाय क्योंकि ये विद्युत इकाईयाँ वाणिज्यिक संस्थायें हैं। हालांकि, उ स द्वारा यू जे वी एन एल (₹ 57.72 करोड़) और यू पी सी एल (₹ 60.60 करोड़) के संबन्ध में वास्तविक आवंटन अधिक था, जैसाकि प्रस्तर 2.2.4 में वर्णित किया गया है।

3.5.1 आयोजनागत सम्बन्धी मुद्दे

3.5.1.1 बहु स्रोतों के वित्तपोषण हेतु प्रस्तावों को प्रेषित करना

2013 की आपदा में उरेडा की कुल 46 ल ज वि प क्षतिग्रस्त हुयी थी और इन ल ज वि प की पुनर्स्थापना के लिये ₹ 17.60 करोड़ की माँग को भा स द्वारा वि आ स - पु के अन्तर्गत पूर्णतः स्वीकृत / उपलब्ध कराया गया था। लेखापरीक्षा जाँच मे ज्ञात हुआ कि उरेडा ने टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (टी एच डी सी) इंडिया लिमिटेड (केन्द्रीय-सा क्षे इ) से 25 ल ज वि प के लिये वापस न की जाने योग्य धनराशि ₹ 181.24 लाख और राष्ट्रीय / राज्य आ मो नि के अंतर्गत संबन्धित जिला प्राधिकारियों से 11 ल ज वि प के लिए ₹ 91.73 लाख इस तथ्य के बावजूद प्राप्त किये कि इन ल ज वि प की पुनर्स्थापन के लिये आवश्यक धनराशि पहले ही भा स द्वारा वि आ स-पु के अन्तर्गत स्वीकृत / उपलब्ध कराया गया था। इसके परिणामस्वरूप उरेडा के पास निधियां अनुपयोगित रही *(संदर्भ प्रस्तर 2.2.5)*।

इसी प्रकार, यू पी सी एल के एक विद्युत वितरण खण्ड (उत्तरकाशी) ने 11 केवी लाइनों के पाँच क्षतिग्रस्त कार्यों की पुनर्स्थापन के लिये प्रस्ताव वि आ स - पु के अन्तर्गत शामिल होने के बावजूद जिलाधिकारी-उत्तरकाशी से राज्य आ मो नि के अन्तर्गत ₹ 36.56 लाख प्राप्त किए।

3.5.2 कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दे

3.5.2.1 अपुनर्स्थापित जल विद्युत परियोजनाएं

2013 की आपदा में 553.85 मेगावॉट की स्थापित क्षमता वाले यू जे वी एन एल के स्वामित्व की कुल 13 चालू / परिचालनरत जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई थीं। लेखापरीक्षा जाँच मे ज्ञात हुआ कि:

- ₹ 57.72 करोड़ की आवंटित धनराशि के सापेक्ष, यू जे वी एन एल ने 95.25 मेगावॉट (मनेरी भाली स्टेज-1: 90 मेगावॉट, उर्गम: 3 मेगावॉट और पिलंगाड़: 2.25 मेगावॉट) की केवल तीन जल विद्युत परियोजनाओं के पुनर्स्थापन का कार्य लिया, जिनमें से दो जल विद्युत परियोजनाएं

65 यू जे वी एन एल (₹ 80 करोड़), उरेडा (₹ 17.60 करोड़), यू पी सी एल (₹ 54.20 करोड़)।

66 यू जे वी एन एल के लिये ₹ 32.40 करोड़, उरेडा के लिये ₹ 17.60 करोड़, यू पी सी एल के लिये ₹ 50 करोड़।

(मनेरी भाली-1 और उरगम) पुनर्स्थापित कर दी गई थी। पिलंगाड जल विद्युत परियोजना (2.25 मेगावॉट) का पुनर्स्थापन कार्य प्रगति पर था।

- यू जे वी एन एल द्वारा 448 मेगावॉट (चिल्ला और मनेरी भाली-2) के दो जल विद्युत परियोजनाएं कुछ महीनों के भीतर अपने संसाधनों से पुनर्स्थापित कर दी गई थी और 7.40 मेगावॉट की छः लघु जल विद्युत परियोजनाओं (ल ज वि प)[67] को स्वीकृत धनराशि के हस्तगत किये बिना ही उरेडा को हस्तांतरित (2013-14) कर दिया गया था।

इस प्रकार, राज्य सरकार से ₹ 25.32 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति तथा छः ल ज वि प को उरेडा को स्थानांतरित किए जाने के बावजूद यू जे वी एन एल ने केवल चार जल विद्युत परियोजना को पुनर्स्थापित किया और 5.45 मेगावॉट की शेष तीन जल विद्युत परियोजनाओं का पुनर्स्थापन नहीं किया गया था। यू जे वी एन एल ने दो अनारम्भ परियोजनाओं (3.2 मेगावॉट की कंचौटी और कुलागाड़) के सम्बन्ध में उत्तर दिया कि भा स द्वारा धनराशि स्वीकृत नहीं किए जाने के कारण पुनर्स्थापन कार्य शुरू नहीं हो सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि भा स की स्वीकृति के अनुसार यू जे वी एन एल को अवशेष धनराशि की व्यवस्था बाजार स्रोतों से करनी थी।

आरम्भ में स्वीकृत 13 कार्यों के अलावा, 9 मेगावॉट की दो अतिरिक्त परियोजनाओं (ज वि प) असिगंगा-I और II के लिये ₹ 23.81 करोड़ की स्वीकृत दी गयी थी। हालांकि, इन दो ज वि प के पुनर्स्थापन का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था क्योंकि भा स द्वारा इस क्षेत्र को पर्यावरण-संवेदनशील परिक्षेत्र घोषित किया गया था।

उरेडा की 46 ल ज वि प जिन्हें क्षतिग्रस्त चिन्हित किया गया था के अतिरिक्त, 06 ल ज वि प को यू जे वी एन एल से स्थानांतरित किया गया था। इनमें से, 46 ल ज वि प (यू जे वी एन एल से स्थानांतरित तीन ल ज वि प को शामिल करते हुये) का काम पूर्ण हो चुका था, जबकि चार ल ज वि प (4.8 मेगावॉट)[68] का पुनर्स्थापन कार्य विभिन्न कारणों से लंबित है। इस संबंध में उरेडा ने उत्तर दिया (मार्च 2018) कि रेलागाड़ ज वि प का कार्य प्रगति पर है; दो ल ज वि प (तरुला और कोटिझाला ल ज वि प) के लिए व्यवहार्यता अध्ययन प्रगति पर है; और छीरकिला ल ज वि प के लिए स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है (दिसंबर 2017) एवं इसका कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ होगा। एक परियोजना (ज वि प: पिंसवाड़) को निरस्त किया जा चुका है क्योंकि यू पी सी एल[69] द्वारा इस ज वि प के लाभार्थियों को विद्युत आपूर्ति प्रदान कर दी गई थी और सोनप्रयाग ल ज वि प की पुनर्स्थापना संभव नहीं है क्योंकि यह बाद की आपदा 2015 में पूरी तरह से बह चुका था।

इस प्रकार, जून 2013 आपदा से चार वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी सात क्षतिग्रस्त ज वि प / ल ज वि प (10.25 मेगावॉट) के पुनर्स्थापन के निर्दिष्ट उद्देश्य अप्राप्त रहे, जबकि चार ज वि प/ल ज वि प (9.55 मेगावॉट) के कार्य को अव्यवहार्यता के कारण निरस्त कर दिया गया था।

---

67 ल ज वि प: बद्रीनाथ-II (1.25 मे वा), पांडुकेश्वर (0.75 मे वा), थराली (0.4 मे वा), छीरकीला (1.5 मे वा), रेलागाड़ (3 मे वा) और सोनप्रयाग (0.50 मे वा)।

68 तरुला (100 कि वा), कोटिझाला (200 कि वा), छिर्किला (1.5 मे वा), रेलागाड़ (3 मे वा)।

69 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत।

3.5.2.2 उरेडा द्वारा अधिक विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (वि प रि) तैयार करने पर निष्फल व्यय

उरेडा को नौं ल ज वि प की वि प रि तैयार करने के लिए वि आ स - पु के अन्तर्गत ₹ 43.98 लाख की राशि प्रदान की गई थी जो 2013 में आपदा में नष्ट या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उरेडा ने ₹ 36.20 लाख की लागत से आठ वि प रि तैयार की जिनमें से चार वि प रि का उपयोग ल ज वि प की पुनर्स्थापन के लिये किया गया था। ₹ 18.50 लाख की लागत से तैयार शेष चार वि प रि[70] का उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि दो ल ज वि प (भिकुरियागाड़ और बालीघाट) का प्रस्तावित पुनर्स्थापन कार्य प्रस्तावित कार्यस्थल पर ल ज वि प अव्यवहारित होने के कारण बाद में निरस्त कर दिया गया था। यू जे वी एन एल से दो ल ज वि प के हस्तांतरण की प्रत्याशा में दो वि प रि तैयार किए गये थे, जो सार्थक नहीं हो पाये। इस प्रकार, इन चार वि प रि की तैयारी पर किए गये ₹ 18.50 लाख का व्यय निष्फल रहा।

3.5.2.3 उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) द्वारा कार्यों के निष्पादन में असामान्य देरी

उ स ने वि आ स - पु के अन्तर्गत ₹ 2.28 करोड़ की राशि 33/11 किलोवाट (कि वा) उप-स्टेशन कर्मी (बागेश्वर) से 11 किलोवाट लाइन के निर्माण के लिए यू पी सी एल को निर्गत की (जून 2014)। इस कार्य को टर्न-की आधार पर ₹ 2.15 करोड़ (आपूर्ति: ₹ 1.63 करोड़ और संयोजन: ₹ 52.58 लाख) की लागत पर अनुबंधित (दिसंबर 2014) किया गया जिसे नौं माह की अवधि में पूर्ण किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि यह कार्य ₹ 2.15 करोड़ के व्यय के बाद तीन वर्ष व्यतीत के पश्चात भी पूर्ण नहीं हुआ था। इसलिए, प्रभावित क्षेत्र मे विद्युत आपूर्ति प्रदान करने का निर्दिष्ट उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सका। प्रबन्धन ने बताया कि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र के कारण कार्य में देरी हुई।

3.6 लोक भवन

3.6.1 आयोजनागत सम्बन्धी मुद्दे

सं त्व क्ष और आ आ रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 995 लोक भवन[71] क्षतिग्रस्त थे (212 पूर्ण और 783 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त)। हालांकि, पुनर्निर्माण के लिए म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत 836 आंशिक / पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भवनों[72] को योजनाबद्ध/स्वीकृत किया गया था।

---

[70] ल ज वि प: बालीघाट, भिकुरियागाड़, कंचौटी और कुलागाड़।

[71] शिक्षा (873), स्वास्थ्य (56), महिला एवं बाल विकास विभाग (49), खण्ड कार्यालय और आवास (17)।

[72] **21 भवन** (₹ 74.35 करोड़) उ आ रि प के अंतर्गत (प्राथमिक विद्यालय: 08, इण्टर कॉलेज: 04, पीजी कॉलेज छात्रावास: 01, पुलिस / दमकल स्टेशन: 04, औषधालय / स्वास्थ्य उप-केन्द्र: 02, औ प्र सं भवन: 01, और खाद्य भण्डार: 01), **32** औ प्र सं **भवन** (₹ 50.00 करोड़) वि आ स-पु के अंतर्गत, **736 विद्यालय भवन** (₹ 35.94 करोड़) सर्व शिक्षा अभियान के तहत (के पो यो - पु), और **47 भवन** (₹ 0.98 करोड़) एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत (के पो यो - पु)।

3.6.1.1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवनों की स्वीकृति में देरी

वि आ स - पु के अन्तर्गत, उत्तराखण्ड के युवाओं को आजीविका के वैकल्पिक साधनों में प्रशिक्षित करने के लिए प्रत्येक विकास खंड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (औ प्र सं) और पॉलिटेक्निकों के सुदृढीकरण/निर्माण के लिए म और दी पु के अन्तर्गत ₹ 50 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई थी जो उनके वर्तमान व्यवसाय को प्रतिस्थापित / अनुपूरक कर सके। इसके सापेक्ष, निर्माण के लिए 32 औ प्र सं भवन चिन्हित किए गए थे, लेकिन ₹ 36.62 करोड़ की लागत से केवल 22 औ प्र सं भवनों के लिए प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति दी गई और शेष 10 औ प्र सं भवनों को उ स द्वारा आज भी स्वीकृत किया जाना बाकी है।

3.6.1.2 गैर अनुमन्य विद्यालयी भवनों का आच्छादन

के पो यो - पु (सर्व शिक्षा अभियान-स शि अ) के अन्तर्गत, 2013 आपदा के दौरान 159 पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त और 577 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण कार्यों के लिये भा स द्वारा ₹ 35.94 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी। हालांकि, चयनित जिलों की लेखापरीक्षा जाँच मे पाया गया कि 2013 की आपदा में 63 विद्यालय भवन[73] (114 स्वीकृत विद्यालय भवनों में से) वास्तव में क्षतिग्रस्त नहीं हुये थे। इन 63 विद्यालय भवनों (₹ 8.54 करोड़) के पुनर्निर्माण कार्य 2012-13 और 2013-14 के अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं में शामिल थे। इसलिये, विभाग द्वारा इन भवनों का आच्छादन गैर अनुमन्य था।

3.6.2 कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दें

3.6.2.1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (औ प्र सं) की स्थापना के लिए भवन

15 औ प्र सं भवनों (₹ 15.18 करोड़) का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (उ प्र रा नि नि), देहरादून के यूनिट-1 को सौंपा गया (मार्च 2014) और सात औ प्र सं भवनों का निर्माण कार्य (₹ 21.44 करोड़) ब्रिड़कुल (सेतु, रोपवे, टनल एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आफ उत्तराखण्ड लिमिटेड), देहरादून को सौंपा गया था। उ स द्वारा ब्रिड़कुल को कार्य बहुत देर से (सितंबर 2016) दिया गया जिसके परिणामस्वरूप निर्माण में देरी हुई। कार्यों की भौतिक प्रगति केवल नौं और 55 *प्रतिशत* के बीच थी।

उ प्र रा नि नि में अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में ज्ञात हुआ कि:

- हालांकि, मार्च 2014 में उ स द्वारा कार्य को स्वीकृति दे दी गई थी, तीन औ प्र सं भवनों (कठ्पुडियाछिना, थल और गंगोलीहाट) का कार्य उ प्र रा नि न द्वारा शुरू नहीं किया गया क्योकि तकनीकी शिक्षा विभाग ने इन भवनों के लिए भूमि सितंबर 2016 में प्रदान की थी। स्वीकृत आगणन के अनुसार निर्माण कार्य सम्भव न हो सका क्योंकि आगणन पुरानी दरों की अनुसूची पर आधारित थे।

---

[73] उत्तरकाशी (35), रुद्रप्रयाग (6), चमोली (22)।

- उ प्र रा नि नि द्वारा बड़ाबे (पिथौरागढ़) और बसुकेदार (रुद्रप्रयाग) के दो औ प्र सं भवनों का निर्माण प्रस्तावित निर्माण कार्य स्थलों तक पहुंच मार्ग के लिए जमीन की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया गया था जो तकनीकी शिक्षा विभाग के खराब नियोजन की ओर इंगित करता है।
- औ प्र सं धौंन्त्री (उत्तरकाशी) के भवन का निर्माण कार्य ₹ 1.04 करोड़ के व्यय के बाद स्थानीय जनता (अप्रैल 2016) द्वारा बाधा उत्पन्न करने के कारण बीच मे ही रोक दिया गया था जहाँ स्थल पर ₹ 0.66 करोड़ की अप्रयुक्त सामग्री पड़ी थी।
- उ प्र रा नि नि ने सात औ प्र सं के निर्माण कार्य को पूरा किया लेकिन विभाग द्वारा धनराशि आवंटित न किये जाने के कारण उ प्र रा नि नि द्वारा ₹ 2.17 करोड़ की लागत वाले चार औ प्र सं भवनों का स्थल विकास किया जाना लम्बित (जुलाई 2017) था।
- चिरबटिया और ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग) में औ प्र सं भवन स्वीकृत लागत ₹ 2.06 करोड़ के सापेक्ष ₹ 0.72 करोड़ (जुलाई 2017) की वित्तीय प्रगति के साथ निर्माणाधीन थे।

औ प्र सं भवनों के निर्माण में देरी के परिणामस्वरूप उत्तराखण्ड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लगभग 1,681 युवा हर वर्ष आजीविका के वैकल्पिक साधनों के 19 ट्रेडों में प्रशिक्षण से वंचित रहे।

3.6.2.2 उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना (उ आ रि प) के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के क्षतिग्रस्त भवनों का पुनर्निर्माण

उ आ रि प के अन्तर्गत, लोक भवनों के लिए एक समर्पित प क्रि इ[74] विभिन्न विभागों के 21 भवनों[75] (₹ 74.35 करोड़ की लागत वाले 16 पैकेजों के अन्तर्गत) के पुनर्निर्माण का कार्य कर रहा था, जिनके पूर्ण होने की लक्षित तिथि दिसंबर 2017 थी। प क्रि इ-लोक भवन, देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (अगस्त 2017) के दौरान निम्नलिखित बिन्दु उजागर हुये थे:

- प क्रि इ केवल छः भवनों[76] (₹ 8.08 करोड़) के पुनर्निर्माण का कार्य पूर्ण कर सकी और 13 पुनर्निर्माण कार्य (₹ 45.29 करोड़) 10 से 83 *प्रतिशत* की भौतिक प्रगति के साथ निर्माणाधीन थे (अगस्त 2017)।
- औ प्र सं-भवन, श्रीनगर (₹ 10.49 करोड़) का कार्य भूमि की अनुपलब्धता के कारण प्रारम्भ नहीं हो सका क्योंकि इसका मूल स्थल ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित था।
- श्रीनगर में खाद्य गोदाम का निर्माण ₹ 1.67 करोड़ के व्यय के पश्चात बंद (अक्टूबर 2016) कर दिया गया था और इसे अन्य स्थान (मुख्य शहर श्रीनगर) में स्थानांतरित (मई 2017) कर दिया गया, क्योंकि मूल स्थल भूमिगत जलस्राव से ग्रसित और मौसमी नाले के मुख्य धारा पर स्थित था और खाद्य भंडारण के लिए यह स्थल उपयुक्त नहीं था। स्थल के चयन मे त्रुटि के कारण ₹ 1.67 करोड़ का पूरा व्यय व्यर्थ हो गया।

कार्यक्रम प्रबंधक (उ आ रि प) ने इसका उत्तर दिया (फरवरी 2018) कि भूस्खलन की वजह से मूल स्थल पर कार्य बंद कर दिया गया, जिसके लिए परियोजना को नए स्थान पर स्थानांतरित करने की

---

74 सेतु, रोपवे, टनल एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, (ब्रिड्कुल), देहरादून की एक इकाई।

75 प्राथमिक विद्यालय: 08, इण्टर कॉलेज: 04, परा. म. का छात्रावास: 01, पुलिस / दमकल स्टेशन: 04, औषधालय / स्वास्थ्य उप-केन्द्र: 02, औ प्र सं भवन: 01, और खाद्य भण्डार: 01।

76 04 प्राथमिक विद्यालय, 01 इण्टर कालेज और 01 स्वास्थ्य उप-केन्द्र के लिये भवन।

लागत से अधिक लागत के उपचार कार्य की आवश्यकता थी। उत्तर इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि प्रारंभिक सर्वेक्षण (अप्रैल 2014) में यह संकेत मिल चुके थे कि कार्य स्थल भूस्खलन और भूमिगत जलस्राव के दायरे में था क्योंकि यह मौसमी नाली के मुख्यधारा में स्थित था। इसके बावजूद, परियोजना को इस स्थल पर अवस्थित किया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः स्थानांतरण और परिहार्य व्यय हुआ।

3.7 रिहायशी आवास

उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना (उ आ रि प) के अंतर्गत, स्वामित्व चलित आवास निर्माण (स्वा च आ नि) के अंतर्गत आवासीय घरों के पुनर्निर्माण को वि बैं द्वारा वित्तपोषित किया गया था। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संस्तुतियों पर संबन्धित प क्रि इ द्वारा लाभार्थियों को भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया गया था। राज्य के प्रभावित पाँच जिलों में स्वा च आ नि लाभार्थियों के अभिलेखों की जाँच ने निम्नलिखित कमियाँ पायी गई:

बागेश्वर में स्वामित्व चलित आवास निर्मित

3.7.1 भूमि के स्पष्ट मालिकाना हक के बिना लाभार्थियों का चयन

उ स (अक्टूबर 2013) द्वारा निर्धारित नीति के प्रावधानों के अनुसार, घरों का निर्माण उन लाभार्थियों की भूमि पर होना था जिनके पास जमीन का मालिकाना हक उनके नाम हो। पाँच जिलों में चयनित लाभार्थियों से संबन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच मे ज्ञात हुआ कि 136 लाभार्थियों, जिनके नाम जमीन का मालिकाना हक नहीं था, उन्हें भी योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया था, जैसा कि निम्न **तालिका-3.7** में सारांशित है:

तालिका-3.7: बिना भूमि के स्पष्ट मालिकाना हक वाले लाभार्थियों का विवरण

जिले का नाम	जिले मे कुल लाभार्थी	लाभार्थियों की संख्या, जिनके नाम भूमि का मालिकाना हक दर्ज नहीं था	लाभार्थियों को वितरित धनराशि[77] (₹ करोड़ में)
पिथौरागढ़	655	19	0.95
बागेश्वर	96	09	0.45
उत्तरकाशी	296	18	0.90
रुद्रप्रयाग	860	52	2.60
चमोली	581	38	1.90
योग	***2,488***	***136***	***6.80***

स्रोत: परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प क्रि इ), आवास, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निकास गोष्ठी में, सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा कि लाभार्थियों का चयन जिला प्रशासन से प्राप्त प्रतिवेदन / संस्तुतियों के अनुसार किया गया था। हालांकि, अग्रेतर जाँच का कोई और आश्वासन प्रदान नहीं किया गया था।

[77] योजना के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक लाभार्थी चार किश्तों मे ₹ 0.05 करोड़ की राशि पाने का हकदार था।

3.7.2 राज्य सरकार को पुरानी संपत्ति का हस्तांतरण न किया जाना

स्वा च आ नि योजना के अंतर्गत आवासीय घरों के पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार उन मामलों में जहाँ लाभार्थियों को नए स्थानों पर भूमि प्रदान की जाती है, क्योंकि मूल स्थानों को असुरक्षित / आपदा प्रवृत्त घोषित किया गया हो, सभी क्षतिग्रस्त संपत्ति (पुराना स्थल और पुराने घर) राज्य सरकार की सम्पत्ति होगी और संबन्धित जिलाधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुरानी संपत्ति राज्य सरकार के पक्ष में स्थानांतरित की गयी है। लेखापरीक्षा जाँच मे ज्ञात हुआ कि आपदा प्रभावित पाँच जिलों में राज्य सरकार के पक्ष में क्षतिग्रस्त संपत्ति / घरों का कोई भी हस्तांतरण इस तथ्य के बावजूद भी नहीं हुआ था कि राज्य सरकार ने स्वा च आ नि के निर्माण के लिए 127 लाभार्थियों[78] को भूमि प्रदान की थी क्योंकि घरों के निर्माण के लिये उनकी भूमि सुरक्षित नहीं थी।

निकासी सम्मेलन में सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग ने जवाब दिया कि इस संबन्ध में यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

3.8 कृषि और मृदा संरक्षण

राज्य सरकार ने मृदा संरक्षण गतिविधियों और बाढ़ से बहे कृषि भूमि के पुनर्स्थापन के लिए वि आ स - पु के अन्तर्गत ₹ 14 करोड़ का अनुरोध किया था। भा स द्वारा सम्पूर्ण धनराशि को अनुमोदित और स्वीकृत किया गया था। विभाग ने निर्गत की गई धनराशि से ₹ 13.49 करोड़ के 241 मृदा संरक्षण कार्यों और ₹ 0.51 करोड़ के विभागीय संपत्तियों के चार पुनर्निर्माण कार्यों को निष्पादित किया, जिनमें से 94 कार्यों (39 *प्रतिशत*) की लेखा परीक्षा में जाँच की गई थी। विभाग द्वारा 31 मार्च 2018 तक सभी कार्य पूर्ण कर लिए गए थे। विभाग के मृदा संरक्षण कार्यों के निष्पादन के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पायी गयी:

विभाग ने सभी भूमि संरक्षण कार्यों को बिना निविदा प्रक्रिया का अनुपालन किए निष्पादित किया। यह उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के प्रावधानों के विरुद्ध था जो निर्धारित करता है कि रूपये तीन लाख से अधिक के सभी कार्यों को निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निष्पादित किया जाना चाहिए।

3.9 वन और जैव विविधता

सं त्व क्ष और आ आ रिपोर्ट के अनुसार, 149 आवासीय भवन, 50 गैर आवासीय भवन, 998 किलोमीटर (किमी) वन मार्ग, 2,545 किमी पैदल मार्ग, 76 पुल / कल्वर्ट, 63 नर्सरी, लगभग 247.50 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य और लगभग 1,787 मृदा और जल संरक्षण कार्य आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग को जून 2013 की आपदा के पश्चात 13 प्रभागों से ₹ 74.97 करोड़ की क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की पुनर्स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और जिन्हें राज्य सरकार को भेजा गया था। हालांकि, राज्य सरकार ने केवल ₹ 54 करोड़ धनराशि के लिए अनुरोध किया जिसे वि आ स - पु के अन्तर्गत भा स द्वारा अनुमोदित किया गया था।

[78] पिथौरागढ़: 51, बागेश्वर: 31, चमोली: 40, और रुद्रप्रयाग: 05।

राज्य सरकार ने आठ प्रभागों के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए वि आ स- पु के अन्तर्गत ₹ 34.97 करोड़ की स्वीकृति जारी की जो पुनर्स्थापन कार्यों के लिए विभाग द्वारा माँग की गयी आवश्यक धनराशि का 47 *प्रतिशत* था। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा विभाग के चार मण्डलों के लिए वास्तविक धनराशि की अवमुक्ति मात्र ₹ 27.72 करोड़ थी, जिसके सापेक्ष मार्च 2018 तक ₹ 12.35 करोड़ व्यय किया गया था।

3.9.1 राज्य आपदा मोचन निधि (राज्य आ मो नि) से निष्पादित कार्य

टोन्स वन प्रभाग, पुरोला ने क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट / अनुमानों के आधार पर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को ₹ 5.19 करोड़ के 138 पुनर्स्थापन कार्यों के लिए प्रस्ताव प्रेषित किए। इसके अलावा, प्रभाग ने जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को ₹ 4.19 करोड़ राशि के 76 कार्यों के वि प रि प्रस्तुत की। अवशेष कार्यों के वि प रि प्रेषित नहीं की क्योंकि वे क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त नहीं हुयी थी। प्रभाग द्वारा किए जाने वाले 76 पुनर्स्थापन कार्यों के सापेक्ष जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ने केवल 14 कार्यों के पुनर्स्थापन के लिए ₹ 0.45 करोड़ की धनराशि निर्गत की और अवशेष 62 पुनर्स्थापन कार्यों को धनराशि निर्गत न किए जाने के कारण निष्पादित नहीं किया जा सका।

3.10 एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम (ए ज प्र का)

भा स ने म और दी पु पैकेज के माध्यम से उत्तराखण्ड के पाँच अति आपदा प्रभावित जिलों में एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम (ए ज प्र का) के सात परियोजनाओं के लिए के पो यो - पु के अन्तर्गत ₹ 150 करोड़[79] का परिव्यय अनुमोदित किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भूमि संसाधन विभाग (भू सं वि), भा स ने राज्य सरकार को ₹ 49.77 करोड़ निर्गत किए (मई 2014) और राज्य सरकार ने राज्यान्श सहित ₹ 55.30 करोड़ राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण (रा स्त नो अ) को ए ज प्र का के लिए स्थानांतरित किया (जुलाई 2014)। यह पाया गया कि 2014-15 से 2017-18 के दौरान रा स्त नो अ द्वारा पाँच अति आपदा प्रभावित जिलों में सात परियोजनाओं के लिये प क्रि इ को मात्र ₹ 23.31 करोड़ रुपये निर्गत किए गए थे। इनमें से, मार्च 2018 तक आपदा प्रभावित परियोजनाओं की प क्रि इ द्वारा केवल ₹ 17.47 करोड़ (***परिशिष्ट-3.9***) का उपयोग किया गया था, जो परियोजनाओं की धीमी प्रगति को दर्शाते हैं।

इंगित किये जाने पर, रा स्त नो अ ने जवाब दिया कि योजना दिशानिर्देशों के समयसीमा के अनुसार प्रारम्भिक स्टेज (1-2 वर्ष) समय सीमा के अन्दर पूर्ण हो गए थे और प्रारम्भिक स्टेज समापन रिपोर्ट भू सं वि को जमा की गई थी (मई 2016) और भू सं वि से परियोजनाओं की अवशेष राशि निर्गत करने का अनुरोध किया था। हालांकि, जलागम परियोजनाओं के अवशेष धनराशि को भा स द्वारा निर्गत नहीं किया गया है (मार्च 2018)।

3.11 पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता

उ आ स प के अंतर्गत 12 पेयजल परियोजनायें थी। लेखापरीक्षा द्वारा इन 12 परियोजनाओं का चयन नगरों/कस्बों को की जाने वाली जलापूर्ति की मात्रा की पर्याप्तता एवं गुणवत्ता की जाँच हेतु

[79] भा स द्वारा ₹ 135 करोड़ और राज्य सरकार द्वारा ₹ 15 करोड़ वहन किया जाना था।

किया गया था। मात्रा एवं गुणवत्ता रिपोर्ट से देखा गया था कि जलापूर्ति की मात्रा एवं गुणवत्ता विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में स्वीकृत डिज़ाइनों के मानक के अनुरूप थी। साथ ही, जलापूर्ति की निगरानी खण्डीय स्तर के साथ-साथ उत्तराखण्ड जल संस्थान के देहरादून मुख्यालय पर स्थापित / प्रदर्शित आनलाईन पर्यवेक्षण नियन्त्रण व डाटा प्राप्ति प्रणाली के द्वारा की जा रही थी।

3.12 आपदा तैयारियों से संबन्धित अन्य गतिविधियां

3.12.1 विभागीय योजना और बजट की कमी

आपदा प्रबन्धन (आ प्र) अधिनियम, 2005 यह प्रावधानित करता है कि राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (रा आ प्र प्रा) राज्य के आ प्र योजना को तैयार करेगा, राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग के पालनार्थ विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा और आपदाओं की रोकथाम के उपायों के एकीकरण और उनमे कमी लाने के उद्देश्य से योजनाओं / परियोजनाओं को विकसित करने में आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। आ प्र अधिनियम की धारा-18 में यह भी कहा गया है कि विभागों द्वारा तैयार आपदा प्रबन्धन योजना (आ प्र यो) की स्वीकृति, शमन और तैयारी उपायों के लिए धनराशि के प्रावधान की सिफारिश; और राज्य सरकार के विभागों द्वारा शमन, क्षमता निर्माण और तैयारी के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य प्राधिकरण (रा आ प्र प्रा) की होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रा आ प्र प्रा द्वारा राज्य आ प्र योजना तैयार की गई थी लेकिन राज्य सरकार के कार्यकारी विभागों ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना (आ प्र यो) तैयार नहीं की। इसके अलावा, आ प्र अधिनियम-2005 के अधिनियमन के 12 वर्षों से अधिक समय के बाद भी आपदा के रोकथाम, शमन और तैयारी के लिए उनके विभागीय बजट में कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था।

सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग (आ प्र वि) ने जवाब दिया कि राज्य सरकार विभागीय आपदा प्रबंधन योजना (वि आ प्र यो) की तैयारी और सुरक्षित प्रौद्योगिकी आदि को अपनाने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी कर रही है। आ प्र वि ने वि आ प्र यो की तैयारी के लिए कार्यकारी विभागों को जनवरी 2008 में दिशानिर्देश जारी किए थे। उत्तर इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि आ प्र अधिनियम के अधिनियमन के बारह वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी, राज्य सरकार के कार्यकारी विभागों ने न तो आ प्र यो तैयार की और न ही आपदा प्रबंधन से संबन्धित गतिविधियों के लिए उनके वार्षिक बजट में प्रावधान था।

3.12.2 परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प क्रि इ) - आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता एवं क्षमता विकास से कोई सहयोग प्राप्त न होना

2013 की आपदा के दौरान, आपदा के प्रबंधन में राज्य की संस्थागत क्षमता को चुनौती प्रस्तुत हुई थी। इसलिए, उ स ने आपदा जोखिम में कमी और आपदा के प्रभाव से समुदायों को तेजी से उभारने में मदद पर काम करने की आवश्यकता को पहचाना। दिसम्बर 2017 तक उ रा आ प्र प्रा और अन्य सरकारी संस्थाओं की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना (उ आ रि प) में ₹ 228 करोड़ की लागत से आपदा जोखिम प्रबन्धन के लिये तकनीकी सहायता और क्षमता विकास (आ जो प्र त स और क्ष वि) का एक घटक शामिल किया गया था (फरवरी 2014)। इस

उद्देश्य से निम्नलिखित उपघटक के प्रबंधन के लिए एक समर्पित प क्रि इ-आ जो प्र त स और क्ष वि का गठन किया गया:

- उत्तराखण्ड के बहु-जोखिम मूल्यांकन की योजना स्थापित व कार्यान्वित करने के लिए संस्थानों को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु **उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र (उ अ उ के) की जोखिम आंकलन, मॉडलिंग और क्षमता में वृद्धि**।
- कई स्रोतों से सूचना को एकीकृत और विश्लेषण करने और उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीकों तक पहुंच प्रदान करने हेतु **निर्णय समर्थन प्रणाली (नि स प्र) की स्थापना**।
- आपदा से प्रभावित कुछ प्रमुख नदियों के नदी किनारे को मजबूत करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक आधारभूत संरचना कार्यों का विश्लेषण और पहचान करने हेतु **नदी आकृति वैज्ञानिक अध्ययन**।
- मौजूदा सफल तकनीकों, इस क्षेत्र में चल रहे अत्याधुनिक काम और अनुसंधान से **ढाल स्थिरीकरण अध्ययन**।
- आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण केंद्र (आ प्र न्यू कें) में सुविधाओं के तकनीकी संवर्द्धन, संस्थागत स्थापना के विकास से **उ रा आ प्र प्रा को सुदृढ़ बनाना**।
- आपातकालीन तैयारी की बढ़ोत्तरी और प्रतिक्रिया को मजबूत करने हेतु राज्य में **जल-मौसम विज्ञान नेटवर्क और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (प्रा चे प्र) को सुदृढ़ बनाना**।
- राज्य की आपदा प्रतिक्रिया बल की **आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को सुदृढ़ करना**।

प्रत्येक उप-घटक के उद्देश्य और उनके अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियां, कार्यों की प्रगति के साथ ***परिशिष्ट-3.10*** में दी गई हैं।

लेखापरीक्षा जाँच मे ज्ञात हुआ कि प क्रि इ-आ जो प्र त स और क्ष वि, देहरादून जिसे इन महत्वपूर्ण गतिविधियों के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी, निर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर उ रा आ प्र प्रा और अन्य सरकारी संस्थाओं को वांछित सहयोग प्रदान नहीं कर सकी।

- नि स प्र की स्थापना (₹ 18 करोड़) से संबन्धित कार्य और उ रा आ प्र प्रा के संस्थागत स्थापना विकास कार्य (₹ 30 करोड़) को मार्च 2018 तक प क्रि इ द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया था। नि स प्र के लिए किए जाने वाले कार्यों के 'संदर्भ की शर्तों' को अन्तिम रूप न देने और उ रा आ प्र प्रा के संस्थागत स्थापना के लिए कर्मचारियों के प्रस्ताव की स्वीकृति में देरी के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके।
- चार उप-घटकों के लिए आंशिक अनुबंध (₹ 162 करोड़ की आवंटित धनराशि में से ₹ 77 करोड़ लागत के) विभिन्न परामर्शदाता फर्मों को बहुत देरी[80] से सौंपे गए परिणामस्वरूप, वांछित परिणामों को प्राप्त करने में विलम्ब हुआ।

[80] जोखिम आकलन और मॉडलिंग (मई 2016), नदी आकृति वैज्ञानिक अध्ययन (दिसंबर 2015), ढलान स्थिरीकरण (जून 2016), और जल - मौसम विज्ञान नेटवर्क और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत बनाना (मार्च 2015 में स्टेज-1 और जून 2018 में स्टेज-2)।

- राज्य की आपदा प्रतिक्रिया बल की आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए स्टेज-III का कार्य (₹ 7.57 करोड़) किया जाना बाकी था (मार्च 2018)।

जवाब में, प क्रि इ-आ जो प्र त स और क्ष वि ने कहा (अक्टूबर 2017) कि घटकों के प्रमुख भाग को वाह्यस्रोत आधारित कार्य के रूप में निष्पादित किया जाना था जिनकी प्रकृति जटिल और अद्वितीय होने के कारण अंतिम रूप देने में समय लगा। आगे यह भी कहा गया कि निर्धारित धनराशि के कुछ भाग को उ प्रा स के दिशा-निर्देशानुसार प क्रि इ (मार्ग और सेतु) को स्थानांतरित कर दिया गया था, जो अतिरिक्त धन की प्राप्ति के लिए वि बैं से संपर्क में है, और एक बार धन उपलब्ध हो जाने पर शेष कार्यों का कार्यान्वयन कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उ प्रा स द्वारा धनराशि का हस्तांतरण, प क्रि इ को आवंटित धनराशि के धीमे उपयोग[81] के कारण किया गया था।

[81] अगस्त 2017 तक व्यय केवल ₹ 27.17 करोड़ था जो ₹ 228 करोड़ के स्वीकृत परिव्यय का केवल 12 *प्रतिशत* था।

अध्याय - 4

पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और गुणवत्ता नियन्त्रण

अध्याय-4: पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और गुणवत्ता नियन्त्रण

4.1 प्रस्तावना

परियोजना के क्रियान्वयन में अच्छी तरह से परिभाषित पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली यथोचित आश्वासन प्रदान करती है कि आवश्यक विनियमों का पालन किया जा रहा है, संसाधनों का उपयोग नियोजित तरीके से और कुप्रबंधन से संरक्षित है जिससे कि परियोजना के निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

विभिन्न विभागों में परियोजना क्रियान्वयन, संबन्धित विभागों में प्रचलित पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के प्रकाश में जाचें गए। लेखा परीक्षा जाँच के परिणाम निम्नवत है:

4.2 प्राधिकृत समितियों / संस्थानों की भूमिका और अनुश्रवण तंत्र

4.2.1 राज्य कार्यकारी समिति

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुपालन में, उत्तराखण्ड सरकार (उ स) ने उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (उ रा आ प्र प्रा) के कार्यों के निष्पादन में सहायता प्रदान करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य कार्यकारी समिति (रा का स) का गठन किया (जनवरी 2008)। रा का स ने म एवं दी पु वित्तपोषित पुनर्निर्माण परियोजना (2013-14 से 2016-2017) की पूरी अवधि में केवल दो बार (2016-17) बैठक की।

4.2.2 कोर कमेटी और उच्चस्तरीय प्राधिकार समिति

उत्तराखण्ड आपातकालीन सहायतित परियोजना (उ आ स प) और उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना (उ आ रि प) के दिशानिर्देशों[82] मे यह प्रावधानित है कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पश्च आपदा पुनर्निर्माण कार्यों के आवधिक अनुश्रवण और समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कोर कमेटी की स्थापना की जाएगी। दिशानिर्देशों में उल्लेखनीय है कि 2013 की आपदा के दौरान पुनर्निर्माण योग्य परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और एकल खिड़की निकासी के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय प्राधिकार समिति (उ प्रा स) के गठन का प्रावधान है।

उ स ने अगस्त 2013 में मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्रमशः कोर कमेटी[83] और उ प्रा स[84] की स्थापना की थी। तथापि, अपर मुख्य सचिव के मुख्य सचिव पद पर पदोन्नति के पश्चात, इन दो समितियों को उ प्रा स के सामूहिक नामकरण के साथ विलय कर दिया गया लेकिन इससे संबन्धित अधिसूचना उ स द्वारा जारी नहीं की गई थी। जिसके परिणामस्वरूप,

---

[82] उ आ स प के परियोजना प्रशासनिक नियमावली और उ आ रि प के परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज।

[83] **कोर कमेटी के सदस्य:** आयुक्त-अवस्थापना, ग्रामीण विकास एवं वन; प्रमुख सचिव-वित्त, योजना, लोक निर्माण विभाग; सचिव सह आयुक्त-राजस्व समिति; उपाध्यक्ष-राज्य लोक सेवा आयोग; सचिव-आपदा प्रबंधन विभाग।

[84] **उ प्रा स के सदस्य:** आयुक्त-अवस्थापना, प्रमुख सचिव-वित्त, और योजना; 02 अतिरिक्त सचिव (प्रमुख सचिव-वित्त द्वारा नामित); सचिव-आपदा प्रबंधन विभाग।

लेखा परीक्षा में समिति की संरचना और गठन को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। उ प्रा स ने 2013-14 से जुलाई 2017 की अवधि के दौरान 52 बार[85] बैठक की।

4.2.3 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधान के अनुसार, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जि आ प्र प्रा) का गठन (दिसम्बर 2007) उत्तराखण्ड के सभी जिलों में जिले की आपदा से संबन्धित सभी प्रबंधन / गतिविधियों को सम्पादित करने के लिए किया गया था। जि आ प्र प्रा के कार्यप्रणाली पर लेखा परीक्षा के परिणाम नीचे दिये गये हैं:

- जि आ प्र प्रा द्वारा जून 2013 की आपदा से संबन्धित पश्च पुनर्निर्माण गतिविधियों का अनुश्रवण और पर्यवेक्षण कार्य नहीं किये गये थे क्योंकि जि आ प्र प्रा में न तो किसी भी कर्मचारी को नियुक्त किया गया था और न ही कोई अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन किया गया था।
- जि आ प्र प्रा द्वारा नियमित रूप से पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की निगरानी और अनुश्रवण के लिये किसी भी विवरण और प्रतिवेदन का निर्धारण नहीं किया गया था। इस प्रकार वे कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण करने और तदनुसार सुधारात्मक कार्यवाही करने में विफल रहे।

सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग ने अवगत कराया कि जि आ प्र प्रा, आ प्र अधिनियम, 2005 के प्रावधान के अनुसार उपाय कर रहे थे और पश्च आपदा के पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। तथापि, वे स्वयं के द्वारा किये जा रहे समीक्षा कार्यों के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहे।

4.3 विभागीय पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र

राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में, खंडीय स्तर पर अधिशासी अभियंता (अ अ) और सहायक अभियंता पहले चरण के निरीक्षण और कार्यों के अनुश्रवण के लिये उत्तरदायी हैं। द्वितीय और तृतीय चरण के निरीक्षण, पर्यवेक्षण और कार्यों के अनुश्रवण का दायित्व क्रमशः अधीक्षण अभियंताओं और मुख्य अभियंताओं का है। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर लोक निर्माण विभाग और वन विभाग में कार्यों के पर्यवेक्षण / गुणवत्ता नियंत्रण के लिए गुणवत्ता नियंत्रण इकाईयाँ (गु नि इ) भी स्थापित हैं।

4.3.1 निरीक्षणों के केंद्रीयकृत अभिलेखों का अभाव

नमूना परीक्षित प क्रि इ / कार्यालयों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि प क्रि इ / कार्यालयों द्वारा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षणों के विस्तृत विवरण दर्शाने वाले केंद्रीयकृत अभिलेख या सावधिक विवरण तैयार नहीं किए गए थे। प क्रि इ / कार्यालय चयनित कार्यों के लिये विभागीय प्राधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षणों का विवरण प्रदान करने में असफल रहे। इसलिए, विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा वास्तव में किये गये निरीक्षणों की पर्याप्तता लेखा परीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

[85] बैठकें: 2014 में 21, 2015 में 15, 2016 में 10 और 2017 में छः।

4.3.2 अप्रभावी पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण

चयनित कार्यों की लेखापरीक्षा जाँच में पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र की कमियों के कई प्रकरण पाये गये, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

- मुख्य अभियंता (मु अ) द्वारा जिला उत्तरकाशी के उ आ रि प कार्य को (नौगांव-स्यूरी मोटर मार्ग) अपने स्थलीय निरीक्षण (दिसंबर 2015) के दौरान निम्नगुणवत्ता का पाया और मु अ ने ठेकेदार की लागत पर इसे सुधारने का निर्देश दिया। मु अ ने, आगे, लापरवाही के लिए जिम्मेदार विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ आरोप पत्र दर्ज करने के निर्देश दिये। तथापि, कमियों को सुधारे बिना प क्रि इ द्वारा कार्य के अनुबंध को अंतिम रूप दिया गया (अक्टूबर 2016) और निम्नगुणवत्ता कार्य के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की गयी थी।
- जिला रुद्रप्रयाग के उ आ रि प कार्य (कोटखाल-जगतोली मोटर मार्ग) के एक अन्य मामले में, अधीक्षण अभियंता (अधी अ) द्वारा किए गये निरीक्षण (मार्च 2016) में प्रदर्शित हुआ कि सड़क के आधार / सतह कार्यों का निष्पादन निम्नगुणवत्ता के थे जिसके सापेक्ष प क्रि इ ने एक अनुपालन आख्या इस तथ्य के साथ प्रस्तुत की (अप्रैल 2016) कि कार्य को ठीक किया जा चुका है। तथापि, तीन माह के बाद (मई 2016) मु अ (विश्व बैंक)-लो नि वि, देहरादून द्वारा किये गये एक पृथक निरीक्षण मे कार्य के निष्पादन में उसी प्रकार की कमी देखी गयी, जो कि इंगित करता है कि प क्रि इ-उ आ रि प, रुद्रप्रयाग द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट अविश्वसनीय थी।
- प क्रि इ-उ आ रि प, पिथौरागढ़ द्वारा 9.90 किमी लम्बी गनई-बनकोट मोटर मार्ग (मो मा) में निष्पादित बिटुमिनस कार्यों की गुणवत्ता, जिला प्रशासन-पिथौरागढ़ द्वारा (अक्टूबर 2015) बहुत खराब पायी गयी क्योंकि बिटुमिनस सतह मार्ग के विभिन्न स्थानों पर स्पष्टरूप से क्षतिग्रस्त थी। प क्रि इ ने अपने उत्तर में (जून 2017) में अवगत कराया कि क्षतिग्रस्त मार्ग को सुधार दिया गया है। तथापि, सड़क पर पुनः बिटुमिनस कार्य करने के सम्बन्ध में प क्रि इ द्वारा लेखा परीक्षा को कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।
- प क्रि इ-उ आ रि प, रुद्रप्रयाग के 2.85 किमी लम्बे कुसुमगाड-सुरसाल मो मा से संबन्धित अधी अ, श्रीनगर की निरीक्षण टिप्पणी (अक्टूबर 2016) में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा कई जगहों पर कठोर चट्टान काटने का कार्य नहीं किया गया था और मार्ग के किमी-02 (चेनेज-1.850) में आवश्यक तीन सतहों (200 मिमी मोटाई) के सापेक्ष केवल एक सतह (50 मिमी) बेस कोर्स का कार्य किया गया था।
- उप-सभापति, उत्तराखण्ड विधान सभा से शिकायत मिलने के उपरान्त अधी अ द्वारा उ आ रि प, (चमोली) के सोनला-कंडारा मो मा में किये गये निरीक्षण (मार्च 2016) में पैरापेट्स, वाटर बाउंड मैकडैम (डब्लूबीएम) और प्रीमिक्स कार्पेट के कार्य निम्न स्तर के पाये गये। अधी अ ने निष्पादित कार्य को तोड़ने और वसूली के बाद ठेकेदार को काली सूची मे डालने की कार्यवाही के लिए प क्रि इ को निर्देशित किया। तथापि, प क्रि इ ने ठेकेदार को काली सूची मे नहीं डाला और उसी ठेकेदार से कार्य को फिर से निष्पादित करवाया।

- महाप्रबंधक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (उ प्र रा नि नि) ने स्थल निरीक्षण (जून 2017) के दौरान पाया कि केदारनाथ में नव निर्मित 120 कॉटेज में विभिन्न स्थानों पर बाहरी दीवार के आवरण में टाइल का कार्य क्षतिग्रस्त था और कार्य को पुन:निष्पादन व बदलने की आवश्यकता थी। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा कार्य के स्थलीय निरीक्षण (अक्टूबर 2017) के दौरान पाया कि उ प्र रा नि नि ने पुनर्स्थापन / पुनर्निष्पादन का कोई भी कार्य नहीं किया था।
- छ: सड़क कार्यों[86] में स्थल प्रयोगशालाओं को ठेकेदारों द्वारा कार्य आरम्भ होने की तारीख से दो से 11 माह के विलम्ब से बाद स्थापित किया गया था, जबकि अनुबन्ध के नियम और शर्तों के अनुसार प्रयोगशालाओं को 15 दिनों के अन्दर स्थापित करना था। स्थल प्रयोगशालाओं की स्थापना में देरी के लिए ठेकेदारों पर प क्रि इ द्वारा कोई अर्थदण्ड आरोपित नहीं था।

4.3.3 त्रिपक्षीय आंकलन का न किया जाना

राज्य सरकार ने निर्देशित किया था (सितम्बर 2015) कि सिंचाई विभाग के अधीन ₹ 5 पाँच करोड़ से अधिक की लागत वाले सभी कार्यों की एक स्वतंत्र त्रिपक्षीय समवर्ती गुणवत्ता जाँच और लेखापरीक्षा एक सूचीबद्ध संस्था (श्रीराम इंस्टीट्यूट, दिल्ली) द्वारा की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने 31 बाढ़ सुरक्षा कार्यों (बा सु का) (₹ पाँच करोड़ से अधिक की लागत वाले) के परीक्षण में पाया कि इनमे से किसी भी कार्य में उपर्युक्त सूचीबद्ध संस्था से आंकलन / तकनीकी मूल्यांकन नहीं करवाया गया था। तथापि, बागेश्वर जिले के तीन कार्यों का त्रिपक्षीय आंकलन नव स्थापित 'सीमान्त इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-पिथौरागढ़' द्वारा और रुद्रप्रयाग जिले के एक बा सु का का त्रिपक्षीय आंकलन आई आई टी-रुड़की से कराया गया था।

इसी प्रकार, सर्व शिक्षा अभियान के तहत, राज्य परियोजना कार्यालय (रा प का), देहरादून द्वारा पुनर्निर्माण कार्यों का त्रिपक्षीय मूल्यांकन इस तथ्य के बावजूद नहीं करवाया गया था कि स्वीकृत कार्यों की 1.5 *प्रतिशत* लागत (₹ 28.06 लाख) रा प का द्वारा त्रिपक्षीय मूल्यांकन / अनुश्रवण के लिये रोकी गयी थी।

4.3.4 सड़क कार्यों की निम्न गुणवत्ता

लो नि वि की राज्य स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण इकाई (गु नि इ), देहरादून ने प क्रि इ / क्षेत्रीय खण्डों द्वारा निष्पादित क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में तकनीकी निरीक्षण किये। यह पाया गया था कि पाँच नमूना परीक्षित जिलों के 162 पुनर्निर्माण कार्यों में से आठ सड़कों (पाँच *प्रतिशत*) के पुनर्निर्माण कार्य 'असंतोषजनक' चिन्हित थे जबकि 96 सड़कों (59 *प्रतिशत*) के पुनर्निर्माण कार्यों को 'सुधार की आवश्यकता' के रूप में चिन्हित किये गए थे, जैसा कि नीचे **तालिका-4.1** में वर्णित है:

---

[86] चमोली जिले के सोलना-कंडारा मो मा और सीमा-बैरों मो मा, बागेश्वर जिले का कांडा-सनईउडियार-रावतसेरा मो मा, उत्तरकाशी जिले का चिल्यानिसौड़-जगोथ मो मा, पिथौरागढ़ जिले के डिडिहाट-दूनाकोट मो मा और डिडिहाट-आदिचौरा मो मा, कुइटीसैण-राठी-शिशु मन्दिर शहीद पुष्कर मो मा।

तालिका 4.1: गु नि ई-लो नि वि द्वारा किये गये तकनीकी निरीक्षणों का विवरण

जिले के नाम	गु नि इ द्वारा निरीक्षित मो मा की संख्या				निष्पादित कार्यों पर गु नि इ द्वारा दी गयी रेटिंग		
	वि स यो-पु	उ आ स प	उ आ रि प	योग	संतोषजनक	सुधार की आवश्यकता	असंतोषजनक
बागेश्वर	1	4	21	26	5	21	0
चमोली	2	13	32	47	17	29	1
पिथौरागढ़	1	7	17	25	14	9	2
रुद्रप्रयाग	0	3	31	34	15	17	2
उत्तरकाशी	3	7	20	30	7	20	3
योग	***7***	***34***	***121***	***162***	***58***	***96***	***8***
सम्पूर्ण राज्य	**07**	**92**	**197**	**296**	**115**	**169**[87]	**12**[88]

***स्रोत:** लो नि वि की राज्यस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण इकाई, देहरादून।*

सड़क कार्यों की निम्न गुणवत्ता (असंतोषजनक / सुधार की आवश्यकता) का उच्च प्रतिशत (61 *प्रतिशत*) यह दर्शाता है कि लो नि वि में विभिन्न स्तरों पर गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र कमजोर है।

87 वि आ स-पु: 03 कार्य, उ आ स प: 54 कार्य और उ आ रि प: 112 कार्य।

88 उ आ स प: 03 कार्य और उ आ रि प: 09 कार्य।

अध्याय - 5

निष्कर्ष और अनुशंसायें

अध्याय-5: निष्कर्ष और अनुशंसायें

5.1 निष्कर्ष

राज्य के अधिकाँश भाग की भौगोलिक स्थिति पहाड़ी है और राज्य के ऊपरी हिस्सों में भारी नुकसान हुआ था जहाँ बरसात के मौसम, जो अक्सर होती है, में पहुँच कठिन होती है। परिणामस्वरूप, राज्य में कार्य निष्पादन हेतु मौसम किसी हद तक सीमित है।

राज्य सरकार द्वारा म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत नौं क्षेत्रों के 2,359 निर्माण कार्यों को स्वीकृत किया गया था जिसमें से 1,767 कार्य (75 *प्रतिशत*), कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि (वि आ स -पु / के पो यो-पु / ए वि बैं वित्तपोषित कार्यों हेतु 31-03-2017 और विश्व बैंक वित्तपोषित कार्यों हेतु 31-12-2017) तक पूर्ण किए गए थे, पूर्ण कार्यों की संख्या 31 मार्च 2018 तक 2,066 हो गयी थी, जोकि म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत स्वीकृत कुल कार्यों का 87 *प्रतिशत* था।

भारत सरकार (भा स) द्वारा प्रदत्त 'मध्य और दीर्घकालिक पुनर्निर्माण' (म और दी पु) पैकेज क्षतिग्रस्त अवस्थापना के पुनर्निर्माण और आपदा (जून 2013) से प्रभावित जनसंख्या / क्षेत्रों की आजीविका की पुनर्स्थापना के लिये था जिसमें राज्य के आपदा की तैयारियों में एक समयबद्ध तरीके से सुधार भी सम्मिलित था। तथापि, कई विभाग जैसे- सिंचाई, वन और लोक निर्माण विभाग (लो नि वि) अपनी क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का सही आंकलन करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप म और दी पु पैकेज में वित्तपोषित किए जाने वाले कार्यों की सूची में कई कार्यों को शामिल नहीं किया गया था। इसके विपरीत कई अन्य कार्य जो उक्त आपदा से क्षतिग्रस्त नहीं थे, को भी पैकेज में सम्मिलित किया गया था। राज्य मशीनरी के नियोजन और निधि प्रबंधन में कमी के कारण म और दी पु कोष के खपत के कारण योजनाबद्ध / स्वीकृत कार्यों के निष्पादन में भारी कमी रही। यहाँ सड़क के एक भाग की मरम्मत हेतु एक से अधिक बार विभिन्न वित्तपोषण क्षेत्रों के आच्छादन, चिन्हित कोष का अनियोजित कार्यों पर व्ययावर्तन, परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों (प क्रि इ) में धन की निष्क्रियता, निर्धारित मापदण्डों / विनिर्देशों के विपरीत किये गये व्यय और कई निर्माण कार्यों मे अत्यधिक विचलन के प्रकरण द्रष्टांत थे।

भारत सरकार द्वारा धनराशियाँ जारी किये जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति न दिये जाने के कारण कई परियोजनाओं को निष्पादित नहीं किया जा सका। भारत सरकार से स्वीकृत धनराशि ₹ 319.75 करोड़ (वि आ स - पु) की प्राप्ति के बावजूद राज्य सरकार ने गौरीकुंड व केदारनाथ के बीच रोपवे का निर्माण, आश्रय सह गोदामों, श्री केदारनाथ टाउनशिप के दूसरे चरण के कार्य, अन्य धामों के विकास, उत्तराखण्ड के युवाओं को वैकल्पिक माध्यमों से जीविकोपार्जन हेतु प्रशिक्षित करने के लिए 10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के निर्माण के लिए निधि स्वीकृत नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार की कोई भी परियोजना क्रियान्वयन अभिकरण निर्धारित अवधि के भीतर अपने सौपें गये कार्यों को पूरा नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त, मार्ग / सेतु के 10 निर्माण कार्य, पर्यटन अवस्थापना ढाँचे की 02 परियोजनाएं, 03 लघु जल विद्युत परियोजनाएं, सार्वजनिक भवनों के 17 निर्माण कार्य, वन क्षेत्र के 05 निर्माण कार्य आपदा की तिथि से पाँच वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अनारम्भ (मार्च 2018) थे।

राज्य सार्थक परियोजनाओं (₹ 246 करोड़) को प्रस्तुत न कर पाने के कारण म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत अनुमोदित सम्पूर्ण परिव्यय का उपयोग करने में असफल रहा। वि आ स - पु और वाह्य सहायतित वित्तपोषित कार्यों के सम्बन्ध में निष्पादन में धीमी प्रगति का कारण क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा निधि का कम उपयोग एवं राज्य सरकार द्वारा निधि स्वीकृत करने में विलम्ब / धन निर्गत न करना था। म और दी पु के तहत कुल अनुमोदित परिव्यय ₹ 6,259.84 करोड़ के सापेक्ष परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केवल ₹ 4,617.27 करोड़ (74 *प्रतिशत*) उपलब्ध कराया गया था, जिसके सापेक्ष क्रियान्वयन इकाईयां केवल ₹ 3,708.27 करोड़ (अनुमोदित परिव्यय का 59 *प्रतिशत*) का ही उपयोग कर सकीं।

आपदा से संबन्धित तैयारियों के मामले में भी राज्य की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण द्वारा अति प्रभावित जनपदों में 5 हेलीड्रोमस, 19 हेलीपोर्ट्स, 34 हैलीपैड्स और 37 बहुउद्देशीय हॉल की लक्षित संख्या के सापेक्ष केवल 27 हैलीपैड्स का निर्माण किया गया एवं किसी भी बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण नहीं किया गया। विश्व बैंक सहायतित परियोजना (आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता विकास) के अन्तर्गत अधिकाँश गतिविधियाँ जो आपदाओं में जोखिम में कमी और उत्तराखण्ड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य सरकारी संस्थाओं की क्षमताओं को बढ़ाने के लिये थीं, को आरम्भ किया जाना शेष था।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पुनर्निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कोई पृथक और केंद्रीकृत तंत्र स्थापित नहीं किया गया था। प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान जारी निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों / नोडल संस्थाओं की वर्तमान पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियन्त्रण प्रणाली कमजोर पायी गयी और म और दी पु के अन्तर्गत निर्मित 61 *प्रतिशत* सड़क कार्यों को गुणवत्ता नियंत्रण इकाई-लो नि वि द्वारा कमजोर श्रेणी प्रदान की गयी थी।

5.2 अनुशंसायें

उत्तराखण्ड एक आपदा प्रवृत्त राज्य है, यहाँ भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, अचानक आने वाली बाढ़ और जंगल की आग के रूप में प्राकृतिक आपदाओं की पुनरावृत्ति की प्रबल संभावना है। इसलिए, राज्य मशीनरी को आपदा की तैयारियों और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक अच्छे सामंजस्य तंत्र स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है। पुनर्निर्माण कार्यक्रम के क्रियान्वयन से संबन्धित उन्नत नीतियों, संस्थानों और प्रथाओं के लिए प्रभावी सबक सीखने और अच्छे तरीके खोजने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा द्वारा उजागर कमियों और खामियों के आलोक में, राज्य सरकार विचार करे:

- ***राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (राज्य आ प्र प्रा) को सुदृढ़ करे ताकि यह आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और राज्य आपदा प्रबंधन योजना में प्रावधानित जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सुसज्जित हो। राज्य आ प्र प्रा को आपदाओं से बचाव व रोकथाम के उपायों के लिए कार्यकारी विभागों द्वारा अपनाये जाने एवं आरम्भ किये जाने हेतु मजबूत समय सारिणी बनानी चाहिये। राज्य आ प्र प्रा को राज्य कार्यकारी समिति से इन समय सारणियों का अनुश्रवण अनुपालन सुनिश्चित करने पर विचार करे अथवा इस प्रयोजन हेतु एक पृथक प्राधिकार समिति के सृजन पर विचार करे।***

- *जोखिम मूल्यांकन के कार्यान्वयन व मुख्यधारा जोखिम में कमी के दृष्टिकोण से डिजाईन और पुनर्निर्माण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य आ प्र प्रा, आ न्यू एवं प्र के और अन्य सरकारी संस्थाओं की क्षमताओं में वृद्धि करना;*
- *किसी भी आपदा के कारण हुई क्षतियों की पहचान के उचित आंकलन एवं समय से व्यावहारिक प्रस्ताव प्रस्तुत कर राज्य को अनुमोदित परिव्यय के अनुसार निधियों के उपयोग व लाभ उठाने हेतु तंत्र को सुदृढ़ करना;*
- *परियोजना अनुमोदन व वित्तपोषण तंत्र को सुप्रवाही बनाना। उ स सभी परियोजना प्रस्तावों और अनुमोदनों के एक कम्प्यूटर एप्लीकेशन के माध्यम से निर्गत करने की सम्भावनाओं पर विचार करे ताकि एक ही कार्य हेतु कई स्रोतो से वित्तपोषण व एक ही कार्य को विभिन्न अभिकरणों एवं ठेकेदारों द्वारा निष्पादित करने से बचा जा सके जो कि निधि के दुरुपयोग और व्ययावर्तन के लिए गुंजाइश छोड़ते हैं;*
- *निधि के व्ययावर्तन और अवरोधन से बचने के लिये वित्तीय प्रबन्धन को सुदृढ़ करना एवं विभिन्न परियोजनाओं / कार्यों के लिए समय पर धनराशि को अवमुक्त करना सुनिश्चित करना;*
- *निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्यों का आवंटन सुनिश्चित हो ताकि धन के सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने का अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त किया जा सके;*
- *म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत निष्पादित सभी गैर-अनुमन्य कार्यों के नियमितीकरण हेतु सक्षम प्राधिकारियों के पूर्व-उपरान्त अनुमोदन प्राप्त किया जाना;*
- *ठेकेदारों को अनुचित लाभ समाप्त करने और खजाने पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए ठेका प्रबंधन का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करना; तथा*
- *पुनर्निर्माण गतिविधियों में गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन और अनुश्रवण तंत्र को सुदृढ़ करना।*

देहरादून — **(एस. आलोक)**

दिनांक: 30 नवम्बर 2018 — **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली — **(राजीव महर्षि)**

दिनांक: 07 दिसम्बर 2018 — **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट - 1.1
(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या: 1.3.2; पृष्ठ 6)

चयनित इकाईयों की सूची

(अ) राज्य स्तरीय नोडल इकाईयाँ (अनिवार्य इकाईयाँ)

क्रम सं	विभाग का नाम	निधि के श्रोत	नोडल कार्यालय
1.	आपदा प्रबन्धन विभाग	रा आ मो नि	1. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग
2.	लोक निर्माण विभाग	वि आ स - पु और वा स प	2. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून 3. प प्र ई, विश्व बैंक (उ आ रि प), देहरादून 4. प क्रि इ, विश्व बैंक (मा एवं से), देहरादून 5. प क्रि इ, रिहायशी अवस्थापना पुनर्निर्माण और लोक भवन 6. प क्रि इ, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता विकास (आ जो प्र त स और क्ष वि) 7. प प्र ई, ए वि बैं (उ आ स प), देहरादून 8. प क्रि इ, ए वि बैं (मा एवं से)
3.	पर्यटन	के पो यो-पु वि आ स-पु और वा स प	9. गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून 10. कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल 11. प क्रि इ, नागरिक उड्डयन, देहरादून
4.	सिचाईं और बाढ़ नियंत्रण	के पो यो-पु और वि आ स-पु	12. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिचाईं विभाग
5.	ऊर्जा	वि आ स-पु	13. उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, देहरादून 14. मुख्य परियोजना अधिकारी, उरेडा
6.	कृषि	वि आ स-पु	15. कृषि निदेशक, देहरादून
7.	तकनीकी शिक्षा	वि आ स-पु	16. ब्रिज, रोपवे, टनल, एण्ड अदर इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड (ब्रिडकुल)
8.	महिला सशक्तिकरण और बाल विकास	के पो यो-पु एवं वि आ स-पु	17. निदेशक, ए बा वि यो, देहरादून
9.	विद्यालयी शिक्षा	के पो यो-पु	18. निदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून
10.	पेयजल	वा स प	19. प क्रि इ, शहरी अवस्थापना और जलापूर्ति (उत्तराखण्ड जल संस्थान), देहरादून
11.	वन	वि आ स-पु	20. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, देहरादून
12.	जलागम प्रबन्धन	के पो यो-पु	21. निदेशालय, जलागम प्रबन्ध, देहरादून

(ब) जिला स्तरीय इकाईयाँ

क्रम सं	इकाईयों के नाम	क्रम सं	इकाईयों के नाम
बागेश्वर			
1.	अ अ प्रा ख (लो नि वि), बागेश्वर	7.	प प्र उरेडा, बागेश्वर
2.	अ अ नि ख (लो नि वि), कपकोट	8.	राआ प्र प्रा, बागेश्वर
3.	अ अ सि ख बागेश्वर	9.	जि का अ -ए बा वि यो, बागेश्वर
4.	अ अ प क्रि इ-वि बैं (मा एवं से), बागेश्वर	10.	जि का अ-स शि अ, बागेश्वर
5.	अ अ प क्रि इ-वि बैं (मा एवं से), बागेश्वर	11.	मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर
6	अ अ उत्तराखण्ड जल संस्थान, बागेश्वर	12.	विदद्युत वितरण खण्ड, बागेश्वर
चमोली			
1.	अ अ प्रा ख (लो नि वि), गोपेश्वर	10.	प्र व अ बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर
2.	अ अ अ ख (लो नि वि), थराली	11.	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
3.	अ अ सि ख, चमोली	12.	जि का अ -ए बा वि यो, चमोली
4.	अ अ सि ख, थराली	13.	जि का अ -स शि अ, चमोली
5.	अ अ प क्रि इ-वि बैं (मा एवं से), गोपेश्वर	14.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कर्णप्रयाग
6.	अ अ प क्रि इ-वि बैं (मा एवं से), चमोली	15.	मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली
7.	अ अ यू जे वी एन एल, चमोली	16.	विदद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर
8.	प प्र उरेडा, चमोली	17.	विदद्युत वितरण खण्ड, नारायण बगड़
9.	रा आ प्र प्रा, चमोली		
पिथौरागढ़			
1.	अ अ नि ख (लो नि वि), अस्कोट	9.	रा आ प्र प्रा, पिथौरागढ़
2.	अ अ सि ख, धारचूला	10.	जि का अ -ए बा वि यो, पिथौरागढ़
3.	अ अ प क्रि इ-वि बैं (मा एवं से), मुन्स्यारी	11.	जि का अ -स शि अ, पिथौरागढ़
4.	अ अ प क्रि इ-वि बैं (मा एवं से), अस्कोट	12.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पिथौरागढ़

5.	अ अ प क्रि इ-वि बैं (मा एवं से), पिथौरागढ़	13.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, डीडीहाट
6.	प प्र उरेडा, पिथौरागढ़	14.	अ अ विदद्युत वितरण खण्ड, धारचूला
7.	अ अ प्रा ख (लो नि वि), डीडीहाट	15.	अ अ विदद्युत द्वितीयक निर्माण कार्य खण्ड, हल्द्वानी
8.	अ अ प्रा ख (लो नि वि), पिथौरागढ़		
रुद्रप्रयाग			
1.	नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (ने प सं), सोनप्रयाग	8.	अ अ प क्रि इ-वि बैं (मा एवं से), रुद्रप्रयाग
2.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यू पी आर एन एन)	9.	रा आ प्र प्रा, रुद्रप्रयाग
3.	अ अ प्रा ख (लो नि वि), रुद्रप्रयाग	10.	जि का अ -ए बा वि यो, रुद्रप्रयाग
4.	अ अ नि ख (लो नि वि), ऊखीमठ	11.	जि का अ -स शि अ, रुद्रप्रयाग
5.	अ अ सि ख, रुद्रप्रयाग	12.	मुख्य कृषि अधिकारी, रुद्रप्रयाग
6.	अ अ सि ख केदारनाथ, अगस्त्यमुनि	13.	विदद्युत वितरण खण्ड, रुद्रप्रयाग
7.	अ अ प क्रि इ -वि बैं (मा एवं से), गुप्तकाशी	14.	अ अ सिविल-इकाई (लो नि वि) रा आ प्र प्रा, गुप्तकाशी
उत्तरकाशी			
1.	जिला अधिकारी (रा आ प्र प्रा), उत्तरकाशी	17.	अ अ प्रा ख (लो नि वि), भटवाड़ी
2.	अ अ अवस्थापना खण्ड (सि ख), उत्तरकाशी	18.	अ अ नि ख (लो नि वि), चिन्यालीसौड़
3.	अ अ प्रा ख (लो नि वि), उत्तरकाशी	19.	अ अ यू जे वी एन एल, उत्तरकाशी
4.	अ अ सिचाई खण्ड, उत्तरकाशी	20.	अ अ प क्रि इ-वि बैं (मा एवं से), उत्तरकाशी
5.	अ अ प क्रि इ-वि बैं मा एवं से), उत्तरकाशी	21.	प प्र, एन बी सी सी, उत्तरकाशी
6.	प्र व अ, उत्तरकाशी	22.	प्र व अ, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी
7.	अ अ रा रा मा (लो नि वि), बड़कोट	23.	अ अ नि ख (लो नि वि), पुरोला, उत्तरकाशी
8.	प्र व अ अपर यमुना, बड़कोट	24.	अ अ सिचाई खण्ड, पुरोला
9.	अ अ नि ख (लो नि वि), बड़कोट	25.	उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी
10.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी	26.	परियोजना प्रबन्धक, उरेडा, उत्तरकाशी
11.	जिला पंचायत, उत्तरकाशी	27.	यू जे वी एन एल, मनेरी, उत्तरकाशी
12.	जि का अ -ए बा वि यो, उत्तरकाशी	28.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, मोरी, उत्तरकाशी
13.	जि का अ -स शि अ, उत्तरकाशी	29.	नगर पंचायत बड़कोट, उत्तरकाशी
14.	टोन्स वन खण्ड, पुरोला	30.	नगर पंचायत पुरोला, उत्तरकाशी
15.	गोविन्द वन्य जीव विहार, पुरोला	31.	अ अ विदद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी
16.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बड़कोट	32.	अ अ विद्युत द्वितीयक निर्माण कार्य खण्ड, देहरादून

परिशिष्ट - 2.1

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या: 2.1.5; पृष्ठ 13)

म और दी पु निधि की क्षेत्रवार स्थिति (31 मार्च 2018 के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

परिक्षेत्र का नाम	उत्तराखण्ड शासन द्वारा की गई माँग	म और दी पु पैकेज मे स्वीकृत धनराशि						अवमुक्त धनराशि						व्यय					
		वि आ स -पु	वा स प -ए वि बैं	वा स प - वि बैं	के पो यो -पु	रा आ मो नि	*योग*	वि आ स -पु	वा स प - ए वि बैं	वा स प - वि बैं	के पो यो - पु	रा आ मो नि	*योग*	वि आ स -पु	वा स प -ए वि बैं	वा स प - वि बैं	के पो यो - पु	*योग*	रा आ मो नि
मार्ग एवं सेतु	3,456.80	300	708.00	930.00	0	170.49	*2,108.49*	320.74	916.50	900.66	0	170.49	*2,308.39*	259.46	908.21	857.00	0	*2,024.67*	5 चयनित जिलों मे व्यय: ₹128.07 करोड़
पर्यटन एवं आपदा तैयारियां	809.40	455.09	336.54	0	102.40	0	*894.03*	347.03	134.95	0	14.51	0	*496.49*	179.79	127.46	0	14.51	*321.76*	
सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,215.17	100	0	0	940.21	21.91	*1,062.12*	179.19	0	0	622.66	21.91	*823.76*	94.15	0	0	617.87	*712.02*	
आवासीय एवं लोक भवन	317.23	0	0	186.00	53.16	5.26	*244.42*	0	0	207.21	38.15	5.26	*250.62*	0	0	174.78	36.26	*211.04*	
तकनीकी शिक्षा	50.00	50	0	0	0	0	*50.00*	50.00	0	0	0	0	*50*	42.24	0	0	0	*42.24*	
विदद्युत एवं ऊर्जा	328.28	100	0	0	0	4.74	*104.74*	135.92	0	0	0	4.74	*140.66*	80	0	0	0	*80.00*	
पेयजल आपूर्ति	218.78	0	155.46	0	20.00	31.03	*206.49*	0	89.98	0	14.08	31.03	*135.09*	0	89.71	0	9.28	*98.99*	
कृषि एवं संबद्व	81.66	14	0	0	0	0	*14.00*	14.00	0	0	0	0	*14*	13.49	0	0	0	*13.49*	
मत्स्य	2.00	2	0	0	0	0	*2.00*	2.00	0	0	0	0	*2*	2	0	0	0	*2.00*	
वन	169.00	54	0	0	7.62	0	*61.62*	34.96	0	0	0	0	*34.96*	7.48	0	0	0	*7.48*	
जलागम	0	0	0	0	150.00	0	*150.00*	0		0	55.3	0	*55.3*	0	0	0	17.47	*17.47*	
आ जो प्र त स एवं क्ष वि एवं प्रशासनिक व्यय	0	0	0	384.00	0	0	*384.00*	0	0	211.16	0	0	*211.16*	0	0	144.66	0	*144.66*	
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास	0	9.91	0	0	15.91	0	*25.82*	9.91	0	0	3.28	0	*13.14*	9.74	0	0	3.03	*12.77*	
ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज	620.21	0	0	0	287.50	0	*287.50*	0	0	0	21.70	0	*17.73*	0	0	0	7.54	*7.54*	
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सी क्षे व. का)	0	0	0	0	10.86	0	*10.86*	0	0	0	10.86	0	*10.86*	0	0	0	10.86	*10.86*	
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	123.80	0	0	0	123.40	0	*123.40*	0	0	0	2.54	0	*2.54*	0	0	0	1.28	*1.28*	
पशुपालन एवं दुग्ध विकास	25.53	15	0	0	6.85		*21.85*	5.55	0	0	0		*5.55*	0	0	0	0	*0*	
शहरी विकास	542.19	0	0	0	416.19	0	*416.19*	0	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*	
खेल/युवा कल्याण	1.31	0	0	0	1.31	0	*1.31*	0	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	*0*	
अन्य	1,334.85	0	0	0	0	41.00	*41.00*	0	0	0	0	41	*41*	0	0	0	0	*0*	
योग	*9,296.21*	*1,100*	*1,200.00*	*1,500.00*	*2,135.41*	*274.43*	*6,209.84*	*1,099.30*	*1,141.43*	*1,319.03*	*783.08*	*274.43*	*4,617.27*	*688.35*	*1,125.38*	*1,176.44*	*718.1*	*3,708.27*	*0*
केन्द्रीय योजना	*0*	*50.00*						*0*						*0*					
सम्पूर्ण योग		*6,259.84*						*4,617.27*						*3,708.27*					

परिशिष्ट - 2.2

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या: 2.2.1; पृष्ठ 13)

के पो यो की सूची जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा कोई निधियाँ अवमुक्त नहीं की गयीं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	के पो यो का नाम (केंद्र:राज्य के मध्य वितरण पद्धति)	अनुमोदित केंद्रान्श	संघीय मंत्रालय / विभाग का नाम
1.	त्वरित सिचाई लाभ कार्यक्रम-ल सिं (90:10)	54.64	जल संसाधन मंत्रालय
2.	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम) (80:20)	260.95	शहरी विकास मंत्रालय
3.	राजीव आवास योजना (रा आ यो) (90:10)	65.25	
4.	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (90:10)	15.75	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) (90:10)	225.00	ग्राम्य विकास विभाग
6.	राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम (100:0)	4.73	पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन विभाग
7.	डेयरी विकास के लिये राष्ट्रीय योजना (100:0)	2.12	
8.	पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (75:25)	0.98	खेल विभाग
9.	किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (100:0)	0.42	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
10.	इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना (100:0)	12.00	
11.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (70:30)	5.33	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
	योग	***647.17***	

स्रोत: *उत्तराखण्ड शासन के के पो यो क्रियान्वयन से संबन्धित विभागों द्वारा प्रदान की गयी सूचना।*

परिशिष्ट - 2.3

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या: 2.2.1; पृष्ठ 13)

के पो यो के तहत निधियों के कम आवंटन का विवरण

क्र सं	के पो यो का नाम (केंद्र:राज्य के मध्य वितरण पद्धति)	*(₹ करोड़ में)* अनुमोदित केंद्रान्श	अवमुक्त धनराशि	कम अवमुक्त	संघीय मंत्रालय/ विभाग का नाम
1.	त्वरित सिचाई लाभ कार्यक्रम/बाढ़ नियंत्रण (70:30)	615.65	79.52	536.13	जल संसाधन मंत्रालय
2.	इन्दिरा आवास योजना (75:25)	28.13	17.02	11.11	ग्राम्य विकास विभाग
3.	एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम (90:10)	135.00	49.77	85.23	भूमि संसाधन विभाग
4.	स्थलों और सर्किट के लिए उत्पाद अवस्थापना विकास (100:0)	102.40	14.51	87.89	पर्यटन मंत्रालय
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (90:10)	111.06	2.54	108.52	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
6.	सर्व शिक्षा अभियान (65:35)	24.30	23.36	0.94	विद्यालयी शिक्षा विभाग
7.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा)	11.32	1.14	10.18	
8.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्लू पी) आपदा घटक (100:0)	20.00	14.08	5.92	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
9.	एकीकृत बाल विकास योजना-ए बा वि यो (75:25)	2.62	2.57	0.05	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
	योग	***1,050.48***	***204.51***	***845.97***	

स्रोत: *उत्तराखण्ड शासन के के पो यो क्रियान्वयन से संबन्धित विभागों द्वारा प्रदान की गयी सूचना।*

परिशिष्ट - 2.4
(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या: 2.2.4; पृष्ठ 18)

स्वीकृत निधियों के व्यायवर्तन का विवरण

क्र सं	कार्य का नाम	(₹ लाख में) स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्ययावर्तित धनराशि	लेखापरीक्षा टिप्पणी	इकाई का नाम
आंशिक व्यावर्तन के प्रकरण						
1.	बैजनाथ-बागेश्वर-बेरीनाग मो मा के 23 किमी लम्बाई पर पैच मरम्मत कार्य	42	42	36.91	खंड द्वारा ₹36.91 लाख का व्ययावर्तन विभिन्न मार्गो के नवीनीकरण के लिए किया गया।	अ अ, प्रा ख, बागेश्वर
2.	कपकोट-पिंडारी ग्लेशियर मो मा का पुनर्निर्माण (किमी 12.750 से 14.750)	90.29	90.29	21.56	2 किमी भाग की पुनर्स्थापना हेतु स्वीकृत निधि में से ₹ 21.56 लाख को अस्वीकृत कार्य (किमी 17 मे मार्ग का चौड़ीकरण) पर व्ययावर्तित/उपयोगित किया गया था जोकि जून 2013 आपदा के पश्चात क्षतिग्रस्त हुआ था।	अ अ, नि ख, कपकोट (बागेश्वर)
3.	रुद्रप्रयाग पोखरी गोपेश्वर मो मा का पैच मरम्मत कार्य	46.00	46.00	32.56	ये चार मो मा पूर्ण रूप से उ आ स प/ उ आ रि प के तहत निर्मित किए जा रहे थे। खण्ड द्वारा स्वीकृत धनराशि ₹ 84.00 लाख का व्ययावर्तन इन मो मा के पूर्व (जून 2013 आपदा के पूर्व) के दायित्व (₹ 51.44 लाख) और दूसरे कार्यों पर (₹ 32.56 लाख) किया था।	अ अ, प्रा ख, गोपेश्वर (चमोली)
4.	चमोली कुण्ड मो मा के पैच मरम्मत कार्य	18.00	18.00			
5.	जोशीमठ औली मो मा का पैच मरम्मत कार्य	4.00	4.00			
6.	जोशीमठ सिंहद्वार नृसिंह मो मा का पैच मरम्मत कार्य	16.00	16.00			
7.	जाख-पुरान-मैलडूंगरी मेलकू मो मा का पुनर्निर्माण कार्य	55	55	29.72	राज्य क्षेत्र (एस सी पी) के अंतर्गत 17 किलोमीटर लंबाई में मो मा के निर्माण हेतु ₹169.28 लाख की स्वीकृति (फरवरी 2014) हुई, जिसे इसी अवधि (वि व 2015-16 और 2016-17) के दौरान विभिन्न अनुबन्धों के तहत निष्पादित किया जा रहा था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस कार्य का पहला चालू देयक ₹22.70 लाख (मार्च 2016) ठेकेदार को भुगतान किया गया और अवशेष व्यय ₹ 29.72 लाख अन्य कार्यों और बिटुमिन (स्टॉक) की लागत से संबंधित था जो कार्य के स्वीकृत कार्य-क्षेत्र के लिए आवश्यक नहीं था।	अ अ, प्रा ख, पिथौरागढ़
8.	लछैर सौडलेख मो मा का पुनर्निर्माण कार्य	13	13	12.46	मो मा का कार्य निष्पादित किए बिना ₹ 12.46 लाख के निधि को अन्य मार्गो की मरम्मत (₹2.46 लाख) और स्टॉक (₹10.00 लाख) के लिए व्ययावर्तित/भारित किया गया था।	
9.	टनकपुर जौलजीबी मो मा का पैच मरम्मत कार्य	19.74	19.74	7.60	खण्ड द्वारा अन्य कार्यों के लिए ₹ 7.60 लाख की निधि व्ययावर्तित की गयी थी।	अ अ, नि ख, अस्कोट (पिथौरागढ़)
10.	नारायणनगर अस्कोट मो मा का पैच मरम्मत कार्य	24.69	24.69	2.76	खण्ड द्वारा अन्य कार्यों के लिए ₹ 2.76 लाख की निधि व्ययावर्तित की गयी थी।	
योग				***143.57***		

पूर्ण व्यावर्तन के प्रकरण						
1.	देवाल-कंडई-सवड़ मो मा का पैच मरम्मत कार्य (किमी. 1 से 10.50)	25	25	25	सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि ₹ 25.00 लाख, अन्य कार्यों के लिए व्ययावर्तित की गयी थी।	अ अ, नि ख, थराली (चमोली)
2.	नारायणबगड़-चोपता मो मा का पैच मरम्मत कार्य (किमी 1 से 9.00)	13.28	13.28	13.28	सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि ₹ 13.28 लाख, अन्य कार्यों के लिए व्ययावर्तित की गयी थी।	
3.	कोठियासैण सावरीसैण मो मा का पैच मरम्मत कार्य (किमी 4 से 8)	75.85	20.00	20.00	इन नौ मो मा के लिए स्वीकृत ₹ 2.80 करोड़ के सापेक्ष सम्पूर्ण अवमुक्त निधि (₹ 91.33 लाख) को अन्य कार्यों में व्ययावर्तित कर दिया गया था।	अ अ, प्रा ख, गोपेश्वर (चमोली)
4.	बिरही गौना मो मा का पैच मरम्मत कार्य (किमी 6,7 और 11 से 13)	87.46	12.21	12.21		
5.	नंदप्रयाग देवखाल मो मा का पैच मरम्मत कार्य (किमी 8,9 और 10)	16.36	8.19	8.19		
6.	सलूड डूंगरा मो मा का पैच मरम्मत कार्य (किमी 3,4 और 5)	27.12	13.61	13.61		
7.	गोपेश्वर देवरखरोदा मो मा का पैच मरम्मत कार्य (किमी 1,2,3,5,8 और 10)	18.56	9.32	9.32		
8.	डूंगरी लिंक मो मा का पैच मरम्मत कार्य (किमी 1 और 2)	11.47	5.50	5.50		
9.	बिरही-गौना मो मा का पैच मरम्मत कार्य (किमी -5)	15.00	7.50	7.50		
10.	बिरही-गौना मो मा का पुनर्स्थापना कार्य (किमी -12 और 13)	13.14	7.50	7.50		
11.	चमोली कुण्ड मो मा का पैच मरम्मत कार्य (किमी 37 से 49)	15.00	7.50	7.50		
12.	सातसिलिंग थल मो मा का पैच मरम्मत कार्य	100	80	80	प्रा ख -पिथौरागढ़ के 49.61 किमी लंबे सातसिलिंग-थल मो मा के नवीनीकरण/ पुनर्स्थापना कार्यों के लिए, तीन स्वीकृतियाँ-₹ 31.03 लाख(फरवरी 2014, वार्षिक मरम्मत के अन्तर्गत), ₹ 128.00 लाख (फरवरी 2014, उ आ स प -ए वि बैं के अन्तर्गत) और ₹ 100.00 लाख (मई 2014, वि आ स -पु के अन्तर्गत) तीन अलग-अलग एजेंसियों को प्रदान की गयी थी। स्वीकृत निधि ₹ 80.00 लाख को प्रमुख-अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष-लो नि वि को समर्पित करने के बजाय व्ययावर्तित (*₹ 43.27 लाख अंतरण प्रविष्टि आदेश द्वारा उसी कार्य के वार्षिक मरम्मत कार्य मे तथा अवशेष धनराशि अन्य मार्गों के सतह नवीनीकरण/मरम्मत के कार्य लिए*) कर दिया गया।	अ अ, प्रा ख, पिथौरागढ़
13.	कनालीछिना पीपली मो मा का पैच मरम्मत कार्य	34.56	34.56	34.56	सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि ₹34.56 लाख अन्य कार्यों के लिए व्ययावर्तित की गयी थी।	अ अ, नि ख, (पिथौरागढ़)
			योग	***244.17***		

परिशिष्ट - 2.5

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या: 2.2.7; पृष्ठ 25)

ठेकेदारों को किये गये अधिक भुगतान का विवरण

क्र. सं.	कार्य मद	मार्ग का नाम	दर *(प्रति घन मी / वर्ग मी)*		दर मे अन्तर	संपादित मात्रा घन मी / वर्ग मी	अधिक भुगतान *(धनराशि ₹ में)*	खण्ड / प क्रि इ का नाम
			उच्च प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित	ठेकेदारों को भुगतान				
1.	वायर क्रेट्स में बोल्डर एप्रोन को उपलब्ध कराने एवं बिछाने का कार्य	डीडीहाट आदिचौरा मो मा	2,137.00	2,800.00	663.00	1,042.90	6,91,442.70	अ अ, वि बैं खण्ड, मुनस्यारी (पिथौरागढ़)
2.	मलवा सफाई कार्य		900.00	1,242.00	342.00	175.00	59,850.00	
3.	खुली सतह/नीव मे आर सी सी (1:2:4) उपलब्ध कराने एवं बिछाने का कार्य	डीडीहाट दूनाकोट मो मा	5,963.20	7,400.00	1,436.80	536.93	7,71,461.00	
4.	मलवा सफाई कार्य		900.00	1,242.00	342.00	516.00	1,76,472.00	
5.	दीवार के पीछे हैंड पैक्ड स्टोन का भराव का कार्य	क्वीटी सैन राठी मो मा	765.60	850.00	84.40	614.10	51,830.04	
6.	वायर क्रेट्स में बोल्डर एप्रोन को उपलब्ध कराने एवं बिछाने का कार्य		2,204.60	2,800.00	595.40	838.61	4,99,308.39	
7.	कंक्रीट कार्य (एम-15) के लिये अतिरिक्त भुगतान	शिशु मन्दिर नानासेण मो मा	6,351.80	7,500.00	1,148.20	34.54	39,658.82	
8.	वायर क्रेट्स में बोल्डर एप्रोन को उपलब्ध कराने एवं बिछाने का कार्य	शहीद पुष्कर सिंह मो मा	2,204.60	2,800.00	595.40	229.50	1,36,644.30	
9.	मलवा सफाई कार्य		900.00	1,242.00	342.00	180.00	61,560.00	
10.	प्लेन सीमेंट कंक्रीट (1:3:6)	नगरासू -धनपुर -डांडाखाल मो मा	3,800.00	4,762.00	962.00	221.61	2,13,188.82	अ अ वि बैं खण्ड, रुद्रप्रयाग
11	सील कोट (टाइप-सी)	बरनाली-झोतरी मो मा	59.00	67.10	8.10	33,698.83	2,72,960.52	अ अ, वि बैं खण्ड, उत्तरकाशी
12.	टैक कोट के लिये अतिरिक्त भुगतान	बरेठी-बंचौरा-बद्रीगाड़ मो मा	-	-	-	-	1,36,235.00	अ अ, नि ख चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी
	योग						***31,10,611.59***	

परिशिष्ट - 2.6

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या: 2.2.7; पृष्ठ 25)

ठेकेदारों को दिये गये अदेय लाभ का विवरण

क्रम सं.	प क्रि इ का नाम	इकाई का नाम	मार्ग / कार्य का नाम	मद	अनुबन्ध की लागत (₹ लाख में)	दर: अनुबन्ध (₹/ घन मी)	दर: वर्तमान एस ओ आर (₹/ घन मी)	अंतर (₹/ घन मी)	अनुबन्ध की मात्रा के 25 प्रतिशत से अधिक मात्रा का निष्पादन (घन मी)	धनराशि (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11=9x10
1.	प क्रि इ (मा एवं से)	अ अ ए वि बैं खण्ड, रुद्रप्रयाग	मक्कू-पलद्वाड़ी मो मा	बी एम	625.94	12,500	9,911.00	2,589.00	1,306.25	33.82
2.	प क्रि इ (मा एवं से)	अ अ ए वि बैं खण्ड, रुद्रप्रयाग	खिरसू-खेड़ाखाल-कंडई-खाखरा मो मा	बी एम	1,180.60	10,400	9,596.30	803.70	3,096.25	24.88
3.	प क्रि इ (मा एवं से)	अ अ ए वि बैं खण्ड, चमोली	चमोली-कुण्ड मो मा	एस डी बी सी	768.99	13,000	10,818.40	2,181.60	402.26	8.77
4.	प क्रि इ (नागरिक उड्डयन), देहरादून		उत्तराखण्ड मे हेलीपैड (चम्पावत हेलीपैड) का निर्माण/ नवीनीकरण (चरण-I)	मिट्टी का कार्य	1,149.58	380.00	179.30	200.70	27,956.00	56.11
योग										***123.58***

परिशिष्ट - 2.7

(संदर्भ प्रस्तर संख्या: 2.2.7; पृष्ठ 26)

लिक्विडेटेड डैमेज (एल डी) आरोपित न किये जाने का विवरण

(₹ लाख में)

क्रम स	का क्रि इकाईयों का नाम	कार्य का नाम	अनुबन्ध / आगणन की लागत	देरी (दिवसों की संख्या)	आरोपण किए जाने योग्य एल डी	आरोपित / वसूल एल डी	एल डी वसूली में कमी
1.	अ अ, वि बै खण्ड, बागेश्वर	कांडा सनईउडियार रावतसेरा मो मा	1,031.51	46	23.72	7.00	16.72
2.	अ अ, वि बै खण्ड, चमोली	सोलना कण्डारा मैखुरा मो मा	1,233.96	58	35.78	0.00	35.78
3.	अ अ, वि बै खण्ड, मुनस्यारी, (पिथौरागढ़)	डीडीहाट-दूनाकोट एवं डीडीहाट आदिचौरा मो मा	1,000.30	60	30.01	0.00	30.01
4.		मदनपुर नैनी मो मा	764.68	17	6.50	0.00	6.50
5.	अ अ, वि बै खण्ड, रुद्रप्रयाग	नगरासू-धनपुर डांडाखाल मो मा	1,129.55	43	19.77	0.00	19.77
6.		नागजई फेगू मो मा	181.80	30	6.62	0.00	6.62
7.		सल्या तुलंगा एवं चीनागढ़ उछोला मो मा	748.78	26	9.73	0.00	9.73
8.		रुद्रप्रयाग से गांधारी गाड़ीधार दस्जूला मो मा	449.54	14	3.15	0.00	3.15
9.		रैतोली डूंगरा मो मा, खेड़ाखाल नवासू हरियाली मो मा, कंडाई बारंगना मो मा	608.80	37	11.25	0.00	11.25
10.	अ अ, ए वि बैं खण्ड, गोपेश्वर	चमोली-कुंड मो मा	768.99	90	34.60	0.39	34.21
अ- वा स प का योग (14 मो मा)					***181.13***	***7.39***	***173.74***
1.	अ अ, अवस्थापना खण्ड, उत्तरकाशी	भागीरथी नदी के दाहिने किनारे पर मनेरी का बा सु का	704.14	211	70.41	2.11	68.30
2.		भागीरथी नदी के दाहिने किनारे पर जोशियारा बैराज के अनुप्रवाह पर बा सु का	577.51	413	57.75	0.00	57.75
3.	अ अ, सिं ख थराली, (चमोली)	सुनाऊ तल्ला, कुल्सारी बाजार, उदीबगड़, सिलंगी और चैपड़ों बाजार का बा सु का	241.13	513	24.11	0.00	24.11
			231.31	544	23.13	0.00	23.13
			179.17	295	17.92	0.00	17.92
4.	अ अ, सिं ख थराली, (चमोली)	नारायणबगड़, कर्णप्रयाग और गैरसैण ब्लॉक में बा सु का	234.84	278	23.48	0.00	23.48
			300.82	283	30.08	0.00	30.08
ब - सिचाईं का योग (04 बा सु का)					***246.88***	***2.11***	***244.77***
1.	अ अ,वि वि ख, बागेश्वर	11 के वी लाइन्स का निर्माण	215.35	750	21.54	15.80	5.74
स - ऊर्जा एवं विद्युत का योग (01 कार्य)					***21.54***	***15.80***	***5.74***
कुलयोग (अ+ब+स)					***449.55***	***25.30***	***424.25***

परिशिष्ट - 3.1
(संदर्भ प्रस्तर संख्या: 3.1; पृष्ठ 32)

विभागवार कार्य की स्थिति (मार्च 2017 एवं मार्च 2018)

कार्यों का विवरण	31 मार्च 2017 तक की स्वीकृतियों का विवरण		पूर्ण होने की नियत तिथि को#			31 मार्च 2018 को		
			पूर्ण कार्य	प्रगतिरत कार्य	अनारम्भ कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगतिरत कार्य	अनारम्भ कार्य
	स्रोत	कार्यों की संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या
मार्ग एवं सेतु ट्रैक रूट सहित	वि आ स -पु	525	395	119	11	499	24	02
	उ आ स प	119	54	65	0	116	03	0
	उ आ रि प	262	167	87	8	187	67	08
	योग	*906*	*616*	*271*	*19*	*802*	*94*	*10*
बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य	कें पो यो -पु	54	7	47	0	34	20	0
	वि आ स -पु *	11	5	6	0	11	12	0
	योग	*65*	*12*	*53*	*0*	*45*	*32*	*0*
पर्यट्न कार्य, नागरिक उड्डयन सहित	कें पो यो -पु	116	42	74	0	44	72	0
	वि आ स -पु *	55	41	9	5	40	14	02
	उ आ स प	41	2	39	0	35	06	0
	योग	*212*	*85*	*122*	*5*	*119*	*92*	*02*
ऊर्जा एवं विद्युत निर्माण कार्य	**वि आ स -पु ***	**58**	**47**	**5**	**6**	**51**	**05**	**03**
भवन निर्माण कार्य (लोक भवन)	कें पो यो -पु	783	756	10	17	762	10	11
	वि आ स -पु	22	7	10	5	07	10	05
	उ आ रि प	21	7	13	1	14	06	01
	योग	*826*	*770*	*33*	*23*	*783*	*26*	*17*
जल आपूर्ति निर्माण कार्य	**उ आ स प**	**12**	**3**	**9**	0	**12**	**0**	**0**
कृषि	**वि आ स -पु**	**245**	**231**	**13**	**1**	**245**	**0**	**0**
वन	**वि आ स -पु**	**14**	**5**	**1**	**8**	**09**	**0**	**05**
जलागम	**कें पो यो -पु**	**7**	**0**	**7**	**0**	**0**	**07**	**0**
योग	**वि आ स -पु**	930	731	163	36	863	64	17
	कें पो यो -पु	960	805	138	17	840	109	11
	उ आ स प	172	59	113	0	162	10	0
	उ आ रि प	283	174	100	9	201	73	09
कुल योग		*2,345*	*1,769*	*514*	*62*	*2,066*	*256*	*37*

 # वि आ स -पु, कें पो यो -पु और उ आ स प कार्यों के लिए 31 मार्च 2017 एवं उ आ रि प कार्यों के लिये 31 दिसंबर 2017।

** सिंचाई विभाग के 12 बाढ़ नियंत्रण **निर्माण** कार्य, जि आ प्र प्रा -रुद्रप्रयाग के 02 कार्य और उरेडा का 01कार्य 2017-18 के दौरान स्वीकृत किया गया था ।*

परिशिष्ट - 3.2-(अ)
(संदर्भ प्रस्तर संख्या: 3.2.1.2; पृष्ठ 36)

मोटर मार्गों के पुनर्निर्माण के लिये बहुस्रोतों से वित्त पोषण का विवरण (म और दी पु पैकेज)

(₹ लाख में)

क्र. स.	मार्ग का नाम	इकाईयों का नाम	कार्य का नाम / चेनेज	स्वीकृत लागत (₹ लाख में)	स्वीकृति की तिथि	निधि का स्रोत	लेखा परीक्षा आपत्ति की राशि
1.	बड़ेथी-बनचौरा-बद्रीगाड मो मा	अ अ, नि ख लो नि वि चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी	किमी 1,2,3,12,15,16,22,32 और 34 पर क्षतिग्रस्त दीवार और नाली का पुनर्निर्माण	28.29	03/2015	वि आ स -पु	28.29
		अ अ, आपदा खण्ड (ए वि बैं) उत्तरकाशी	किमी 1-16, 70-80 और 96 पर पुनर्निर्माण	1,700.00	09/2014	उ आ स प	0
2.	कुवां -कफ़नौल-राड़ी मो मा	अ अ, नि ख लो नि वि बड़कोट, उत्तरकाशी	क्षतिग्रस्त दीवारो (किमी 32 से 48) का पुनर्निर्माण और पैच मरम्मत	9.66	03/2015	वि आ स -पु	9.66
		अ अ, आपदा खण्ड (ए वि बैं) उत्तरकाशी	47.60 किमी की सम्पूर्ण लम्बाई में पुनर्निर्माण कार्य	256.25	02/2014	उ आ स प	0
3.	भदरासू रमलगाँव मो मा	अ अ, नि ख लो नि वि पुरोला, उत्तरकाशी	किमी-1 मे पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण कार्य	9.32	03/2015	वि आ स -पु	9.32
		अ अ, आपदा खण्ड (वि बै) उत्तरकाशी	2.80 किमी की सम्पूर्ण लम्बाई में पुनर्निर्माण कार्य	235.23	12/2014	उ आ रि प	0
4.	बरनाली -झोटारी मो म	अ अ, नि ख लो नि वि, पुरोला, उत्तरकाशी	किमी-3 मे पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण कार्य	9.00	03/2015	वि आ स -पु	9.00
		अ अ, आपदा खण्ड (वि बै) उत्तरकाशी	9.00 किमी की सम्पूर्ण लम्बाई में पुनर्निर्माण कार्य	591.64	12/2014	उ आ रि प	0
5.	चिल्याणीसौड़जोगथ मो मा	अ अ, नि ख लो नि वि चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी	मोटर मार्ग के किमी 1, 6, 18, 25 और 28 मे पुनर्स्थापना	24.62	03/2015	वि आ स -पु	24.62
			मोटर मार्ग के किमी 1 से 31 में पैच कार्य	5.00	06/2016	वि आ स -पु	5.00
		अ अ, आपदा खण्ड (वि बै) उत्तरकाशी	किमी 1 से 20 में पुनर्निर्माण कार्य	1,153.41	01/2014	उ आ रि प	0
6.	थराली-देवाल-मुंडोली मो मा	अ अ, नि ख लो नि वि थराली, चमोली	मोटर मार्ग का पैच मरम्मत	46.00	05/2014	वि आ स -पु	46.00
		अ अ, आपदा खण्ड (ए वि बैं) गोपेश्वर, चमोली	मोटर मार्ग का पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण कार्य	1,840.00	03/2014	उ आ स प	0
7.	लोल्टी कस्बीनगर मो मा	अ अ, नि ख लो नि वि थराली, चमोली	किमी 1 से 3.5 में पैच मरम्मत कार्य	7.00	03/2015	वि आ स -पु	7.00
			किमी 1.00 से 3.5 पर पी सी से नवीनीकरण कार्य	40.25	01/2015	राज्य क्षेत्र	0
		अ अ, आपदा खण्ड (वि बै), गोपेश्वर, चमोली	3.50 किमी की सम्पूर्ण लम्बाई मे पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण कार्य	164.05	01/2015	उ आ रि प	0
8.	लोल्टी - मलबाजवाद मो मा	अ अ, नि ख लो नि वि, थराली, चमोली	1.00 से 5.00 किमी में पैच मरम्मत कार्य	9.00	03/2015	वि आ स -पु	9.00
		अ अ, आपदा खण्ड (वि बै), गोपेश्वर, चमोली	6.00 किमी की सम्पूर्ण लम्बाई मे पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण कार्य	296.55	02/2015	उ आ रि प	0
9.	जोशीमठ सिंहद्वार नरसिंह मो मा	अ अ, प्रा ख लो नि वि गोपेश्वर, चमोली	मोटर मार्ग (लम्बाई 3.90 किमी) का सतह मरम्मत कार्य	4.00	05/2014	वि आ स -पु	4.00
		अ अ, आपदा खण्ड (ए वि बैं) गोपेश्वर, चमोली	सम्पूर्ण लम्बाई (लम्बाई 3.90 किमी) मे मोटर मार्ग का पुनर्स्थापना कार्य	381.00	02/2014	उ आ स प	0
10.	जोशीमठ औली मो मा	अ अ, प्रा ख लो नि वि गोपेश्वर, चमोली	मोटर मार्ग (लम्बाई 13.40 किमी) का सतह मरम्मत कार्य	16.00	05/2014	वि आ स -पु	16.00
		अ अ, आपदा खण्ड (ए वि बैं) गोपेश्वर, चमोली	मोटर मार्ग (लम्बाई 9.00 किमी) का पुनर्स्थापना कार्य	695.00	02/2014	उ आ स प	0
11.	बागेश्वर कपकोट तेजम मो मा	अ अ, नि ख लो नि वि कपकोट, बागेश्वर	सम्पूर्ण लम्बाई (कुल लम्बाई-57 किमी) मे सतह मरम्मत कार्य	65.00	05/2014	वि आ स -पु	65.00
		अ अ, आपदा खण्ड (ए वि बैं) बागेश्वर	मोटर मार्ग (लम्बाई 35.00 किमी) का पुनर्स्थापना कार्य	1,172.00	03/2014	उ आ स प	0
12.	कंड़ई कमौल्डी मोल्खाखाल मो मा	अ अ, प्रा ख लो नि वि रुद्रप्रयाग	मोटर मार्ग (1 से 20 किमी) का पुनर्स्थापना कार्य	7.97	03/2015	वि आ स -पु	7.97
			मोटर मार्ग (लम्बाई 20.78 किमी) का सतह मरम्मत कार्य	3.00	05/2014	वि आ स -पु	3.00
		अ अ, आपदा खण्ड (वि बै), गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग	मोटर मार्ग (लम्बाई 20.78 किमी) का पुनर्स्थापना कार्य	349.00	01/2014	उ आ रि प	0
13.	नगरासु डांडाखाल धनपुर	अ अ, प्रा ख लो नि वि रुद्रप्रयाग	सम्पूर्ण लम्बाई (28.00 किमी) का सतह मरम्मत कार्य	11.00	05/2014	वि आ स -पु	11.00
		अ अ, आपदा खण्ड (वि बै), गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग	मोटर मार्ग (लम्बाई 28.00 किमी) का पुनर्स्थापना कार्य	1,183.68	01/2014	उ आ रि प	0
14.	सातसिलिंग थल मो	अ अ, प्रा ख लो नि वि, पिथौरागढ़	सम्पूर्ण लम्बाई (49किमी) में सतह मरम्मत कार्य	100.00	05/2014	वि आ स -पु	100.00

	मा	अ अ, आपदा खण्ड (उ आ स प) पिथौरागढ़	मोटर मार्ग (लम्बाई 49किमी) का पुनर्स्थापना कार्य	128.00	02/2014	उ आ स प	0
15.	डीडीहाट दूनाकोट मो मा	अ अ, प्रा ख लो नि वि डीडीहाट, पिथौरागढ़	मोटर मार्ग (लम्बाई 49 किमी) का सतह मरम्मत कार्य	10.00	05/2014	वि आ स -पु	10.00
		अ अ, आपदा खण्ड (वि बैं), मुनस्यारी, पिथौरागढ़	मोटर मार्ग (लम्बाई 19.06 किमी) का पुनर्स्थापना कार्य	623.00	02/2014	उ आ रि प	0
			योग (15 प्रकरण)				***364.86***

परिशिष्ट - 3.2-(ब)
(संदर्भ प्रस्तर संख्या: 3.2.1.2; पृष्ठ 36)

उन मोटर मार्गों के लिये स्वीकृत वि आ स - पु जिनका निर्माण अन्य स्रोतों के अन्तर्गत वित्त पोषण (राज्य क्षेत्र / प्र म ग्रा स यो) से किया जा रहा है

मार्ग का नाम	इकाईयों का नाम	स्वीकृत (किमी / चेनेज) का विवरण	स्वीकृत लागत *(₹ लाख में)*	स्वीकृति की दिनांक	निधि का स्रोत	आपत्ति की राशि *(₹ लाख में)*
बागेश्वर डोफाड धरमधार कोटमन्या (बी डी डी के) मो मा	अ अ, नि ख लो नि वि कपकोट, बागेश्वर	किमी 31 से 74 (36,37,42 एवं 45 को छोड़कर) मे मोटर मार्ग का उच्चीकरण कार्य	1,973.70	02/2014	राज्य क्षेत्र	0
		किमी-6 से 30 और 41 से 49 मे पुनर्स्थापना एवं पुनर्निर्माण कार्य	51.70	03/2014	राज्य क्षेत्र	0
		63.97 किमी की सम्पूर्ण लम्बाई मे सतह मरम्मत कार्य	36.00	05/2014	वि आ स -पु	36.00
	प्र म ग्रा स यो खण्ड, बागेश्वर	किमी 6 से 30, 36, 37,42 एवं 45 मे उच्चीकरण कार्य	2,062.10	03/2014	प्र म ग्रा स यो	0
दंगोली-सालिनी दाड़िमखेत मो मा	अ अ, नि ख लो नि वि कपकोट, बागेश्वर	सम्पूर्ण लम्बाई (कुल लम्बाई 24 किमी) मे सतह मरम्मत कार्य	36.00	05/2014	वि आ स -पु	36.00
	प्र म ग्रा स यो खण्ड, बागेश्वर	मोटर मार्ग (किमी 1 से किमी 21) का उच्चीकरण कार्य	584.35	03/2014	प्र म ग्रा स यो	0
		योग (दो प्रकरण)				***72.00***
बरनाली-माकुरी मो मा	अ अ, नि ख लो नि वि, पुरोला	किमी 01 से 02 मे मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य	10.15	06/2016	वि आ स -पु	10.15
		मोटर मार्ग की 03 किमी लम्बाई (किमी 01 से 03) का पुनर्निर्माण	154.61	03/2013	राज्य क्षेत्र	0
जाखपुरान-मेलडूंगरी मो मा	अ अ, प्रा ख लो नि वि, पिथौरागढ़	क्षतिग्रस्त जाखपुरान-मेलडूंगरी मो मा का पुनर्निर्माण कार्य	55.00	06/2016	वि आ स -पु	55.00
		जाखपुरान-मेलडूंगरी मो मा का निर्माण	424.15	02/2014	राज्य क्षेत्र	0
अंदरगद्दी से धारतोलिया मो मा	अ अ, नि ख लो नि वि, ऊखीमठ	ग्रेड एवं त्रुटि सुधार कार्य	50.00	06/2016	वि आ स -पु	50.00
		अंदरगद्दी- धारतोलिया मो मा का निर्माण	257.25	09/2013	राज्य क्षेत्र	0
		योग (तीन प्रकरण)				***115.15***

परिशिष्ट - 3.3

(संदर्भ प्रस्तर संख्या: 3.2.2.2; पृष्ठ 39)

अमितव्ययी विकल्प के साथ निष्पादित कार्यों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र स	प क्रि इ का नाम	मार्ग का नाम	निधि का स्रोत	ब्लैक टॉप कार्य की लागत		अन्तर
				बी एम / एस डी बी सी / बी सी	पी सी / सील कोट	
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
1.	अ अ, ए वि बैं, खण्ड, रुद्रप्रयाग	नगर पालिका, रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत नया बस स्टैंड मार्ग	उ आ स प	23.63	11.29	12.34
2.		सोनप्रयाग-त्रियुगीनारायण मो मा	उ आ स प	387.24	124.10	263.14
3.	अ अ,ए वि बैं खण्ड, गोपेश्वर	गौचर-सिद्वोली मो मा एवं कर्णप्रयाग-नौटी-पैठानी मो मा	उ आ स प	1,211.65	345.83	865.82
4.		कर्णप्रयाग-नैनीसैन एम डी आर	उ आ स प	913.82	254.41	659.41
5.	अ अ,ए वि बैं खण्ड, उत्तरकाशी	सिलक्यारा-बणगाँव-चापड़ा-सरोथ एम डी आर	उ आ स प	540.37	242.30	298.07
6.		बड़ेथी-बनचौरा-बद्रीगाड मो मा	उ आ स प	537.32	247.29	290.03
7.		कालसी-बैराटखाई मो मा	उ आ स प	372.98	195.69	177.29
8.		नौगाव-पौंटी-राजगढ़ी मो मा	उ आ स प	99.52	33.41	66.11
9.	अ अ,ए वि बैं खण्ड, बागेश्वर	नगर पालिका बागेश्वर का आंतरिक मार्ग	उ आ स प	100.77	36.41	64.36
10.	अ अ,ए वि बैं खण्ड, पिथौरागढ़	नगर पंचायत डीडीहाट के आंतरिक मार्ग	उ आ स प	327.22	72.77	254.45
11.		नगर पंचायत धारचूला के आंतरिक मार्ग	उ आ स प	144.66	41.43	103.23
12.	अ अ, वि बै खण्ड उत्तरकाशी	चिन्यलीसौड़-जोगथ मो मा	उ आ रि प	589.60	213.81	375.79
13.	अ अ, वि बै खण्ड, बागेश्वर	कांडा-सनई उड़ियार मो मा	उ आ रि प	569.14	205.26	363.88
14.	अ अ, वि बै खण्ड, रुद्रप्रयाग	नगरासू-धनपुर-डांडाखाल मो मा	उ आ रि प	815.04	318.18	496.86
योग				***6,632.96***	***2,342.18***	***4,290.78***

परिशिष्ट - 3.4

(संदर्भ प्रस्तर संख्या: 3.2.2.2; पृष्ठ 39)

निर्धारित मापदण्डों की तुलना में परिचालन पथ की अतिरिक्त चौड़ाई वाली उ आ रि प परियोजनाओं का विवरण

क्र सं	सड़क कार्य का नाम / पैकेज संख्या	सड़क की स्वीकृत लंबाई *(कि मी)*	3.75 मीटर चौड़ाई में निर्मित सड़क की लंबाई *(कि मी)*	परिहार्य व्यय *(₹ लाख में)*	इकाई का नाम
1	2	4	5	6	7
1.	मदकोट बोना मो मा (पैकेज-101)	24.125	24.125	180.51	अ अ वि बै खण्ड, मुनस्यारी, पिथौरागढ़
2.	क्वीटी सैन राठी मो मा (पैकेज-35)	6.050	6.050	36.58	
3.	शहीद पुष्कर सिंह मो मा (पैकेज-35)	1.875	1.875	10.71	
4.	बड़ाबे सिलीगिया मो मा (पैकेज-011)	10.500	10.000	50.05	अ अ वि बै खण्ड, अस्कोट, पिथौरागढ़
5.	बदरी कांटेबोरा मो मा (पैकेज-102)	6.000	6.000	34.00	
6.	झूला-घाट तलैसड़ मो मा (पैकेज-102)	5.125	5.125	29.20	
7.	कुसुमगाड़ सुरसाल मो मा (पैकेज-055)	2.850	2.916	17.52	अ अ वि बै खण्ड, रुद्रप्रयाग
8.	नारायणबगड़ कौब मो मा (पैकेज-82)	6.350	6.350	50.57	अ अ वि बै खण्ड, चमोली
9.	पीपली से ग्वाना मो मा (पैकेज-032)	2.90	2.90	14.47	अ अ वि बै खण्ड, उत्तरकाशी
योग				***423.61***	

परिशिष्ट - 3.5

(संदर्भ प्रस्तर संख्या: 3.2.2.2; पृष्ठ 39)

दोषपूर्ण पेवमेंट डिजाइन वाली उ आ रि प परियोजनाओं का विवरण

क्र सं	मार्ग कार्य का नाम / मोटर मार्ग	सड़क की लंबाई *(मीटर में)*	सड़क की चौड़ाई *(मीटर में)*	मोटाई प्रावधान / निर्मित *(मीटर में)*	आई आर सी के अनुसार आवश्यक मोटाई *(मीटर में)*	अतिरिक्त मोटाई प्रावधान / निष्पादित *(मीटर में)**	अत्यधिक मात्रा *(घन मी)*	इकाई लागत प्रति घन मी	सामग्री की परिहार्य लागत *(₹ लाख में)*	इकाई का नाम
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)	8=(3x4x7)	9	10=(8x9)	11
1.	बदरी कांटेबोरा मो मा	5,069	3.00	0.225	0.125	0.075	1,140.52	1,817.20	20.73	अ अ वि बै खण्ड, पिथौरागढ़
2.	झूलाघाट तलैसर मो मा	5,125	3.00	0.225	0.125	0.075	1,153.15	1,817.20	20.95	
3.	मदनपुर नैनी मो मा	10,060	3.75	0.225	0.125	0.075	2,829.00	1,820.80	51.52	
योग									***93.20***	

**0.075 मीटर के गुणक में राउंड ऑफ किया गया क्योंकि डब्लूबीएम (ग्रेड-II और ग्रेड-III) 0.075 मीटर के गुणांक मे बिछाया जा सकता है।*

परिशिष्ट - 3.6
(संदर्भ प्रस्तर संख्या: 3.2.2.5; पृष्ठ 42)

चयनित कार्यों में भिन्नता के उदाहरण दिखाते हुए विवरण (₹ एक करोड़ से अधिक)

क्र स	इकाई का नाम	कार्यका नाम/पैकेज	स्वीकृत लागत (₹ लाख में)	संशोधित लागत (₹ लाख में)	भिन्नता (₹ लाखों में)	निर्माण कार्यों की स्थिति
अ	ब	स	द	ध	न (ध-द)	प
(i) - उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना (उ आ रि प) के अन्तर्गत मार्ग एवं सेतु कार्य						
1.	अ अ, प क्रि इ (वि बै), गोपेश्वर, चमोली	पैकेज संख्या-09 के अन्तर्गत स्वीकृत एक मो मा (सोनला-कंदरा मैखुरा) का पुनर्निर्माण कार्य	1,233.96	1,587.46	353.50	प्रगति पर
2.		पैकेज संख्या-25 के अन्तर्गत स्वीकृत एक मो मा (बटांधार-धुनारघाट) का पुनर्निर्माण कार्य	919.51	1,083.84	164.33	प्रगति पर
3.		पैकेज संख्या -88 के अन्तर्गत स्वीकृत एक मो मा (सीमा-बैरों) का पुनर्निर्माण कार्य	762.57	1,057.22	294.65	प्रगति पर
4.		पैकेज संख्या-106 के अन्तर्गत स्वीकृत दो मो मा (अगर-चट्टी जिंगौर, सरकोट-सम्पर्क) का पुनर्निर्माण कार्य	1,032.07	1,245.39	213.32	प्रगति पर
5.		पैकेज संख्या-107 के अन्तर्गत स्वीकृत एक मो मा (कुलसारी-गैरवारम) का पुनर्निर्माण कार्य	517.52	661.61	144.09	प्रगति पर
6.	अ अ, प क्रि इ (वि बै), अस्कोट, पिथौरागढ़	पैकेज संख्या 36 के अन्तर्गत स्वीकृत एक मो पुनर्निर्माण कार्य (ओग्ला पाठकगांव नरेंथ-भागिचौरा)	499.11	737.10	237.99	प्रगति पर
7.		पैकेज संख्या 44 के अन्तर्गत स्वीकृत एक मो मा (बलुवाकोट पैया पोरी) का पुनर्निर्माण कार्य	293.75	514.04	220.29	प्रगति पर
8.	अ अ, प क्रि इ (वि बै), मुनस्यारी, पिथौरागढ़	पैकेज संख्या-101 के अन्तर्गत स्वीकृत एक मो मा (मदकोट-बोना) का पुनर्निर्माण कार्य	2,108.13	3,018.37	910.24	प्रगति पर
9.		पैकेज संख्या 24 के अन्तर्गत स्वीकृत दो मो मा (डीडीहाट-दूनाकोट, डीडीहाट-आदीचौरा) का पुनर्निर्माण कार्य	1,000.30	1,238.18	237.88	पूर्ण
10.		पैकेज संख्या-35 के अन्तर्गत स्वीकृत तीन मो मा (क्वीटी सैन-राठी मो मा, शहीद पुष्कर सिंह एवं शिशु मंदिर-नानासेन मो मा) का पुनर्निर्माण कार्य	782.12	916.42	134.30	प्रगति पर
11.	अ अ, प क्रि इ (वि बै), उत्तरकाशी	पैकेज संख्या 08 के अंतर्गत स्वीकृत एक मो मा का पुनर्निर्माण कार्य	1,275.46	1,377.92	102.46	प्रगति पर
12.		पैकेज संख्या-बी आर/04 के अंतर्गत भागीरथी नदी पर डिडसारी में 100 मीटर स्पान का पैदल झूला सेतु का निर्माण कार्य	633.83	1,123.28	489.45	प्रगति पर
(ii) - उत्तराखण्ड आपातकालीन सहायता परियोजना (उ आ स प) के अंतर्गत मार्ग एवं सेतु कार्य						
1.	अ अ, प क्रि इ (ए वि बैं), बागेश्वर	पैकेज संख्या सी-26 के अंतर्गत स्वीकृत बागेश्वर-कपकोट-समा मो मा का पुनर्निर्माण	712.83	874.87	162.04	पूर्ण
2.	अ अ, प क्रि इ (ए वि बैं), गोपेश्वर,चमोली	पैकेज संख्या सी -33 के अंतर्गत स्वीकृत एक मो मा (थराली-देवाल-मुंडोली) का पुनर्निर्माण कार्य	1,925.86	2,203.37	277.51	पूर्ण
3.		पैकेज संख्या सी-49 के अंतर्गत स्वीकृत दो मो मा (कर्णप्रयाग-नौटी-पैठानी, गौचर-सिद्धोली) का पुनर्निर्माण कार्य	1,603.62	2,025.79	422.17	पूर्ण
4.		पैकेज संख्या सी -50 के अंतर्गत कर्णप्रयाग नैनीसैन मो मा का निर्माण	1,523.62	2,117.93	594.31	पूर्ण
5.	अ अ, प क्रि इ (ए वि बैं), उत्तरकाशी	पैकेज संख्या सी -52 के अंतर्गत स्वीकृत सिलक्यारा-बणगाँव-चापड़ा-सरोथ मो मा का पुनर्निर्माण कार्य	1,214.23	1,393.71	179.48	पूर्ण

परिशिष्ट - 3.7
(संदर्भ प्रस्तर संख्या: 3.3.1.1 (ब); पृष्ठ 46)

स्वीकृतियों के बिना निष्पादित कार्यों की सूची

क्र सं	कार्य का नाम	व्यय (08/2017 तक) (₹ लाख में)	कार्यान्वयन संस्था का नाम
1.	तीर्थयात्री कॉटेज के लिए भण्डारों को स्थापित करने के लिए चारधाम (गुप्तकाशी) में एम आई -17 हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड का निर्माण	35.72	नेहरू पर्वतारोहण संस्थान
2.	केदारनाथ धाम में एम आई -26 हेलीपैड के पास हेलीकॉप्टर एजेंसियों के लिए कार्यालय परिसर की स्थापना के लिए टेंट की खरीद और नींव का निर्माण	5.19	
3.	22 जून 2016 को केदारनाथ धाम मे भारत के माननीय राष्ट्रपति की यात्रा के लिए तैयारियों पर किए गए व्यय	6.17	
4.	यात्रा 2017 के दौरान रास्ता खोलना और बर्फ काटना	31.37	
5.	यात्रा 2016 के लिए 25 कॉटेज क्षेत्र में नींव के साथ नए डाइनिंग हॉल/ रसोई का निर्माण	56.79	
6.	केदारनाथ धाम में डाइनिंग हॉल/ रसोई भोजन के लिए बैठने का क्षेत्र प्रदान करने के लिए के सामने इंटरलॉकिंग पेवर टाइल्स के साथ प्लेटफार्म का निर्माण	25.65	
7.	केदारनाथ मंदिर के पूर्वी किनारे पर मलबा प्रवाह बाधा प्रणाली का निर्माण	506.30	
	योग	***667.19***	

परिशिष्ट - 3.8

(संदर्भ प्रस्तर संख्या: 3.3.3; पृष्ठ 51)

उ आ स प की कार्य की सूची के अनुसार हेलीड्रोमस, हेलीपोर्ट्स, हैलीपैड्स और बहुउद्देशीय आश्रयों के निर्माण के लिए चिन्हित स्थान

हेलीड्रोम्स					
1. हरिद्वार	2. कोटी	3. श्रीनगर	4. केदारनाथ	5. हल्द्वानी	
हेलीपोर्ट्स					
1. ऋषिकेश	2. रुड़की	3.उत्तरकाशी	4. हर्षिल	5. खर्शाली	
6. बड़कोट	7. चम्बा	8.कोटद्वार	9. रुद्रप्रयाग	10. जोशीमठ	
11. घाघरिया	12.बागेश्वर	13. अल्मोड़ा	14. नैनीताल	15. चम्पावत	
16.रुद्रपुर	17. धारचूला	18. गुंजी	19. देहरादून (सहस्त्रधारा)		
हेलीपैड्स					
1. मसूरी	2. त्युनी	3. चकराता	4.लक्सर	5. भटवारी	
6. मनेरी	7. मोरी	8. नौगांव	9. सूखी टॉप	10. घनसाली	
11.लम्बगांव	12. नरेन्द्रनगर	13.पौड़ी	14. ऊखीमठ	15. भीमबली	
16. बद्रीनाथ	17. औली	18. ग्वालदम	19. देवाल	20. लोहजंग	
21. कपकोट	22. बदियाकोट	23 द्वाराहाट	24. चौकड़ी	25. जागेश्वर	
26. रानीखेत	27. रामनगर	28. अब्बोट माउंट	29. खटीमा	30. मिलम	
31. तेजम	32. जीप्ति	33. जौलजीवी	34. सोसा		
बहुउद्देशीय हाल/आश्रय					
जिले का नाम	**बागेश्वर**	**चमोली**	**पिथौरागढ़**	**रुद्रप्रयाग**	**उत्तरकाशी**
बहुउद्देशीय हॉल/आश्रय की संख्या	5	4	6	15	7
क्षमता	550	400	450	1,500	650

परिशिष्ट - 3.9

(संदर्भ प्रस्तर संख्या: 3.10; पृष्ठ 63)

एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम की सात परियोजनाओं के लिए अवमुक्त धनराशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	परियोजना का नाम	का क्रि इ का नाम	परियोजना की लागत	का क्रि इ को अवमुक्त धनराशि	व्यय	31 मार्च, 2018 को अवशेष
1.	चमोली / ए ज प्र का -IV/13-14	प्र व अ, बद्रीनाथ	26.27	4.03	3.11	0.92
2.	चमोली / ए ज प्र का -V/13-14	प्र व अ, भू सं वि, गोपेश्वर	35.48	5.46	4.24	1.22
3.	चमोली / ए ज प्र का -VI/13-14	मु कृ अ, चमोली	11.84	1.82	1.07	0.76
4.	रुद्रप्रयाग / ए ज प्र का -III/13-14	मु कृ अ, रुद्रप्रयाग	12.19	2.03	1.60	0.43
5.	बागेश्वर / ए ज प्र का -VI/13-14	मु कृ अ, बागेश्वर	12.03	1.85	1.35	0.50
6.	पिथौरागढ़ / ए ज प्र का -IV/13-14	प्र व अ,पिथौरागढ़	30.24	4.66	3.70	0.96
7.	उत्तरकाशी / ए ज प्र का -VI/13-14	प्र व अ, उत्तरकाशी	22.46	3.46	2.40	1.05
योग			***150.51***	***23.31***	***17.47***	***5.84***

परिशिष्ट - 3.10
(संदर्भ प्रस्तर संख्या: 3.12.2; पृष्ठ 65)

आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता विकास (आ जो प्र त स और क्ष वि) की उप-घटकानुसार गतिविधियाँ

उप-घटक का नाम	उप-घटक के उद्देश्य और गतिविधियाँ	स्वीकृत लागत (₹ लाख में)	मार्च 2018 तक व्यय (₹ लाख में)
उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (यू सेक) के जोखिम आकलन, मॉडलिंग और क्षमता में वृद्धि	उप-घटक का उद्देश्य उत्तराखण्ड के लिए बहु-जोखिम खतरों के मूल्यांकन मॉडल के संरचना विकास व क्रियान्वयन द्वारा उत्तराखण्ड के संस्थाओ को तकनीकी सहायता प्रदान करना है; ऐतिहासिक खतरों और हानि के लिए डेटाबेस का विकास, बहु-जोखिम खतरों के मूल्यांकन के लिए तकनीकी सलाहकार समूह की स्थापना, जोखिम मूल्यांकन के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह डेटा का अधिग्रहण और प्रसंस्करण, टिकाऊ जोखिम मूल्यांकन क्षमता बनाने के लिए प्रशिक्षकों के पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण का विकास, निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक रूपरेखा का विकास; ऐसे तंत्र का विकास जो जोखिम की जानकारी के इष्टतम उपयोग की अनुमति देगा और समुदायों की समुत्थान शक्ति और राज्य की आपदा जोखिम प्रबंधन क्षमता में वृद्धि; और यूसेक की क्षमता में वृद्धि करेगा ।	6,000.00	1,236.83
निर्णय समर्थन प्रणाली (नि स प्र) की स्थापना	इस उप-घटक का उद्देश्य सूचना को प्रदर्शित करने और उपयोगकर्ता की आसान पहुंच प्रदान करने के लिए एकीकृत भू-स्थानिक प्रणाली में विभिन्न स्रोतों से जानकारी (आपदा क्षतियों और सभी पुनर्प्राप्ति कार्यों पर आधारभूत डेटा) को एकीकृत और विश्लेषण करना एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वित्तीय और भौतिक प्रगति को प्राप्त करने और रिपोर्ट करने; पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण कार्यक्रम में समुदायों की सक्रिय भागीदारी के लिए नागरिक प्रतिक्रिया और शिकायतों को हल करने के तंत्र को सक्षम करना; प्रतिक्रिया एकत्रित करने के लिए मीडिया चैनलों और मोबाइल ऐप्स के लिए समर्पित शीर्षकों की स्थापना; निकासी मार्गो का निर्धारण, कमजोर बुनियादी ढाँचे और महत्वपूर्ण जीवन रेखाओं का पता लगाने, और राहत और प्रतिक्रिया आपूर्ति का अनुमान लगाने जैसे क्षेत्रों में प्रतिक्रिया योजना में सुधार; और राज्य की आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया संसाधनों की एक सूची बनाए रखना।	1,800.00	0.00
नदी आकृति का वैज्ञानिक अध्ययन	इस उप-घटक का उद्देश्य आपदा द्वारा प्रभावित कुछ प्रमुख नदियों के लिए नदी किनारो को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक अवस्थापना कार्यो का विश्लेषण और पहचान करने के लिए उद्देश्यित है।	1,800.00	720.86
ढाल स्थिरीकरण अध्ययन	इस उप-घटक में वर्तमान सफलतम तकनीकों से ढलान स्थिरीकरण के बारे में सीखना चालू अग्रणी कार्यो व राज्य के ढलान स्थिरीकरण कार्यो के लिए इस क्षेत्र में किनारों को काटने के चालू कार्य और अनुसंधान मे उपयुक्त तकनीक को लागू करना सम्मिलित है ।	2,400.00	149.87
उ रा आ प्र प्रा को सुदृढ़ करना	इस उप-घटक से संस्थागत स्थापना के विकास, आपदा प्रबंधन शमन केंद्र (आ प्र श के), में तकनीकी सुविधाओं की वृद्धि, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और आपातकालीन परिचालन केंद्र कर्मचारियों और जिला और राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण सुविधाओं का तकनीकी वृद्धि का समावेश करना है।	3,000.00	0.00
जल मौसम विज्ञान नेटवर्क और पूर्व चेतावनी प्रणाली (पू चे प्र) को सुदृढ़ करना	इस उप-घटक का उद्देश्य राज्य की मौजूदा जल मौसम विज्ञान क्षमताओं की समीक्षा करना और उत्तराखण्ड के लिए मौजूदा जल मौसम विज्ञान आधुनिकीकरण योजना का विकास/लागू करना जिसमे वर्तमान जल विज्ञान व मौसम विज्ञान समीक्षा नेटवर्क, पूर्वानुमान क्षमता एवं पू चे प्र की समीक्षा हेतु प्रशासकीय और संस्थागत क्षमता अंतराल का विश्लेषण; जल-मौसम विज्ञान नेटवर्क को अपग्रेड करने और भविष्यवाणी के लिए समय सीमा में सुधार के लागत और लाभ का विश्लेषण; और आपदा तैयारी और लचीलापन को मजबूत करने के लिए आधुनिकीकृत जल-मौसम विज्ञान प्रणाली के डिजाइन का अनुमोदन करना। यह उप-घटक मौजूदा पू चे प्र पहचान अंतरालो की भी समीक्षा करता है और राज्य में एक मजबूत/ सुरक्षित पू चे प्र स्थापित करने के लिए बढ़ती आपातकालीन तैयारी और मौजूदा नेटवर्क और एन आई सी एन ई टी, पोलनेट और इसरो डी एम एस नेटवर्क जैसी सुविधाओं का इष्टतम उपयोग हो।	6,000.00	44.79
आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को सुदृढ़ बनाना	इस उप-घटक का उद्देश्य राज्य के आपदा प्रतिक्रिया बल, अग्निशमन सेवा कर्मियों और अन्य महत्वपूर्ण तत्काल प्रतिक्रिया एजेंसियों की क्षमता को मजबूत बनाने के लिए बेहतर खोज और बचाव उपकरण और प्रशिक्षण वृद्धि के द्वारा आपदा स्थितियों के लिए उपयुक्त प्रतिक्रिया दे सके।	1,800.00	1,681.58
	योग	***22,800.00***	***3,833.93***

संक्षिप्त रूपों की शब्दावलियाँ

संक्षिप्त रूपों की शब्दावलियाँ

संक्षिप्त रूप	विस्तृत रूप
अ अ	अधिशासी अभियन्ता
अ जि मा	अन्य जिला मार्ग
आ जो क सें फ्रे	आपदा जोखिम में कमी के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क
आ जो प्र त स और क्ष वि	आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता विकास
आ न्यू एवं प्र के	आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र
आ प्र यो	आपदा प्रबन्धन योजना
आ प्र वि	आपदा प्रबन्धन विभाग
आं के	आंगनवाड़ी केन्द्र
आई आर सी	इंडियन रोड कांग्रेस
उ अ उ के	उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र
उ आ रि प	उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना
उ आ स प	उत्तराखण्ड आपातकालीन सहायता परियोजना
उ ज सं	उत्तराखण्ड जल संस्थान
उ ना उ वि प्रा	उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण
उ प वि प	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद
उ प्र रा नि नि	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
उ प्रा स	उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति
उ रा आ प्र प्रा	उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
उ रा मा नि का	उत्तराखण्ड राज्य मार्ग निवेश कार्यक्रम
उ स	उत्तराखण्ड सरकार
उ रे ड़ा	उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण
ऊं एवं दू	ऊंचाई एवं दूरी
ए ज प्र का	एकीकृत जलागम प्रबंध कार्यक्रम
ए वि बैं	एशियन विकास बैंक
एच पी स्टोन फिलिंग	हैंड पैक्ड स्टोन फिलिंग
एन बी सी सी	नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्सन कॉरपोरेशन
एफ आर पी	फाइबर रिइन्फोर्स्ड पॉलिमर/प्लास्टिक
एम ए	मोबिलाइजेसन एडवान्स
एल डी	लिक्विडेटेड डेमेज
एस डी बी सी	सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट
औ प्र सं	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
कु म वि नि	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम

के पो यो -पु	केन्द्र पोषित योजना -पुनर्निर्माण
ग म वि नि	गढ़वाल मण्डल विकास निगम
ग्रा मा	ग्रामीण मार्ग
ज वि प	जल विद्युत परियोजना
जि अ	जिला अधिकारी
जि आ प्र प्रा	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
जि आ सं के	जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र
जि का अ	जिला कार्यक्रम अधिकारी
जि मु	जिला मुख्यालय
टी एच डी सी	टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
डि एवं प प	डिजाइन एवं पर्यवेक्षण परामर्श
डी एस पी टी	डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल
त स स	तकनीकी सलाहकार समिति
द अ	दर-अनुसूची
नि एवं म ले प	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
नि और श	नियम और शर्तें
नि ले प	निष्पादन लेखापरीक्षा
नि स प्र	निर्णय समर्थन प्रणाली
ने प सं	नेहरू पर्वतारोहण संस्थान
प आ गृ	पर्यटक आवास गृह
प क्रि अ	परियोजना क्रियान्वयन अभिकरण
प क्रि इ	परियोजना क्रियान्वयन इकाई
प प्र इ	परियोजना प्रबंधन इकाई
प प्र नि	परियोजना प्रशासन नियमावली
प मू द	परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज
प वि	पर्यटन विभाग
परा म	परास्नातक महाविद्यालय
पा एवं वि	पारेषण एवं वितरण
पी सी	प्रीमिक्स कार्पेट
पै मा	पैदल मार्ग
प्र अ	प्रमुख अभियन्ता
प्र म ग्रा स यो	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना
प्र व अ	प्रभागीय वन अधिकारी
प्रा चे प्र	प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली
प्रो क को	प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स

ब हॉ	बहुउद्देशीय हॉल
बा सु का	बाढ़ सुरक्षा कार्य
बी एम	बिटुमिनस मैकडम
बी टी	ब्लैक टॉप
बी टी एस	बेस ट्रांसिवर स्टेशन / सिस्टम
ब्रिड्कुल	ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आफ उत्तराखण्ड लिमिटेड
भा वि प्रा	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
भा स	भारत सरकार
भू सं वि	भूमि संसाधन विभाग
म और दी पु	मध्यम और दीर्घकालिक पुनर्निर्माण
म ना उ	महानिदेशक नागरिक उड्डयन
मा एवं से	मार्ग एवं सेतु
मु का अ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मु कृ अ	मुख्य कृषि अधिकारी
मु जि मा	मुख्य जिला मार्ग
मृ सं	मृदा संरक्षण
मे वा	मेगावॉट
मो मा	मोटर मार्ग
मो वा प्र दि	मोटरचलित वाहन प्रति दिन
यू जे वी एन एल	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड
यू पी सी एल	उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
राष्ट्रीय / राज्य आ मो नि	राष्ट्रीय / राज्य आपदा मोचन निधि
रा आ प्र प्रा	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
रा आ प्र प्रा	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
रा का स	राज्य कार्यकारी समिति
रा कृ एवं ग्रा वि बैं	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
रा प्र नि	राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा निविदा
रा रा	राज्य राजमार्ग
रा रा मा	राष्ट्रीय राज मार्ग
रा सू कें	राष्ट्रीय सूचना केंद्र
रा स्त नो अ	राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण
ल ज वि प	लघु जलविद्युत परियोजनाएं
लो नि वि	लोक निर्माण विभाग
वा का यो	वार्षिक कार्य योजना

वा स प	वाह्य सहायतित परियोजनाएँ
वि एवं प्रौ वि	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
वि आ प्र यो	विभागीय आपदा प्रबन्धन योजनायें
वि आ स-पु	विशेष आयोजनागत सहायता-पुनर्निर्माण
वि प रि	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
वि बैं	विश्व बैंक
वि वि ख	विद्युत वितरण खण्ड
स अ	सहायक अभियन्ता
स रा घ उ	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
स शि अ	सर्व शिक्षा अभियान
सं त्व क्ष और आ आं	संयुक्त त्वरित क्षति और आवश्यकता आंकलन
सी बी आर	कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियों
सी स सं	सीमा सड़क संगठन
से प प	सेतु पर्यवेक्षण परामर्श
स्वा च आ नि	स्वामित्व चलित आवास निर्माण